A

IN THE COURT OF Latika Deepak Parashar **Present Addl. Distt.& Sessions Judge No. 2,Rajgarh(Churu)** [Date of the Judgment- 04.05.2023] [Case No- 21/2018] C.N.R No.- RJCH06-000421-2018 (FIR No. 29/2018 PS Hamirwas Dist. Churu)	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री सुनील बसेरा, अपर लोक अभियोजक श्री सलीम खान, अधिवक्ता परिवादी
ACCUSED	1- विरेंद्र उर्फ चिन्नू पुत्र हरीसिंह उम्र 33 साल निवासी सुलखणिया छोटा तहसील राजगढ जिला चूरू 2- अजयराज पुत्र दिलीप सिंह उम्र 24 साल निवासी किरतान तहसील राजगढ जिला चूरू
REPRESENTED BY	श्री चरण सिंह पूनियां, अधिवक्ता अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू श्री हनुमान सिंह शेखावत, अधिवक्ता अभियुक्त अजयराज

B

Date of Offence	23.02.2018
Date of FIR	25.02.2018
Date of Chargesheet	23.05.2018
Date of Framing of Charges	07.09.2018
Date of commencement of evidence	24.05.2019
Date on which judgment is reserved	27.04.2023
Date of the Judgement	04.05.2023
Date of the Sentencing Order, if any	Yes, (04.05.2023)

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr. PC
1	विरेंद्र उर्फ चिन्नू	07.03.18	न्यायिक अभिरक्षा	364, 302/34, 201/34 IPC	**Convicted**	Life time imprisonment with fine 40,000	**पी.सी** दिनांक 08.03.18 से 14.03.18 **जे.सी** दिनांक 14.03.18 से लगातार
2	अजयराज	13.03.18	न्यायिक अभिरक्षा	364, 302/34, 201/34 IPC	**Convicted**	Life time imprisonment with fine 40,000	**पी.सी** दिनांक 14.03.18 से 18.03.18 **जे.सी** दिनांक 18.03.18 से लगातार (**अंतरिम जमानत** दिनांक 19.01.23 से दिनांक 02.02.23 तक)

PART-II
LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch

		Witness, Other Witness)
PW. 1	महावीर सिंह	एफआईआर कर्ता
PW. 2	सजना	घटना संबंधी
PW. 3	छोटूराम	घटना व पंचनामा
PW. 4	रामपाल	घटना
PW. 5	राकेश पुत्र छोटूराम	घटना संबंधी
PW. 6	होशियार सिंह	अंतिम दृश्य संदीप
PW. 7	लीलाधर	अंतिम दृश्य संदीप
PW. 8	रामनिवास	लाश निकालने संबंधी
PW. 9	राकेश कुमार पुत्र जगदीश सिंह	घटना संबंधी
PW. 10	रघुवीर	अंतिम दृश्य संदीप एवं गाडी पहचान संबंधी
PW. 11	शिवराम	पंचनामा, शिनाख्तगी, सुपुर्दगी लाश व जब्ती शर्ट
PW. 12	नवीन कुमार	पुलिस साक्षी
PW. 13	मुकेश कुमार	पुलिस साक्षी
PW. 14	सत्यवान	पुलिस साक्षी
PW. 15	विक्रम सिंह पुत्र फूलचंद	पुलिस साक्षी
PW. 15	विक्रम सिंह पुत्र महादेवाराम	पुलिस साक्षी
PW. 16	संदीप कुमार	पुलिस साक्षी
PW. 17	सुमेर सिंह	मालखाना इंचार्ज
PW. 18	संजय कुमार	अन्य साक्षी
PW. 19	डॉ सज्जन कुमार	मेडिकल साक्षी
PW. 20	जयवीर सिंह	पुलि साक्षी
PW. 21	डॉ सुरेश कुमार	मेडिकल साक्षी
PW. 22	अरविंद कुमार	मेडिकल साक्षी
PW. 23	डॉ उम्मेद सिंह	मेडिकल साक्षी
PW. 24	इंद्र कुमार	अग्रिम अनुसंधान अधिकारी व चार्जशीट
PW. 25	मनोज कुमार	अनुसंधान व एफआईआर

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
---	Nil	---

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
---	Nil	---

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit P-1	लिखित रिपोर्ट
2	Exhibit P-2	एफआईआर
3	Exhibit P-3	लिखित रिपोर्ट सजना
4	Exhibit P-4	फर्द पंचायतनामा तथा गुमशुदा पंजीकरण
5	Exhibit P-5	बयान श्रीमती सज्जना तथा फर्द सुपुर्दगी लाश
6	Exhibit P-6	पूछताछ नोट
7	Exhibit P-7 to 10	फोटोग्राफ गाडी एल्टो सं. आरजे 10 सीए 7618
8	Exhibit P-11	फर्द बरामदगी लाश
9	Exhibit P-12	फर्द सूरत हाल लाश
10	Exhibit P-13	फर्द जब्ती एक शर्ट
11	Exhibit P-14	फर्द जब्ती कार एल्टो
12	Exhibit P-15	फर्द जब्ती डी.एल अजयराज
13	Exhibit P-16, 16 ए	नक्शामौका व हालातमौका

		बरामदगी स्थल विरेंद्र उर्फ चिनू
14	Exhibit P-17	फर्द गिरफतारी अजयराज सिंह
15	Exhibit P-18, 18 ए	नक्शामौका व हालातमौका घटनास्थल विरेंद्र उर्फ चिनू
16	Exhibit P-19, 19A	नक्शामौका व हालातमौका मार्क बी विरेंद्र उर्फ चिनू
17	Exhibit P-20	फर्द जब्ती सिम कार्ड
18	Exhibit P-21	फर्द गिरफतारी विरेंद्र उर्फ चिनू
19	Exhibit P-22	फर्द जब्ती टूटा हुआ मोबाईल अजय राज सिंह
20	Exhibit P-23, 23 ए	नक्शामौका व हालातमौका बरामदगी स्थल अजयराज सिंह
21	Exhibit P-24	फर्द जब्ती कोट व जले हुए पर्श के अवशेष
22	Exhibit P-25, 25 ए	नक्शामौका व हालातमौका बरामदगी स्थल अजयराज सिंह
23	Exhibit P-26, 27, 28	फर्द तस्दीक घटनास्थल अजयराज सिंह
24	Exhibit P-29	फर्द बरामदगी एक मफलर
25	Exhibit P-30, 30 ए	नक्शामौका व हालातमौका बरामदगी स्थल अजयराज सिंह
26	Exhibit P-31	फर्द बरामदगी एक बटन
27	Exhibit P-32	मालखाना रजिस्टर
28	Exhibit P-33	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
29	Exhibit P-34, 35	अग्रेषण पत्र
30	Exhibit P-36, 37	जमा प्राप्ति रसीद
31	Exhibit P-38	प्राप्ति रसीद
32	Exhibit P-39	एफएसएल रिपोर्ट
33	Exhibit P-40	घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट
34	Exhibit P-41 से 46	फोटोग्राफस कार
35	Exhibit P-47, 47 ए	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र

36	Exhibit P-48, 51, 52	धारा 27 भा०सा०अधि० इतिला विरेंद्र उर्फ चिनू
37	Exhibit P-49	प्रभारी एफएसएल यूनिट चूरू को वाहन के निरीक्षण बाबत भेजा गया पत्र
38	Exhibit P-50, 53, 54, 55, 56	धारा 27 भा०सा०अधि० इतिला अजयराज सिंह
39	Exhibit P-57	फर्द जब्ती आर.सी वाहन कार
40	Exhibit P-58, 59	आर.सी की प्रमाणित प्रति
41	Exhibit P-60	बिजली बोर्ड पिलानी को दिया गया पत्र
42	Exhibit P-61, 62	विद्युत विभाग पिलानी द्वारा बिजली फाईल के पैसे जमा कराने की रसीदें
43	Exhibit P-63	रोजनामचा
44	Exhibit P-64	फोटोग्राफस का पत्र
45	Exhibit P-65	सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर को राय बाबत भेजा पत्र
46	Exhibit P-66	ऐतराज पूर्ति बाबत पत्र
47	Exhibit P-67	जब्तशुदा पैकेट की एफएसएल रिपोर्ट
48	Exhibit P-68	शिव भोले मोबाईल प्वाइंट का मोबाइल संबंधी बिल
49	Exhibit P-69, 70	चिट दस्तख्ती
50	Exhibit P-71	टोकन
51	Exhibit P-72 से 75	चिट दस्तख्ती
52	Exhibit P-76	प्राप्ति रसीद
53	Exhibit P-77	मोबाइल की कॉल डिटेल बाबत एसपी चूरू को लिखा गया पत्र

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit D-1	धारा 161 सीआरपीसी के

		बयान महावीर सिंह
2	Exhibit D-2	धारा 161 सीआरपीसी के बयान सज्जना देवी
3	Exhibit D-3	धारा 161 सीआरपीसी के बयान छोटूराम
4	Exhibit D-4	धारा 161 सीआरपीसी के बयान रामपाल
5	Exhibit D-5	धारा 161 सीआरपीसी के बयान राकेश कुमार
6	Exhibit D-6	धारा 161 सीआरपीसी के बयान रघुवीर

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
----	Nil	---

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1	MO 1	कपडे की थैली मार्क ए
2	MO 2	सिम कार्ड
3	MO 3	कपडे की थैली मार्क बी
4	MO 4	डी.एल अजयराज सिंह
5	MO 5	कपडे की थैली मार्क सी
6	MO 6	एक शर्ट मृतक संदीप
7	MO 7	कपडे की थैली मार्क डी
8	MO 8	टूटा हुआ कीपेड मोबाईल
9	MO 9	कपडे की थैली मार्क ई
10	MO 10	कोट व पर्स के जले हुए अवशेष
11	MO 11	कपडे की थैली मार्क एफ
12	MO 12	एक मफलर
13	MO 13	कपडे की थैली मार्क एक्स
14	MO 14	एक बटन

- निर्णय - दिनांक- **04.05.2023**

1- हस्तगत प्रकरण श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जिला चूरू द्वारा ट्रांसफर पीटीसन सं. 73/2019 अजयराज सिंह बनाम सरकार आदेश दिनांक 11.11.19, पत्रांक 650 दिनांक 13.11.19 की अनुपालना में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1 राजगढ जिला चूरू से अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दिनांक 27.11.2019 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी महावीर सिंह पुत्र नारायणराम निवासी सुखाबास ने पीएस हमीरवास के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी-1 इस आशय की प्रस्तुत की, कि उसकी इकलौती संतान संदीप उम्र 23 साल है। दिनांक 23.02.18 को उसका लडका संदीप सुबह करीब 11 बजे पिलानी गया था। पिलानी में उसका मकान है, जिसकी देखरेख व अन्य कार्य कर वक्त 4 पीएम पर बस द्वारा पिलानी से सांखणताल प्राइवेट बस में रवाना हुआ, जिसके साथ घर का कोई परिजन नहीं था। वक्त 5.15 पीएम पर सांखणताल उतरकर पैदल रवाना हुआ, जिसे रास्ते में लीलाधर पुत्र बनवारी मेघवाल ने देखा। उसके बाद वह घर नहीं पहुंचा तो उसने और परिवार वालों ने तलाश किया। सुबह सांखणताल के ग्रामीणों ने बताया कि उसका लडका गुम हुआ या अपहरण कर अपराध किया है। इसके पश्चात उन्होंने थाने पर रिपोर्ट दी तथा स्वयं के स्तर पर पता किया तो मालूम हुआ कि विरेंद्र उर्फ चिन्नू और अजय को उस दिन पिलानी उसके मकान व चिन्नू के मकान पर साथ देखा था। उसे शक है कि यह उसके दोस्त अन्य आदि ने गांव जाते रास्ते में उसका अपहरण किया है। दोनों शराब पीते हैं तथा आपराधिक प्रवृति के हैं। उन्हें पता चला कि प्लाट पर कब्जा कर या फिरौती करने की बात सामने आयी है। संदीप के पास स्वयं का एवं उसके पिताजी का एटीएम था। करीब 50,000 रूपये भी थे....आदि आदि पर कार्यवाही का निवेदन किया।

3- उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना हमीरवास द्वारा एफआईआर संख्या 29/2018 दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज सिंह अन्तर्गत धारा 364, 364(क), 365, 302, 201/34 भा.द.सं. में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो बाद प्रसंज्ञान उपार्पित होकर प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनकर अभियुक्तगण विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 364, 302/34, 201/34 भा.द.सं. पृथक से विरचित कर

सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4- अभियोजन पक्ष ने अपनी साक्ष्य में पी.ड.-1 लगायत पी.ड.-25 साक्षी परीक्षित करवाए गए और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शपी-1 लगायत प्रदर्शपी-77 प्रदर्शित करवाये गये। वहीं प्रतिरक्षा दस्तावेज के रूप में प्रदर्श-डी 1 लगायत प्रदर्श-डी 6 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। आर्टिक्ल-1 लगायत आर्टिक्ल-14 भी प्रदर्शित करवाये गये।

5- अभियुक्तगण विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. किया गया, जिसमें अभियुक्त अजयराज ने उसके विरूद्ध आयी साक्ष्य से इंकारी कर सभी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताकर उसे झूठा फंसाना बताया। वहीं अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू ने भी स्वयं को झूठा फंसाना बताकर उसकी मृतक संदीप से कोई रंजिश नहीं होना बताया तथा पुलिस द्वारा असल दोषी को बचाने के लिए उसके विरूद्ध झूठी साक्ष्य तैयार करना जाहिर किया। साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं करनी चाही।

6- बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा अधिवक्ता परिवादी ने सम्मिलित रूप से लिखित बहस पेश कर मुख्य रूप से तर्क दिया कि परिवादी की पत्नी ने दिनांक 24.02.18 को थाना हमीरवास में गुमशुदगी दर्ज करवायी और उसके अगले दिन मृतक के पिता महावीर सिंह ने मुकदमा दर्ज हेतु लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी-1 दर्ज करवायी एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान घटना में काम में ली गई अल्टो कार सं. आरजे 10 सीए 7678 से एक सिमकार्ड मिला, जो संदीप का होना पाया गया। अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू ने धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इतिला में स्वयं बताया कि उसने व अजयराज ने दिनांक 23.02.18 की रात्रि को संदीप का गला घोटकर कुएं के अंदर डाला था। संदीप को लाश को मौका पर शिवराम ने शिनाख्त भी किया। उक्त लाश के निरीक्षण के समय उसके नीचे मुलजिम अजयराज सिंह का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला था। दिनांक 10.03.18 को मुलजिम विरेंद्र उर्फ चिन्नू की जब्तशुदा गाडी अल्टो कार से एक बटन एफ-99 भी बरामद किया गया। दिनांक 11.03.18 को मृतक संदीप की लाश का पांच व्यक्तियों की मौजूदगी में पंचायतनामा तैयार किया, सीएचसी राजगढ से मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका परीक्षण कर मृतक के विसरा लेकर एफएसएल भिजवाये एवं उस रिपोर्ट में विसरा में कोई एल्कोहल नहीं होना पाया गया। दौराने पोस्टमार्टम मृतक संदीप की एक शर्ट कब्जा पुलिस ली जाकर

उसकी लाश को मौतवीरान के समक्ष सुपुर्द किया गया। दिनांक 13.03.18 को मुलजिम विरेंद्र उर्फ चिन्नू ने धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इतिला में बताया कि उसने व अजयराज सिंह ने संदीप को उसकी गाडी में बैठाया, उसे गला घोटकर मारा। मुलजिम अजयराज सिंह ने बाद गिरफतारी अनुसंधान अधिकारी को एक टूटा हुआ मोबाईल सरकंडों से निकालकर पेश किया, जो मोबाइल उसने संदीप का होना बताया। मुलजिम अजयराज सिंह ने धारा 27 भा0 सा0 अधि0 के तहत उसके व विरेंद्र द्वारा संदीप का पर्स व कोट जलाने की इतिला दी, जिनके जले हुए अवशेष जब्त किये गये।

7- आगे विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता परिवादी का यह भी तर्क है कि मुलजिम अजयराज सिंह ने भी उसके व विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा मृतक संदीप को गाडी में बैठाने, उसे गला घोटकर मारने, लाश कुएं में डालने, एक मफलर गांव किरतान में छुपाने की इतिला दी। वाहन कार अल्टो की आरसी आरोपी विरेंद्र के नाम से है। अनुसंधान अधिकारी ने संदीप द्वारा बिजली विभाग पिलानी को घरेलू मकान कनेक्शन बाबत जमा करवायी गयी फाईल की प्रति, परिवादी द्वारा संदीप के मोबाईल खरीद का बिल पेश करने, मोबाईल नं. 9001104799 व 8769959631 की कॉल डिटेल प्राप्ति बाबत पत्र व धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र, गवाहान के बयानात शामिल पत्रावली कर बाद अनुसंधान मुलजिमान विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण में कुल 25 गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध की गयी एवं प्रदर्शपी-1 लगायत प्रदर्शपी-76 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये एवं आर्टिकल 1 लगायत 14 डलवाये गये। गवाहान की साक्ष्य, प्रस्तुत दस्तावेजात से दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पूर्ण रूप से प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को सख्त सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। उक्त तर्कों के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये-

1. 2013 (suppl.) Cr.L.R. (SC) 446
   सनाउल्लाह खान बनाम बिहार राज्य
2. 2017 (suppl.) Cr.L.R. (SC) 698
   मुकेश आदि बनाम एन.सी.टी दिल्ली राज्य
3. 2013 (suppl.) Cr.L.R. (SC) 593
   रूमी बोरा दत्ता बनाम असम राज्य
4. 2006 Cr.L.R. (SC) 641
   प्रफुल्ल सुधाकर परब बनाम महाराष्ट्र राज्य

5. 2013 Cr.L.R. (SC) 411
प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य

6. 2015 Cr.L.R. (Raj.) 1993
दीपक बनाम राजस्थान राज्य

7. 2014 (3) Cr.L.R. (Raj.) 1208
महावीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य द्वारा पब्लिक प्रोसीक्यूटर

8. 2008 (1) R.Cr.D. (Raj.) 377
अर्जुन राम बनाम राजस्थान राज्य

9. 2017 (2) Cr.L.R. (Raj.) 594
दातर सिंह बनाम राजस्थान राज्य

8- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि प्लॉट की रंजिश को किसी भी प्रकार से अभियोजन ने साबित नहीं किया है। परिवादी तथा उसके हितबद्ध गवाहों के कथनों में लगातार सुधारात्मक परिवर्तन आए हैं, प्रार्थना पत्र वर्णित फोन नंबर की कोई Call Details नहीं निकलवाई गयी है, सभी गवाहों की साक्ष्य से कोई संयोजन या कडियां पूर्ण नहीं होती है। चिकित्सकीय साक्ष्य से भी बरामद लाश की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। लाश की बरामदगी का समय व गवाहों के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। सभी बरामदगियों में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं रखा गया है। अभियोजन की साक्ष्य से संदेह से परे कोई मामला सिद्ध नहीं होता है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होना बताकर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। उक्त तर्कों के संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये-

1. Criminal Appeal No. 1485/2009
भाग सिंह आदि बनाम पंजाब राज्य

2. 2016 (2) Cr.L.R. (Raj.) 801
दिलीप कुमार बनाम राजस्थान राज्य

3. 2018 (2) CJ(Cri.) (Raj.) 1003
धाकू बनाम राजस्थान राज्य आदि

4. 2021 (1) Cr.L.R. (Raj.) 209
रानू उर्फ रजनीश शर्मा बनाम राजस्थान राज्य

5. 2017 (1) Cr.L.R. (Raj.) 364
ईश्वर सिंह बनाम राजस्थान राज्य

6. 2019 (2) CJ(Cri.) (Raj.) 1117
कानाराम बनाम राज्य
7. 2017 (4) CJ(Cri.) (SC) 931
गणपत सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य
8. 2015 (2) Cr.L.R. (Raj.) 669
राजन सिंह बनाम राजस्थान राज्य

9- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त अजयराज सिंह ने लिखित बहस प्रस्तुत कर मौखिक बहस में उक्त बहस के तर्कों की पुनरावृति करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा मृतक को अंतिम बार देखे जाने बाबत गवाह पी0ड0-10 रघुवीर को पेश किया गया है, जिसकी साक्ष्य किसी प्रकार से मान्य नहीं है क्योंकि अभियुक्त को बापर्दा गिरफतार नहीं किया गया, ना ही उसकी कोई पहचान परेड करवायी गयी, ना ही इस गवाह ने धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में कोई पहचान चिन्ह बताया है। अभियोजन व अनुसंधान अधिकारी के अनुसार दो संदिग्ध व्यक्तियों के नाम अजयराज व राकेश सामने आये, परंतु उनकी कोई पहचान नहीं करवायी गयी। अभियोजन के अनुसार लाश निकालने वाला गवाह पी0ड0-8 रामनिवास ने मृतक संदीप की लाश के पास अजयराज सिंह का डीएल मिलने का कोई समर्थन नहीं किया है और ना ही धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में ऐसा कोई हवाला है। गवाह शिवराम ने भी डीएल के बारे में कुछ नहीं बताया। उक्त डीएल में दर्ज पता व अजयराज का पता अलग अलग है तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा डीएल में अंकित पते के व्यक्तियों से किसी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा बरामदशुदा बताये गये मोबाईल की पहचान ना तो दौराने अनुसंधान की गयी है और ना ही न्यायालय में परिवादी पक्ष से करवायी गयी है। मोबाईल फोन की बरामदगी इतिला के करीब दो दिन बाद की गयी है, जिसका कोई कारण नहीं बताया गया है। मृतक के पिता द्वारा जो बिल पेश किया है, उसमें सेमसंग कंपनी का मोबाईल होना दर्शित है जबकि फर्द जब्ती प्रदर्शपी-22 में किसी कंपनी का नाम नहीं था। इसी प्रकार बरामदशुदा जले हुए कोट व पर्स के अवशेष की भी कोई पहचान नहीं करायी गयी है और ना ही उक्त सामान बरामद होने बाबत कोई अंकन रोजनामचा में किया गया है।

10- आगे अधिवक्ता अभियुक्त अजयराज का बहस में यह भी तर्क रहा कि अभियोजन के अनुसार मृतक संदीप की हत्या गला घोटकर करना बताया

गया है जबकि चिकित्सकीय साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी-33 के अनुसार मृतक की मृत्यु की अवधि 10 से 14 दिन की थी तथा उक्त पीएमआर के अनुसार मृत्यु दिनांक 25.02.18 या 26.02.18 को हुई है। उक्त दिनांक को अभियुक्त अजयराज, संदीप के साथ हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। मृतक की लाश डीकम्पोज हो जाने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पायी थी, जिससे लाश मृतक संदीप का होना साबित नहीं होता है। उक्त सभी तथ्यों एवं कारणों के चलते अभियोजन की कहानी अभियुक्त अजयराज की हद तक साबित नहीं होती है, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। उक्त तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये-

1. 2022 Live Law (SC) 582
अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य
2. 2009 (Suppl.) Cr.L.R. (SC) 713
टीपाराम प्रभाकर बनाम आंध्रप्रदेश राज्य
3. 2015 (2) C.J(Cri.) (Raj.) 873
सोहन उर्फ सोवन बनाम राजस्थान राज्य
4. 2017 (1) Cr.L.R. (Raj.) 451
धर्मेंद्र बनाम राजस्थान राज्य
5. 2016 (4) C.J(Cri.) (SC) 1143
कला उर्फ चंद्रकला बनाम राज्य
6. 2010 (3) C.J(Cri.) (Raj.) 1219
मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य
7. 2016 (1) C.J(Cri.) (SC) 186
कर्नाटक राज्य बनाम चांदभाषा
8. 2016 (2) C.J(Cri.) (Raj.) 670
राजस्थान राज्य बनाम तीजो
9. 2016 (3) C.J(Cri.) (SC) 758
रामप्रकाश उर्फ जालीम बनाम छत्तीसगढ राज्य

11- उभयपक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया। प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दू यह है कि-

'' आया अभियुक्तगण ने दिनांक 23.02.18 को वक्त सायं 5.30 बजे या उसके लगभग सरहद मौजा सांखणताल में मृतक संदीप की हत्या करने का सामान्य आशय रखते हुए संदीप को एल्टो कार सं आरजे 10 सीए 7618 में बैठाकर उसका अपहरण कर तिलोकाना जोहड में ले जाकर संदीप की मफलर से इस आशय व ज्ञान से कि उसकी हत्या की जावे, गला घोटकर उसकी हत्या कारित की तथा बाद हत्या उक्त अपराध के साक्ष्यों को विलोपित करने के लिए संदीप के शव को ठिमाउ छोटी की रोही में ले जाकर वहां बने कुएं में डालकर हत्या के अपराध की साक्ष्य को विलोपित किया ?''

यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड से दायी होंगें ?

12- उक्त अवधार्य बिन्दू के निस्तारण हेतु अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल **25 गवाहों** को परीक्षित करवाया गया है। जिसमें साक्षी **पी0 डब्ल्यू. 1 महावीर सिंह, जो एफआईआर कर्ता है**, ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि संदीप उसकी इकलौती संतान थी। दिनांक 23.02.18 की बात है। उक्त दिनांक को सुबह 10 बजे गांव से पिलानी के लिए बस से निकल गया और 11 बजे पिलानी पहुंच गया। उसका लडका संदीप पिलानी में उनके मकान की देखरेख व विद्युत विभाग में कनैक्शन की फाईल जमा करवाने हेतु गया था। जब वह प्लाट पर देखरेख कर रहा था तो वहां विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय भी मौजूद थे। उसका लडका प्लाट की देखरेख करने के बाद विद्युत विभाग पिलानी में बिजली कनेक्शन की फाईल जमा करवाने चला गया। उस रोज उसका लडका वापस घर नहीं आया। वह उस दिन डयूटी पर झुंझनूं गया हुआ था तब उसकी पत्नी ने उसके पास 2 बजे फोन कर बताया कि उसके पास बच्चे का फोन आया है और उसने कहा कि उसे विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय जान से मारने की धमकी दी है तथा 15,00,000 रूपये मांग रहे हैं। उसी दिन उसकी पत्नी ने उसे शाम करीब 7 बजे फोन कर बताया कि संदीप घर नहीं आया है तब उसकी पत्नी उसके छोटे भाई उम्मेद को कहा कि बच्चा 5-5.30 बजे घर आ जाता है लेकिन आज घर नहीं आया है, वह उसकी तलाश करे। उम्मेद व उसकी पत्नी सजना ने उनके गांव से साखणताल जो दो किमी दूरी पर है, तलाश की। फिर उसकी पत्नी ने दिनांक 24.02.18 को थाना में जाकर संदीप की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवायी। वह दिनांक 24.02.18 को शाम 7 बजे झुंझुनूं से घर आया और गांव साखणताल गया तथा लीलाधर पुत्र बनवारी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका बच्चा यहां 5.15 बजे बस स्टेण्ड बस से उतरकर गांव की तरफ गया था। रास्ता में उसके लडके को होशियार व मोती कोठियारी निवासी सांखणताल ने

गांव की तरफ जाते हुए देखा था। फिर उसने दिनांक 25.02.18 को पीएस हमीरवास में रिपोर्ट दर्ज करवायी, जो प्रदर्शपी-1 है। प्रदर्शपी-1 के आधार पर थाना में चाक एफआईआर प्रदर्शपी-2 दर्ज की गयी। घटना के दिन उसके लडके संदीप को पिलानी में उसके छोटे भाई छोटूराम व उसका लडका राकेश ने संदीप को विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय के साथ पिलानी में विद्युत विभाग में साथ ले जाते हुए देखा था, जिसके आधार पर उसे शक था कि उसके लडके को अजय व विरेंद्र उर्फ चिनू ही ले जा सकते हैं। वह दोनों को पहले से जानता था, जिसमें से विरेंद्र उर्फ चिनू उसके साले का लडका है। अजय राजपूत निवासी किरताण का है। उन्होंने पिलानी में प्लाट अमित से लिया था जो उसके साले के लडके विकास ने उसकी पत्नी सजना को दिलाया था। उनके लेने से पहले उक्त प्लाट का कब्जा दलीप राजपूत जो कि अजय का पिता है, ने कब्जा कर रखा था। यह प्लाट उन्हें अमित ने दिया था। घटना से पूर्व दोनों मुलजिमान की उसके लडके से कोई रंजिश नहीं थी। उनके प्लाट खरीदने के बाद उनसे रंजिश रखने लग गये थे। उसके लडके की हत्या विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय ने की है।

13- प्रतिपरीक्षण में गवाह महावीर सिंह का कथन है कि यह सही है कि दिनांक 24.02.18 को शाम 7 बजे तक वह झुंझनूं रहा था, फिर कहा 05.30 बजे बस में सवार होकर घर के लिए रवाना हो गया। उसकी दिनांक 24.02.18 को फोन पर बात हुयी, फिर उसने घर आकर उसकी पत्नी से बात की। यह सही है कि उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी परंतु उसमें क्या लिखवाया, उसे जानकारी नहीं है, उसे केवल गुमशुदगी रिपोर्ट बाबत बताया था। वह दिनांक 24.02.18 को पूछताछ करता पिलानी 03.30 बजे पहुंच गया था। पिलानी में उसे उसका छोटा भाई छोटूराम व उसका लडका राकेश मिले थे, फिर कहा वह पिलानी 23 व 24 तारीख को नहीं आया बल्कि 25 तारीख को पिलानी आया था। उसने दिनांक 25.02.18 को उसके लडके संदीप के बारे में सांखणताल के ग्रामवासियों से पूछताछ की थी। उसने लीलाधर, मोती, होशियार मीणा, नागर बस चालक, संजय बस कंडक्टर से पूछताछ की थी। बस पिलानी से सांखणताल तक आती है और वहीं रूकती है। चालक व कंडक्टर ने उसे बताया कि संदीप बस में आया था और सांखणताल के बस स्टेण्ड पर उतरकर घर की तरफ चला गया था। उसने थाना में दिनांक 25.02.18 को रिपोर्ट दी थी। फिरोती वाली बात उसने प्रदर्शपी-1 में लिखवायी है। यह सही है कि फिरोती वाली बात उसकी पत्नी के अलावा और किसी ने नहीं बतायी। उसने प्लाट वर्ष 2017 में खरीदा था। उसे छोटूराम व उसके लडके राकेश ने बताया

कि विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय पिलानी में संदीप के साथ थे। यह बात उसे दिनांक 23.02.18 को बतायी फिर कहा उसे तो दिनांक 25.02.18 को बताया था। कुएं पर शिवराम, उम्मेद व उसके भाई मौजूद थे और पुलिस वहां पर थी। उसने प्लाट अजय के पिता से नहीं खरीदा था बल्कि उसने तो कब्जा कर रखा था।

14- आगे गवाह महावीर सिंह का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि उसका लडका दिनांक 21.02.18 को जयपुर से घर आया। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि लडका प्लाट की देखरेख व बिजली के कनेक्शन बाबत पिलानी गया है। बच्चा दिनांक 23.02.18 को घर से गया था। आसमानी हल्के रंग की शर्ट, ग्रे रंग के बटन, घीया रंग का धागा व काला कोट व जूते पहने व सफेद बनियान पहन रखी थी, फिर कहा जूते लखानी कंपनी के थे। उसके झुंझुनूं होने के कारण उसकी पत्नी ने उसे बताया कि बेटे का फोन आया है कि विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय उसे मारने की धमकी दे रहे हैं और 15 लाख रूपये की फिरोती मांग रहे हैं। उसने दिनांक 23.02.18 को 2 बजे उसके भाई छोटूराम से संपर्क किया तथा उसे विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय द्वारा संदीप को जान से मारने व फिरोती मांगने वाली बात बतायी थी। छोटूराम ने उसे बताया कि उसका लडका दिन में उसके मकान की छत पर था तथा विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय विरेंद्र के भाई सुरेंद्र का मकान, जो उसके मकान के चिपते ही है, उसमें मौजूद थे। उसने 23 तारीख को छोटूराम को यह बात नहीं बतायी कि उसका बेटा शाम तक घर नहीं आया है, वह गांव में जाकर उसे ढूंढे। उसकी पत्नी दिनांक 24.02.18 को सुबह 10 बजे उसके छोटे भाई उम्मेद को लेकर हमीरवास थाने गयी, जिन्हें उसने सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करवाने भेजा था। उसने दिनांक 24.02.18 को सुबह उसकी पत्नी को थाना में सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली बात कही थी। 24 तारीख को छोटूराम उसके मकान पिलानी में था। उसने 24 तारीख को छोटूराम को थाने में जाने बाबत नहीं कहा बल्कि उसने 24 तारीख को छोटूराम से पूछा कि संदीप कहां है, उसे ढूंढो। विरेंद्र उर्फ चिनू उसके साले का लडका है, जिसने उसके पिता को भी नहीं छोडा तथा उसकी छाती में लात मारी, जिससे वह मर गया था। 23 व 24 तारीख को उसने व उसके भाइयों ने विरेंद्र उर्फ चिनू व उसके परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं किया। वह नहीं बता सकता कि उसकी पत्नी ने थाना की गुमशुदगी रिपोर्ट में क्या लिखवाया क्योंकि वह वहां मौजूद नहीं था। उसने 25 तारीख को उसके भाई छोटूराम के साथ शाम 07.44 मिनट पर रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। प्रदर्शपी-1 उसकी कलमी है, जिसमें 50 हजार रूपये व एटीएम वाली बात उसकी पत्नी ने उसे बतायी थी, इसलिए उसने लिखवायी थी। अमित

सुनार ने पहले प्लाट दलीप को दे रखा था, बाद में उसने कब्जा कर लिया था। जब वह सांखणताल के लीलाधर, होशियार सिंह मीणा, मोती कोठियारी व गाडी मालिक से मिला तो उसके साथ अन्य कोई नहीं था। उक्त सभी व्यक्तियों के घर बस स्टेण्ड के आस पास ही थे। वह उक्त लोगों से घर आने के बाद मिलने गया था। वह नहीं बता सकता कि छोटूराम से पुलिस ने उसके लडके बाबत कोई पूछताछ की या नहीं। उसकी व उसके बेटे की विरेंद्र उर्फ चिून व उसके परिवार वालों से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर कहा बाद में हो गयी थी।

15- **पी.डब्ल्यू. 2 सजना, जो मृतक की माता एवं मृतक की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर्ता है,** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसके एक इकलौती संतना संदीप है, जो संविदा पर बिजली विभाग जयपुर में नौकरी करता था और जयपुर रहता था एवं 15-20 दिन में गांव आता था। उसे 10 से 12 हजार रूपये सेलरी के मिलते थे, जो उसे ही लाकर देता था। जयपुर से संदीप 21.02.18 को उसके घर पर आया था। दिनांक 22.02.18 को उसके घर पर ही था। दिनांक 23.02.18 को सुबह 10 बजे पिलानी बस से गया था। उसे कहकर गया था कि वह बिजली की फाईल जमा करवाने व मकान की देखरेख करने पिलानी जा रहा है। उसके पति झुंझनूं जलदाय विभाग में नौकरी करता है, जो उस रोज 7 बजे झुंझनूं गये थे। उसके पास उसके पुत्र संदीप का 1-1.30 बजे फोन आया और कहा कि मम्मी वह जिस काम से गया था, वह कर रहा है तथा उसने यह बताया कि उसे अजय व विरेंद्र उर्फ चिनू जान से मारने की धमकी दे रहे हैं एवं मकान के लिए 15,00,000 रूपये मांग रहे है। उसने कहा कि बेटा घर आ जा और घर बैठकर बतलायेगें। उसने उस समय उसके पति को फोन कर कहा कि अजय और विरेंद्र उर्फ चिनू संदीप को जान से मारने की धमकी दे रहे है व मकान के लिए 15 लाख रूपये मांग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मकान दो या 15 लाख रूपये दो। इस पर उसके पति ने कहा कि आज तो उसके पास समय नहीं है, वह घर पर आकर बात करेगा। फिर दुबारा उसके पुत्र संदीप का 3-3.30 बजे फोन आया कि मम्मी वह 4 बजे वाली बस में बैठकर गांव आ रहा है। वह शाम को 7 बजे तक बाट देखती रही लेकिन संदीप घर पर नहीं आया तो उसने उसके पति को फोन किया और बताया कि संदीप घर पर नहीं आया है, इस पर उसके पति ने कहा कि इधर उधर संदीप कहीं रूक गया होगा। उसने संदीप के नंबर पर फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। इसके बाद उसने उसके देवर को कहा कि संदीप घर पर नहीं आया। सुबह उसके पति का फोन आया कि संदीप नहीं आया तो उम्मेद को साथ में

लेकर हमीरवास थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया। वह 12 बजे थाना पर गयी और थाने में रिपोर्ट दी, जो प्रदर्शपी-3 है जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। इस रिपोर्ट पर पुलिस कार्यवाही पर उसके वाई स्थान पर अंगूठा निशानी है। पुलिस ने रिपोर्ट 2-2.30 बजे लिखी थी। गुमशुदा पंजीकरण प्रदर्शपी-4 है। इसमें पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। प्रदर्शपी-5 उसके पुलिस बयान है। उसके आदमी व परिवार वालों ने इधर उधर पता किया था। 23 तारीख को रात्रि 9 बजे छोटूराम के बेटे राकेश ने उसे बताया कि दिन में संदीप पिलानी में अजय व विरेंद्र के साथ में था, जो गाडी में बैठाकर ले गये थे। दिनांक 26.02.18 को सुबह रघुवीर ने आकर उसे बताया कि वह दिन में रेवड चरा रहा था तो एक सफेद रंग की गाडी आयी थी, जिसमें विरेंद्र उर्फ चिनू था, जिसे वह जानता है। उसके साथ एक पतला सा लडका था, जिसने गले में कोका कोला कलर का मफलर डाल रखा था, जो संदीप को जबरदस्ती गाडी में डालकर ले गये। संदीप को इन लोगों ने मारकर ठिमाउ के कुएं में डाल दिया। संदीप को अजय व विरेंद्र ने ही मारा था। संदीप को प्लाट व 15 लाख रूपये की फिरौती के लिए मार दिया। मुलजिमान हाजिर अदालत है।

16- प्रतिपरीक्षण में गवाह सजना ने कथन किया है कि उसके पास 1.30-2 बजे फोन आया, जो उसने ही उठाया था। यह सही है कि उस समय उसे जो 15 लाख रूपये मांगने की बात कही, वह सही है। उसके पुत्र का फोन बंद आने पर उसे चिंता हुयी तो उसने लगभग 7.30 बजे उसके पति को फोन किया। वक्त 07.30 बजे जब उसने उसके पति को फोन किया तो उसी समय उसके पति का वापस फोन आया था। उसके पति को फिरोती मांगने व मारने वाली बात दोपहर में 01.30-2 बजे जब बात हुयी, तब बता दी थी। उसने उसके पति से 07.30 बजे बात की, तब उसके पति ने थाने जाने वाली बात नहीं की थी, सुबह उसके पति ने थाने जाने के लिए कहा था। सुबह 7 बजे जब उसके पति से बात हुयी तब उसके पति ने कहा कि उम्मेद को साथ ले जाकर हमीरवास थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। प्रार्थना पत्र थाने पर ही लिखा था, जो थानेदार ने लिखा था। प्लाट की फिरोती मांग रहे थे, जो 15 लाख रूपये थी, नहीं देने पर जान से मारेंगें। उसने जान से मारने वाली बात प्रार्थना पत्र में लिखायी थी, परंतु अनपढ होने के कारण उसे पता नहीं। उसके साथ उसका देवर गया था, जिसने प्रार्थना पत्र प्रदर्शपी-3 पर हस्ताक्षर किये थे तथा उसने पुलिस कार्यवाही पर अंगूठा लगाया था। उसका पति 24 तारीख शाम को घर पर आया था। इसके बाद शाम तक कोई फोन नहीं आया। शाम 7 बजे फोन आया था,

उसने आकर उससे कुछ नहीं पूछा। 25 तारीख को उसके पति रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने गये लेकिन समय का ध्यान नहीं है। यह सही है कि उसके पति ने मुकदमा 25 तारीख को दर्ज करवाया था तथा इसके बाद उसके बयान हुए। उसने उसके पुलिस बयान प्रदर्श-डी2 में ए से बी भाग में संदीप से 6-7 बार बात होने वाली बात गलत है, उसकी 23 तारीख को 2-3 बार बात हुयी थी, जो मकान व फिरोती को लेकर हुयी थी। उसने प्रदर्शपी-2 में मकान के अलावा फिरोती वाली बात भी लिखवायी थी, पुलिस ने क्यों नहीं लिखी, उसे नहीं पता।

17- आगे गवाह सजना ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसकी संदीप से अंतिम बार बात 23 तारीख को 3-3.30 बजे हुयी थी। संदीप 4 बजे वाली बस से रवाना हुआ था, यह बात उसके पुत्र संदीप ने उसे 3.30 बजे बतायी थी। उसे उसके पुत्र संदीप को उठाकर ले जाने वाली बात रघुवीर मीणा ने बतायी थी, फिर कहा रघुवीर मीणा नहीं जाट है। गाडी में डालकर ले जाने वाली बात रघुवीर जाट ने उसे बतायी थी, उस समय मारने वाली बात नहीं बतायी। उन्हें मुलजिमान पर शक नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने मारा है। इस तथ्य को गवाह ने गलत बताया है कि उसने व उसके पति ने उसके पुत्र को मजबूर किया हो, जिस कारण वह कुएं में जाकर मर गया हो। उसे याद नहीं है कि दिनांक 23.02.18 को पिलानी जाने के बाद उसके लडके ने उसे कितने बजे फोन किया लेकिन 01.30-2-02.30 बजे का समय होगा। संदीप की छोटूराम के दोनों लडकों के साथ अच्छी बोलचाल थी। दिन में उसके बेटे का फोन आने के बाद उसने उसके मोटयार को फोन किया था। उसके बेटे ने उसे फोन पर बताया कि वह जो काम गया था, वह कर रहा है और विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तथा प्लाट के लिए 15 लाख रूपये की फिरोती मांग रहे हैं। जब उसके बेटे ने उसे फोन किया तो वह विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय के साथ गाडी में बैठकर पावर हाउस जा रहा था। बात गंभीर थी लेकिन यह उसके पीहर का मामला था और विरेंद्र उसके भाई का लडका था।

18- फोन आने के बाद दिन में एक बार दोपहर व एक बार शाम को बात हुयी थी। उसका पति दिनांक 24.02.18 को शाम को घर आया था, तब अंधेरा हो चुका था। वह नहीं बता सकती कि 24 तारीख को उक्त लोग किस समय आये। उम्मेद स्वयं ही उसके घर आ गया था, जो 10-11 कक्षा तक पढा लिखा है। उम्मेद जब उनके घर आया, तब संदीप ने उसे फोन से जो बात बतायी, वह बात उसने उम्मेद को बता दी थी। उसे नहीं पता कि उम्मेद के उनके घर आने के बाद उम्मेद ने उसके पति से बात की हो। उसे तो उसके पति

ने उम्मेद को साथ ले जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने को कहा था। प्रदर्शपी-3 में उसने विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय द्वारा प्लाट पर कब्जा करने, जाने से मारने की धमकी व 15 लाख रूपये फिरोती मांगने वाली बात नहीं लिखवायी क्योंकि विरेंद्र उर्फ चिनू उसके सगे भाई का लडका था, इसलिए उसने बात दबा ली थी। अजय से उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, जब प्लाट लिया, तब से उसे जानते हैं। प्रदर्शपी-3 का सी से डी हिस्सा लिखवाया, उस समय उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। प्रदर्शपी-5 में उसने संदीप ने धमकी व फिरोती वाली बात उसने बतायी थी, वह उसने लिखवायी या नहीं, उसे नहीं पता, फिर कहा कि पीहर का मामला होने की वजह से उसने नहीं लिखवायी। 24 तारीख को उनके घर पहुंचने के बाद उसके पति आये थे। थाने से वापिस आते समय उनके तीन के अलावा और कोई साथ नहीं था। उसने उसके पुलिस बयानों में संदीप द्वारा उसे फोन पर विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय द्वारा 15 लाख रूपये फिरोती, प्लाट पर कब्जा व जान से मारने की धमकी देने वाली बात लिखायी थी, पुलिस ने क्यों नहीं लिखी, उसे नहीं पता। उसके लडके संदीप को विरेंद्र उर्फ चिनू व अजय द्वारा मारने वाली बात 10 तारीख को बतायी थी, जब थाने वालों ने विरेंद्र उर्फ चिनू का रिमांड लिया था। यह सही है कि विरेंद्र उर्फ चिनू की उनके साथ कोई रंजिश नहीं थी, फिर कहा कि प्लाट लेने के बाद वह उनसे रंजिश रखने लग गया था।

19- **पी.डब्ल्यू. 3 छोटूराम, जो मृतक के परिवार का सदस्य एवं मृतक के अंतिम दृश्य से संबंधित साक्षी है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि वह हाल पिलानी निवास करता है तथा उसका भाई महावीर गांव सुखावास में निवास करता है। दिसंबर 2017 में दलीप पुत्र बच्चन सिंह निवासी किरतान ने पिलानी में किसी प्लाट पर कब्जा कर रखा था, वह भूमि अमित सोनी की थी। उसके साले के लडके विकास ने उसकी बुआ सजना को नोटेरी से अमित से यही प्लाट 03 मार्च 2018 को दिलाया था। इस प्लाट के पास ही सुरेंद्र व विरेंद्र उर्फ चिन्नू का भी कब्जेशुदा प्लाट था। सजना ने बिजली की फाईल जमा करायी थी। दिनांक 23.02.18 को मृतक संदीप सुखावास से पिलानी बिजली की फाईल लेकर व मकान की देखरेख करने पिलानी आया था। दिन में साढे ग्यारह बजे के आस-पास पिलानी में सजना के खरीदशुदा प्लाट पर विरेंद्र उर्फ चिन्नू आया, वहां अभियुक्त अजय पहले से मौजूद था। उसका मकान वहां से लगभग 200 फीट की दूरी पर है। सजना के घर के आगे उस समय अल्टो कार खडी थी, तब उसका लडका राकेश अल्टो कार को देखकर सजना संदीप के मकान पर गया था, उस समय अजय व विरेंद्र उर्फ चिन्नू उस मकान पर संदीप के साथ

मौजूद थे। वह घर से बाहर दुकान पर आया हुआ था तब गाडी उसके पास रूकी थी, जिसमें अजय, संदीप व विरेंद्र उर्फ चिन्नू थे। संदीप ने कहा कि उसने डिमांड नोटिस जो विरेंद्र के पास है, को जमा करवाने बिजली विभाग जा रहा है। उसी दिन शाम को 7-7.30 बजे उसके पुत्र राकेश के पास सजना का सुखावास से फोन आया कि संदीप सुबह बिजली फाईल जमा करवाने व घरेलू काम के लिए पिलानी गया था और दिन में 2-2.30 बजे धमकी आयी थी और संदीप ने बताया कि माताजी उससे फिरोती व प्लाट मांग रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फिर सजना ने कहा कि संदीप का 3.30 बजे फोन आया था कि 4 वाली बस से आ रहा हूं, जो सांखण ताल रूकती है, उसमें आ रहा हूं परंतु अभी तक घर नहीं पहुंचा। उसे चिंता हो रही है, कृप्या तलाश करो। उसके बाद उन्होंने पिलानी में आस-पास बस स्टेण्ड पर उसने और उसके लडके राकेश ने संदीप को तलाश किया। जब वे तलाश कर रहे थे, तब विरेंद्र उर्फ चिन्नू मकान पर नहीं था और ना ही सजना के मकान पर कोई था। वह लगभग 8.30 बजे घर लौट आया और राकेश संदीप की देर रात तक तलाश करता रहा। उसी दिन रात को 9 बजे विरेंद्र उर्फ चिन्नू, सजना वाले मकान पर आया जो शराब के नशे मे धुत था, वह राकेश को मिला था। राकेश ने विरेंद्र से पूछा कि फोन बंद क्यों था तो उसने कहा कि वह कहीं गया हुआ था। राकेश ने विरेंद्र से पूछा कि संदीप भी आपके साथ दिन में 11.30-12 बजे बिजली विभाग गया हुआ था, जो अब कहां है तो विरेंद्र ने कहा कि उसने उसे शाम को 3 बजे पिलानी स्टेण्ड पर छोड दिया। राकेश ने विरेंद्र से कहा कि चलो संदीप की तलाश करते हैं तो विरेंद्र ने मना कर दिया। रात को राकेश साखण ताल व सुखावास मोटरसाइकिल लेकर तलाश करने गया। साखण ताल में जहां बस रूकती है, वहां लीलाधर पुत्र बनवारीलाल मिला और संजय कंडेक्टर को पूछा कि संदीप उनकी बस में अया था क्या तो लीलाधर व संजय ने कहा कि संदीप बस में आया था, जो साखण ताल उतरा था, वहां से पैदल ही सुखावास गया था। वहां मोती व होशियार ने भी यही बात बतायी। होशियार सिंह ने कहा कि वह रेवड चरा रहा था तो संदीप को सुखावास की तरफ जाते हुए देखा था। होशियार सिंह ने राकेश को बताया कि एक काले शीशे की कार बार बार जा रही थी और आ रही थी। वहां से पूछताछ करके राकेश उसकी मौसी के पास सुखावास गया और अगले दिन राकेश पिलानी आ गया।

20- आगे गवाह पी.डब्ल्यू. 3 छोटूराम का मुख्य परीक्षा में कथन है कि 24 तारीख को वह सवेरे सुखावास व साखण ताल गया और वहां संदीप की

तलाश की तो वहां लीलाधर, मोती, होशियार सिंह मीणा, बस कंडक्टर संजय से पूछताछ की तो सभी ने बताया कि संदीप साखणताल से सुखावास की ओर पैदल गया था। एक काले शीशे की कार साखणताल व सुखावास के बीच 4, 5, 6 बजे घूम रही थी, फिर कहा कि 5.30 बजे के बीच घूम रही थी। फिर वह सुखावास गया। उसने घर पर भाई उम्मेद सिंह पुत्र नारायण राम से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह भी संदीप की तलाश करने के लिए रात को साखणताल गया था। संदीप की मां ने कहा था कि संदीप की तलाश करके आओ। उम्मेद ने भी लीलाधर, नागर, संजय, होशियार आदि से पूछताछ की तो उन्होंने भी यही बात बतायी कि संदीप बस स्टेंड से पैदल गया था। फिर उम्मेद ने उसे बताया कि साखण ताल व सुखावास के बीच होशियार सिंह रेवड के पाली ने उम्मेद को बताया कि एक कार रूकने की आवाज आयी थी। उसने स्वयं ने वहां तलाश किया और उम्मेद ने भी तलाश किया। वहां पर गाडी मुडने के निशान थे। सुखावास में उसका भाई महावीर झुंझुनूं डयूटी पर गया हुआ था। महावीर ने घर परिजनों को बताया कि वह तलाश करे। 24 तारीख शाम को महावीर घर आया और सांखण ताल आया, वहां लीलाधर, होशियार सिंह, मोती व संजय कंडक्टर से मिला। उन्होंने महावीर को कहा कि संदीप सुखावास की तरफ गया था। दिनांक 25 को वह सुखावास गया। महावीर व उसने गहरायी से तलाश किया। उसने व उसके पुत्र राकेश ने महावीर को बिजली विभाग जाने की बात बतायी थी। उन्होंने महावीर को बताया था कि संदीप अल्टो गाडी से बिजली विभाग गया था, जिसके शीशे काले थे। दिनांक 24.02.18 को उम्मेद व सजना ने थाने में संदीप की तलाश का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें प्लाट पर कब्जा, हत्या व फिरोती की बात लिखवायी थी। दिनांक 23 व 24 तारीख को जब संदीप की तलाश की गयी, तब संदीप का फोन बंद आ रहा था। दिनांक 24.02.18 को वह सुखावास में तलाश कर पिलानी आ गया था। पिलानी से वह 2.30-3 बजे थाना गया था, उस समय सजना पर पीहर पक्ष का थाने में दबाव बना हुआ था। विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय दोनों थाने में ही थे।

21- दिनांक 25.02.18 को महावीर, उसने, व उम्मेद ने गहरायी से तलाश किया तो राकेश पुत्र जगदीश ने बात बतायी कि उसे पिलानी में संदीप बस स्टेण्ड पर मिला था। जो दिनांक 23.02.18 को करीबन 3 बजे मिला था, तब राकेश पुत्र जगदीश बस में बैठकर गांव आ रहा था। उस समय राकेश के पास संदीप का फोन आया कि संदीप को विरेंद्र उर्फ चिन्नू धमकी दे रहा है। जब संदीप साखणताल व सुखावास के बीच था, तब लगभग 5.30 बजे संदीप ने

राकेश पुत्र जगदीश को फोन करके कहा कि विरेंद्र उर्फ चिन्नू उसके पीछे पडा हुआ था तो राकेश ने कहा कि उसे कल समझा देंगे। दिनांक 25.02.18 को उसने व महावीर ने अच्छी तरह जांच की तो उन्हें पूरी पूरी शंका हुई कि विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय दोनों ने संदीप का अपहरण किया है और फिर 25 तारीख को थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। 26 तारीख को वह सुखावास गया हुआ था, तब रघुवीर पुत्र फूलाराम ने बताया कि वह सुखावास की तरफ रेवड ले जा रहा था, तब संदीप रोड रोड गांव की तरफ जा रहा था। तब पीछे से अल्टो कार आई, जिसमें धक्का देकर संदीप को बैठाते हुए उसने देखा था। जिसमें से विरेंद्र उर्फ चिन्नू को जानता है जो उसकी बुआ के पास आता जाता रहता है। रघुवीर ने बताया कि विरेंद्र के साथ एक लडका और था। फिर रघुवीर रेवड मोडने लग गया तब गाडी सुखावास की तरफ चली गयी। रघुवीर ने बताया कि दिनांक 24 व 25 को गांव गया हुआ था। 25 तारीख शाम को रघुवीर घर आया तब उसने गांव में सुना कि संदीप सुखावास व साखणताल के बीच में गायब हो गया। यह बात रघुवीर ने दिनांक 26.02.18 को उसे व घर पर महावीर व सजना को बतायी। उन्हें पूरा पूरा शक है कि विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय ने अपहरण करके संदीप की हत्या कर शव कुएं में डाल दिया। उसके बाद दिनांक 10.03.18 को संदीप के शव का पोस्टमार्टम हुआ। संदीप की लाश उन्हें राजगढ अस्पताल में मिली, वहां पोस्टमार्टम हुआ। फर्द पंचनामा मृतक संदीप प्रदर्शपी-4 है जो उसके सामने तैयार किया था। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्शपी-5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। संदीप उसके माता पिता के अकेली संतान थी।

22- प्रतिपरीक्षण में गवाह छोटूराम ने कथन किया है कि वह पिलानी रहता है। संदीप जयपुर से आ चुका है, यह बात उसे 23 तारीख को पता चल गयी थी। 23 तारीख को सुबह 11.30 बजे संदीप के पिलानी आने का पता चल गया था। उसने स्वयं संदीप को विरेंद्र और अजय के साथ देखा था, उसके बाद संदीप को नहीं देखा। उसने संदीप को 23 तारीख को 11.30 बजे देखा था। यह बात उसने सजना, महावीर, उम्मेद को 24 व 25 तारीख को बतायी थी। 25 तारीख को उसने महावीर को संदीप के 23 तारीख को मिलने की बात बतायी थी। 24 तारीख को सुबह 9-10 बजे उसने सजना, उम्मेद को उनसे मिलकर बतायी थी। 23 तारीख शाम को 7 बजे सजना का उसके पास फोन आया जिससे उसे पता चला कि संदीप मिल नहीं रहा है, उस समय उसने महावीर से संदीप के बारे में बात नहीं की। वह 24 तारीख को सुखावास पहुंच गया क्योंकि लीलाधर के घर के पास बस खडी होती है। लीलाधर उसके घर बैठा चाय पी रहा

था। यह सही है कि वह बस से उतरते ही लीलाधर के घर गया और लीलाधर ने उसे बताया कि संदीप बस से उतरकर गांव की ओर गया था, उसके बाद वह उम्मेद के पास गया। वह करीब 10.30 बजे सुखावास पहुंच गया था। वह सांखणताल सुबह करीब 9 बजे बस से उतर गया था और 9-09.15 बजे लीलाधर से मिल लिया। सांखणताल से सुखावास की दूरी 2 किमी. है। उम्मेद से उसने संदीप की तलाश के बारे में पूछताछ की। उसने बताया कि वह रात को सांखणताल गया था और संदीप की मां ने बताया कि संदीप घर नहीं आया। उम्मेद ने यह बताया कि रात को संदीप को ढूंढने वह अकेला ही गया था, परंतु यह नहीं बताया कि वह संदीप को ढूंढकर रात को कितने बजे आया। वह उम्मेद के घर 2-3 घंटे रूका और चाय पानी पिया। वह उम्मेद के घर 10.30 बजे पहुंचा और 03.30 बजे बस से पिलानी आ गया था। महावीर ने उसे बताया कि वह होशियार, लीलाधर, मोती व संजय कंडक्टर से मिला। 24 तारीख की रात 8 बजे महावीर के घर गया तो महावीर सोया हुआ था एवं दुखी था। यह सही है कि वह पहली बार महावीर से 24 तारीख रात्रि में मिला था। लीलाधर ने महावीर को यह बताया कि कार सुखावास की तरफ से आ रही थी और जा रही थी। लीलाधर ने यह सब उसके घर से देखा था। होशियार ने महावीर को बताया कि वह सांखणताल की तरफ रेवड ला रहा था तब संदीप उसे सांखणताल से सुखावास के बीच मिला था, जिसकी दूरी नहीं बतायी और वहां काले शीशे की कार का आना जाना बताया। कार सुखावास की तरफ 5-05.15 बजे जानी बतायी। महावीर ने यह भी बताया कि वह मोती व संजय कंडेक्टर से मिला था। वह 24 तारीख रात को महावीर के घर सोया था और 25 तारीख को यह बात हुयी। 25 तारीख को महावीर से बातचीत कर वह महावीर को घर छोडकर सांखणताल आ गया और वहां होशियार सिंह, मोती, लीलाधर व बस कंडेक्टर संजय से मिला।

23- आगे गवाह छोटूराम का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि 25 तारीख को उसके पास लगभग 3 बजे महावीर आया था और वे हमीरवास थाना गये। महावीर व उसने तलाश की, वही बात प्रार्थना पत्र में लिखी थी। दरख्वास्त थाने में देकर वह और उसका भाई महावीर पिलानी आ गये। पुलिस में उसके दिनांक 26.02.18 को बयान हुए। उसने पुलिस को कब्जा व फिरोती की बात बतायी थी। प्रदर्श-डी3 पुलिस बयान में क्यों नहीं लिखी, उसे नहीं पता। महावीर ने 25 तारीख को बयान दिये। मृतक संदीप जयपुर में काम करता था, वहां और घर में अच्छी तरह रहता था। दिनांक 25.02.18 से 10 मार्च तक संदीप को उसने कहीं

तलाश नहीं किया बल्कि पुलिस तलाश कर रही थी। दिनांक 10.03.18 को पुलिस ने उसे बताया कि संदीप का शव कुएं में मिला है, जो वक्त करीब 3 बजे बताया। उसने संदीप के शव को पहली बार अस्पताल में देखा था। उसने संदीप को विरेंद्र व अजय के साथ गाडी में जाते हुए देखा। वह महिने दो महिने में गांव पिलानी आता जाता रहता है। वह पिलानी में उसके बच्चों सहित एक मकान में रिहायश करता है। उसके व उसके भाई महावीर के पिलानी वाले मकान की दूरी 200 फीट है। महावीर के चिपते विरेंद्र का मकान है, जिसमें विरेंद्र व उसका दोस्त अजय रहता था। विरेंद्र उसके सगे साले का लडका है, जो बदमाश गैंगवार प्रवृति का व्यक्ति था, इसलिए आना जाना नहीं था। विरेंद्र उर्फ चिनू के पास करीब साल से आना जाना नहीं था। उसके दो पुत्र राकेश व मूलचंद है। उसके पिलानी वाले घर से महावीर का मकान स्पष्ट दिखायी देता है। दिनांक 23.02.18 को वह उसके घर से लगभग 11 बजे दुकान के लिए निकला था। सब्जी की दुकान पर गया तब दुकान पर संदीप, विरेंद्र व अजय ने कार रोककर बात की थी। संदीप कार में पीछे बैठा था। गाडी विरेंद्र चला रहा था और संदीप व अजय पीछे बैठे हुए थे। संदीप ने उसे बताया कि उसका बिजली का डिमांड नोटिस विरेंद्र के पास है, जिसे वह जमा कराने जा रहा है। दिनांक 23.02.18 को पिलानी स्थित उसके घर संदीप, विरेंद्र व अजय कोई नहीं आया। 23 तारीख को रात 8 बजे महावीर के पिलानी वाले मकान में गया था। फोन आने के बाद राकेश ने उसे बताया कि संदीप घर नहीं पहुंचा। दिनांक 23.02.18 को पिलानी में बस स्टेण्ड व बिजली विभाग आदि कई जगह संदीप की रात को तलाश की थी, उस समय उसके साथ कोई नहीं था। राकेश अलग तलाश कर रहा था। 24 तारीख को पिलानी जाकर उसने किसी से फोन पर बात नहीं की बल्कि वह पिलानी विरेंद्र उर्फ चिनू के घर गया था, जो बंद था।

24- आगे गवाह पी.डब्ल्यू. 3 छोटूराम का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि 24 तारीख को राकेश पिलानी पहुंचा तो वह घर पर ही था। राकेश ने रात को लीलाधर, मोती, होशियार सिंह, राकेश पुत्र जगदीश व संजय से मिलना बताया। उसने 24 तारीख को थाने में सूचना नहीं दी बल्कि उम्मेद व सजना ने दी थी। उसे जानकारी है कि 24 तारीख को उम्मेद व सजना ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस दरख्वास्त में उन्होंने प्लाट पर कब्जा, फिरोती, हत्या व गाडी मुडने के बारे में बताया था। 25 तारीख को सुबह 10 बजे वह गांव आया था और महावीर के साथ मुकदमा दर्ज करवाने गया। जब मुकदमा दर्ज करवाया, तब तक उसे पता था कि संदीप सांखणताल से उतरकर सुखावास पैदल जा रहा था। संदीप का

शव उसने पास जाकर देखा था लेकिन उसे संदीप के शरीर पर कोई चोट दिखायी नहीं दी क्योंकि शव को काफी समय हो गया था। विरेंद्र उर्फ चिन्नू व उसके परिजनों से उसने फोन व व्यक्तिगत मिलकर कोई बातचीत नहीं की, फिर कहा वे गायब थे। रघुवीर उनके परिवार का नहीं बल्कि गांव का है जिसने उसे संदीप के बैठाने की जगह बतायी, वह गांव से कितनी दूर है, उसका ध्यान नहीं है। संदीप 23 तारीख को सांखणताल बस से आया था, यह बात संजय कंडेक्टर ने बतायी थी। 23 तारीख को संदीप उसे सब्जी की दुकान पर मिला था, उसके बाद बिजली विभाग के अलावा संदीप किसके साथ कहां गया, वह नहीं बता सकता। इस तथ्य को गवाह ने गलत बताया है कि विरेंद्र उर्फ चिन्नू के साथ उसकी ना बनती हो।

25- **पी.डब्ल्यू. 5 राकेश पुत्र छोटूराम, जो मृतक के अंतिम दृश्य से संबंधित साक्षी है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 23.02.2018 की बात है। संदीप जो उसकी मौसी का लडका है, वह जयपुर विद्युत विभाग में नौकरी करता है, जो विरेन्द्र उर्फ चिन्नू की बुआ का लडका है। वे परिवार सहित पिलानी रहते है और मौसी सजना और मौसाजी महावीर सुखावास रहते है। दिसम्बर 2017 में उसकी मौसी ने उनके प्लाट से 150-200 मीटर दूरी पर पिलानी में शांति नगर में प्लाट खरीदा था, जिसमें मकान बने हुये हैं। यह प्लाट अमित सोनी से खरीदा था। इस प्लाट पर अजय का पिता दलीप सिंह राठौड निवासी किरतान अवैध रूप से कब्जा करके बैठा था। दिनांक 23.02.2018 को संदीप उसके मकान की देख-रेख करने और बिजली का डिमाण्ड नोटिस जमा कराने पिलानी आया था। वह दिनांक 23.02.2018 को सुबह 11 बजे संदीप के मकान पर गया तो वहां पर सफेद रंग की अल्टो के 10 कार नम्बर आरजे 10 सीए 7618 खडी थी और वहां पर विरेन्द्र उर्फ चिन्नू और अजय, संदीप के मकान में थे। अजय के गले में कोका कलर का मफलर था, जिसके दोनों तरफ तीन तीन संफेद पटटी थी और दोनों तरफ धागे के झुग्गे थे। उसके बाद वह संदीप के पास से दूध, लस्सी लेकर घर आ गया। संदीप दूध, लस्सी उसके घर से लाया था। उसके बाद उसी दिन शाम को 7.30-8 बजे उसकी मौसी सजना का फोन आया कि संदीप घर नहीं पहुंचा है। उसने इधर उधर पता किया तो संदीप नहीं मिला। संदीप के फोन पर फोन करना चाहा तो उसका फोन बंद था और विरेन्द्र उर्फ चिन्नू का फोन भी बंद था। संदीप उन्हें नहीं मिला। फिर उन्हें दिनांक 10.03.2018 को पता चला कि संदीप की लाश ठिमाउ छोटी की रोही में संदीप का अपहरण करके विरेन्द्र उर्फ चिन्नू व अजय

ने लाश कुएं में डाली है। जब वह दिनांक 23.02.2018 को संदीप के मकान पर गया था, तब विरेन्द्र और अजय के साथ संदीप भी वहीं था।

26- प्रतिपरीक्षण में गवाह राकेश ने कथन किया है कि आईटीआई की पढाई के दौरान रोजाना संस्थान में जाना होता है, जिसका समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का है। वह दिनांक 22.02.18 को कॉलेज में गया था। मौसी का फोन आया तब वह घर पर था, उसके पास उसके माता-पिता मौजूद थे। उस समय उसकी बहिन भी मौजूद थी। उसकी मौसी का फोन शाम को 7.30-8 बजे आया, उस समय काफी अन्धेरा हो गया हो तो उसे ध्यान नहीं है। उसकी मौसी से बात होने के बाद उसने फोन पर हुई बात उसके माता-पिता व बहिन को बता दी थी। वह दिनांक 23.02.2018 को उसके मकान की छत पर घूम रहा था तो उसे संदीप के मकान के बाहर संफेद रंग की अल्टो गाडी खडी दिखाई दी, जिसे देखकर वह संदीप के घर गया। उसने संदीप के घर के आगे खडी गाडी को गौर से देखा था। उस गाडी के शीशे काले थे। संदीप, विरेन्द्र उर्फ चिन्नू, अजय, संदीप के घर के अन्दर खाट पर बैठे थे, कितनी खाट पर बैठे थे, ध्यान नहीं है। उस समय विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने नीले रंग की जींस व पीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। अजय ने नीले रंग की जींस व काले रंग की शर्ट पहन रखी थी। विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने संफेद रंग के ऐडीडास के जूते पहन रखे थे और अजय ने चप्पल पहन रखी थी। संदीप के मकान के पास विरेन्द्र उर्फ चिन्नू के भाई सुरेन्द्र पूनियां का मकान है, जो चिपता हुआ है। संदीप के मकान पर दलीप सिंह का कब्जा उन्होंने देखा था। दलीप सिंह वहां रहता था। उसने और उसके पिता ने दलीप सिंह से कहा था कि यह मकान उसके मौसा-मौसी का है, वह क्यों कब्जा करके बैठा है। उसे संदीप ने कहा कि वह डिमाण्ड नोटिस भरने बिजली बोर्ड विरेन्द्र और अजय के साथ जा रहा है, इसके अलावा संदीप ने और कुछ नहीं बताया। उसके मौसा-मौसी ने पिलानी वाला प्लाट दिसम्बर 2017 में लिया था। दिनांक 23.02.2018 को शाम को 7.30-8 बजे उसकी मौसी का फोन आने के बाद वह और उसके पिता संदीप की तलाश में पिलानी बस स्टेण्ड पैदल ही गये थे। वह थाने में 25 तारीख को बयान देने अकेला गया था। 25 तारीख को जब वह थाने में बयान देने गया तब वहां विरेन्द्र उर्फ चिन्नू था या नहीं, उसे ध्यान नही है। उसने उसके पुलिस बयान में यह बता दिया था कि संदीप के घर के आगे अल्टो के 10 गाडी खडी थी और संदीप के साथ अजय भी था। अजय के मफलर के कलर व अन्य जानकारी पुलिस को बता दी थी। प्रदर्श डी 05 में हिस्सा ए से बी में शाम 6 बजे मौसी का फोन आने की बात गलत है,

स्वंय कहा कि शाम 7.30-8 बजे फोन आया था। विरेन्द्र उर्फ चिन्नू, अजय व उसके दोस्तों ने संदीप की हत्या कर दी, यह बात उसे पुलिस ने दिनांक 10.03.2018 को बताई थी। यह कहना सही है कि विरेन्द्र उर्फ चिन्नू, अजय व उसके दोस्तों द्वारा संदीप का अपहरण व हत्या करने की बात वह पुलिस के बतायेनुसार बता रहा है।

27- **पी.डब्ल्यू. 9 राकेश कुमार पुत्र जगदीश, जो मृतक के अंतिम दृश्य से संबंधित साक्षी है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि संदीप उसकी बुआ का लडका है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में बिजली विभाग में प्राईवेट नौकरी करता था। उसकी बुआजी का लडका संदीप उसे पिलानी बस स्टेण्ड पर मिला था। समय करीब ढाई बजे उन्होंने पिलानी बस स्टेण्ड पर ज्यूस पिया था तथा उसके थोडी देर बाद वह बस से गांव के लिए चला गया था। संदीप को उसने वहीं पर छोड दिया था। वक्त 3.25 पीएम पर बस में उसके पास संदीप का फोन आया और उसने कहा कि वह कहां है तो उसने कहा कि वह साबु कॉलेज के पास है, घर के लिये निकल गया तब संदीप ने कहा कि वह वापस बस स्टेण्ड आ सकता है क्या? फिर उसने कहा कि वह तो अब घर के लिये निकल गया तो उसने संदीप से पूछा कि उसे वापस क्यों बुला रहे हो तो उसने कहा कि जब वह मिलेगा, तब बताएगा। फिर उसने दुबारा पूछा कि बताओ क्या बात हुई तो उसने कहा कि चिन्नु उर्फ विरेन्द्र आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, तब उसने कहा कि क्या बात हो गई। तब उसने कहा कि चिन्नु उर्फ विरेन्द्र को समझाना पडेगा तो उसने कहा कि ठीक है, वह विरेन्द्र उर्फ चिन्नु को समझा देगा। उसके बाद में फोन कट गया।

28- उसके बाद शाम को लगभग 5.30 बजे उसके पास संदीप का फोन आया कि वह कहां है तब उसने कहा कि वह घर पहुंच गया, तब संदीप ने कहा कि जल्दी पहुंच गये तो उसने कहा कि वह तो बाईक से आया था, इसलिए घर पहुंच गया। संदीप ने उसे कहा कि उसने चिन्नु उर्फ विरेन्द्र को समझाया क्या तो उसने कहा कि उसने तो नहीं समझाया, उसने तो कोई बात नहीं बताई फिर संदीप ने कहा कि उसे समझा देना। संदीप ने उसे कहा था कि चिन्नु उसे परेशान करता है। यह बात उसे उसने दिनांक 23.02.2018 को सुबह बताई, फिर कहा कि 22.02.2018 को शाम को बताई। उसने संदीप से पूछा था कि वह कहां है तो संदीप ने उसे बताया कि वह बस से उतर कर सांखणताल से पैदल गांव के लिये जा रहा है। संदीप की गुमशुदगी बाबत संजना ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसमें उससे पुलिस में पूछताछ हुई थी। पूछताछ नोट प्रदर्श पी 06 है जिस

पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **उनकी ये जो भी बाते हुई है, वे दिनांक 23.02.2018 को हुई है।**

29- प्रतिपरीक्षण में गवाह राकेश कुमार ने कथन किया है कि दिनांक 23.02.18 को वह पिलानी अकेला ही गया था। वक्त करीब 12-12.30 बजे का था। संदीप उसे पिलानी बस स्टेण्ड पर करीब 03.30 बजे मिला था। उस समय संदीप के साथ और कोई था या नहीं, वह नहीं बता सकता। पिलानी बस स्टेण्ड पर संदीप उसके साथ उस दिन लगभग पांच मिनट रूका था। बस स्टेण्ड से रवाना होने पर उसने संदीप को उसके साथ चलने के लिये नहीं कहा, स्वंय कहा कि उनके गांव अलग अलग है। उसके और संदीप के गांव का पिलानी से बस का रूट एक समान नहीं है बल्कि अलग-अलग है। वह संदीप को पिलानी बस स्टेण्ड पर ही छोड कर अपने गांव के लिये बस में बैठ गया था। दिनांक 23.02.2018 से पहले उसकी संदीप से कई बार बात हुई थी, जो सामान्य बातचीत होती थी। संदीप के घर नहीं पहुचने की बात उसे सबसे पहले बुआ सजना देवी ने फोन पर बताई थी। उसकी बुआ ने 23 तारीख को शाम को बताई थी, कितने बजे बताई, समय ध्यान नहीं है। बुआ का फोन आने के बाद उसने संदीप के बारे में मालूम करने की कोशिश की थी। संदीप को फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। विरेन्द्र उर्फ चिन्नू उसका भाई है। उसने 23 तारीख शाम को विरेन्द्र उर्फ चिन्नू को फोन किया था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। उसने प्रदर्श पी 06 में उसे संदीप के संबंध में जो भी जानकारी थी, वे समस्त बातें लिखवा दी थी। उसकी और संदीप की 23 तारीख को जो बात हुई थी, वे सभी बातें प्रदर्श पी 06 में लिखवा दी थी। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया है कि विरेंद्र उर्फ चिन्नू के परिवार से उनकी अनबन रही हो।

30- **पी.डब्ल्यू. 18 संजय कुमार, जो बस कंडेक्टर है,** ने यह साक्ष्य दी है कि वह बस में कण्डेक्टरी का काम करता है। बस पिलानी से साखण ताल चलती है। दिनांक 23.02.2018 को 4 बजे पिलानी से रवाना होकर साखण ताल लीलाधर के घर के आगे रूकी थी। उस दिन संदीप उनकी बस के केबीन में बैठा था। संदीप पुत्र महावीर जाति जाट निवासी सुखावास (चुड की ढाणी) का है। संदीप बस से लीलाधर के घर के आगे साखण ताल में लगभग 5.30 बजे उतरा था। बस से उतरने के बाद में संदीप अपने गांव सुखावास की ओर पैदल पैदल चला गया। उसके पास रात को फोन आया था, जिसने संदीप के बारे में पूछा था तो उसने उनको बता दिया था कि बस से उतर के चला गया। संदीप उसका गांव पडौसी होने के कारण जानता है। उसने 20-25 दिन बाद बात सुनी थी कि

संदीप कुएं में पडा मिला।

31- प्रतिपरीक्षण में गवाह संजय कुमार ने कथन किया है कि उससे पुलिस ने दिनांक 23.02.2018 को दोपहर में पूछताछ की थी। बस में आस पास के गांव की कोई सवारी नहीं थी, फिर कहा कि 1-2 सवारी गांव की थी।

32- **पी.डब्ल्यू. 7 लीलाधर, जो मृतक के बस से उतरने का साक्षी है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 23.02.2018 को वह उसके घर पर था। उसका घर रोड पर ही है। समय सायं करीब 5.15 बजे की बात है तब उसने संदीप को बस से उतरते देखा। उसके साथ उस समय मोती भी बैठा था, जो उसका पडौसी है। संदीप को वह जानता है, जो सुखावास का है। उसने संदीप को बस से उतरते हुये ही देखा था। संदीप महावीर का लडका है। संदीप बस से उतर कर रोड रोड चला गया। वह वहां घण्टे भर बैठा था। उसने एक गाडी जाती हुई देखी थी, जो सफेद रंग की थी। वह अनपढ है।

33- प्रतिपरीक्षण में गवाह लीलाधर ने कथन किया है कि वे 2-3 घंटे तक बैठे रहे, इस दौरान मोती भी उसके साथ था। वह जिस बस से संदीप का उतरना बताता है, वह बस पिलानी से चलती है और शाम 5.15 बजे सांखणताल में रूकती है। बस उसके घर के आगे ही रूकती है। उसने उस बस में से सिर्फ संदीप को उतरते हुये देखा, उस बस में अन्य कोई आदमी नहीं था, सिर्फ बस चालक था। बस रूकने के स्थान से उसके बैठने के स्थान की दूरी लगभग 30-35 फिट रही होगी। वह मोती के साथ उसके घर की व बाजरे की बात कर रहा था। वह नहीं बता सकता कि संदीप बस से उतरकर आगे कहां गया।

34- **पी.डब्ल्यू. 6 होशियार सिंह, जो वक्त घटना रेवड चराने व संदीप को सडक पर देखने का साक्षी है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि वह उनके गांव सांखण ताल व सुखावास की बीच की रोही में रेवड चराता है। वह पढा लिखा नहीं है। 23.02.18 को करीब दो साल पहले की बात है, वह शाम को 05.50 बजे साखण ताल व सुखावास की बीच की रोही में रेवड चरा रहा था। उसका रेवड रोड से आधा उत्तर व आधा दक्षिण दिशा में था। वह उस समय रोड पर खडा था। महावीर का बच्चा संदीप निवासी सुखावास आ रहा था, जो साखणताल से सुखावास जा रहा था। संदीप ने उससे पानी मांगा तो उसने कहा कि ले बेटा पी ले, उसके पास पानी थोडा है, फिर संदीप ने कहा कि वह गांव में जाकर पी लेगा। संदीप सुखावास की तरफ चला गया और वह 100 कदम दक्षिण दिशा में रेवड की तरफ चला गया। फिर 10-12 मिनट बाद साखणताल की तरफ से एक संफेद कलर की गाडी आई, जिसके शीशे काले थे,

जिसके अन्दर दो व्यक्ति बैठे थे। उस गाडी ने उसकी भेडों के पास जोर से ब्रेक लगाये तो उसने सोचा कि उसकी भेड मर गयी तो वह टीबे की ओर से भाग कर गया। टीबा सुखावास की तरफ पडता है, उसकी ढलान साखणताल की तरफ पडती है। गाडी में जो दो व्यक्ति बैठे थे, उनकी उम्र 30-25 लगभग रही होगी।

35- प्रतिपरीक्षण में गवाह होशियार सिंह ने कथन किया है कि जब वह रेवड चरा रहा था तो उसने एक ही गाडी देखी। उसने रेवड सुबह से शाम तक चराया। उस रोड पर उसने घण्टे भर रेवड चराया। उसने जब गाडी देखी तो वह रोड से दक्षिण की तरफ 100 कदम की दूरी पर था। जब गाडी निकली तो वह गाडी से 100 कदम की दूरी पर था। गाडी छोटी एवं संफेद रंग की थी। गाडी के शीशे काले थे। जब वह रेवड चरा रहा था, उस वक्त उसने कोई और आदमी को गुजरते हुये नही देखा। संदीप उसके गांव का नही है बल्कि सुखावास का है। वह रेवड धाणकों के खेत में चरा रहा था, जो माहदा धाणक का खेत था, स्वंय कहा कि इस खेत के बीच में से रोड जाती है। यह कहना सही है कि दूसरे महिने में चने की फसल होती है, स्वंय कहा कि उनकी रोही में उस समय कोई फसल नहीं हो रही थी। जब गाडी ने ब्रेक लगाये तो वह गाडी के पास नहीं पहुंचा था। वह उसकी रेवड को मोड कर वापस आने लगा तो गाडी टिब्बा पर चढकर ढलान में उतर गयी। वह बयान देने 9 से 11-12 के मध्य गया था। उसके साथ लीलाधर व मोती भी गये थे। गाडी ने ब्रेक उसके सामने मारे थे। उसकी नजर में वहां उसके अलावा अन्य कोई और नहीं था।

36- **पी.डब्ल्यू. 10 रघुवीर, जो वक्त घटना रेवड चराने तथा संदीप को देखने व मुलजिमान के द्वारा गाडी में बैठाने को देखने का साक्षी है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि वह रेवड चराने का काम करता है एवं सुबह से लेकर लेट रात तक भेड बकरी चराता है। दिनांक 23.02.2018 को समय करीब 5.30 बजे सुबह फिर कहा शाम को सुखावास, चूड की ढाणी व साखणताल के बीच की बात है, उस समय वह ख्यालीराम मेघवाल निवासी साखणताल के खेत में भेड चरा रहा था। वह रोड के सहारे उत्तर दिशा में खडा था। संदीप पुत्र महावीर जाट निवासी साखणताल पैदल पैदल चूड की ढाणी की तरफ आ रहा था। महावीर जाट सुखावास का है। संदीप पैदल पैदल साखणताल से चूड की ढाणी सुखावास की ओर आ रहा था। उसके बाद पीछे से एक सफेद रंग की गाडी कार आ रही थी, जो संदीप के पास आकर रूकी। गाडी के अन्दर चिन्नू उर्फ विरेन्द्र व एक लडका था, जिसकी उम्र 20-25 साल थी। दूसरे लडके को शकल देखकर पहचान सकता है। विरेन्द्र ओर चिन्नू एक ही आदमी के दो

नाम है। उस गाडी में से विरेन्द्र उर्फ चिन्न्नू और एक भाई नीचे उतरे और संदीप को गाडी में पीछे वाली सीट पर बैठा लिया। चिन्नू उर्फ विरेन्द्र गाडी चला रहा था एवं गाडी को लेकर गांव की तरफ आ गये। उसके बाद वह उसकी रेवड चराने लग गया। दिनांक 25 को शाम को 10 बजे वह उसके घर आया और खाना खाकर सो गया। सुबह गांव में चर्चा हो रही थी कि संदीप दो दिन से खो गया है। उसके बाद उसने महावीर, सजना, छोटूराम व परिवार के अन्य लोगों को बताया कि संदीप को ख्यालीराम के खेत में से विरेन्द्र उर्फ चिन्नू व एक भाई और था, जो गाडी में बिठा कर गांव की ओर लाये थे। वह गाडी की फोटो देखकर पहचान सकता है। पत्रावली के अन्दर पेश गाडी की फोटो को गवाह ने हाथ लगाकर बताया कि यह वही गाडी है, जो प्रदर्शपी-7 से 10 है। विरेन्द्र उर्फ चिन्नू, संदीप के मामा का लडका है, जो सुखावास में आता जाता रहता था, इसलिए वह विरेन्द्र उर्फ चिन्नू को जानता है।

37- प्रतिपरीक्षण में गवाह रघुवीर ने कथन किया है कि प्रदर्शपी-7 से 10 फोटो 4 गाडियों की है। प्रदर्शपी-7 से 10 में से प्रदर्शपी-8 पर अंगुली रखकर गवाह ने कहा कि यही वह गाडी है जो आकर रूकी थी। उसने संदीप को देखने का समय 5.30 बजे इसलिए बताया है क्योंकि 5 बजे वहां से बस निकलती है और संदीप को उसने बस निकलने के बाद वहां देखा था। बस कभी जल्दी भी आ सकती है और कभी लेट भी हो जाती है, उसने तो अन्दाज बताया है। हाजिर अदालत दोनों मुलजिमान को पुलिस ने ही पकड रखा है। यह उसे पहले से ही पता था कि इस मुकदमें में दो ही मुलजिम है। जब वह पहले आया था, उस दिन मुलजिम नहीं थे। वह जो गाडी आकर रूकना बता रहा है, वह गाडी उससे 20-25 फूट दूर आकर रूकी थी। सडक करीब 20-25 फूट चैडी है। वह सडक की तरफ ख्याली राम के खेत की सींव से करीब 50 कदम खेत की तरफ अन्दर खडा था। वह आंखों से कमजोर है। वह 100 कदम दूर तक देख सकता है। उसने उससे 20-25 फिट दूर गाडी रूकना उसकी इस जानकारी के अनुसार बताया है क्योंकि हमेशा ऐसा सुनते आये हैं कि सडक लगभग 20 फिट की बनती है और उसके दोनों ओर 5-5 फिट की खाली जगह छोडते हैं। 25 तारीख को भी उनके गांव का कोई व्यक्ति नहीं मिला बल्कि नोरंगपुरा गावं के कुछ व्यक्ति मिले थे। संदीप के खो जाने की चर्चा 26 तारीख को सुबह लगभग सात बजे सुनी थी, जो श्योचंद, दरिया सिंह, सुभाष बडसरा, जवाहर सिंह नेहरा से सुनी थी, जो मन्दिर के पास खडे हुये इस बारे में चर्चा कर रहे थे। यह चर्चा सुनकर वह रेवड के पास नहीं गया बल्कि महावीर के घर गया। 26 तारीख से

पहले उसे छोटूराम नहीं मिला, फिर कहा कि कोई नहीं मिला। वह थाने गया तब महावीर और छोटूराम वहीं घूम रहे थे।

38- **पी.डब्ल्यू. 4 रामपाल, जो विरेंद्र उर्फ चिन्नू का फोन उसके पास आने** के संबंध में साक्ष्य देते हुए मुख्य परीक्षा में यह कथन करता है कि वह खेत में परिवार सहित निवास करता है एवं खेतीबाडी का कार्य करता है। वह विरेंद्र उर्फ चिनू को जानता है। दिनांक 24.02.18 को विरेंद्र उसके पास आया था, जो उसके गांव का है। उसके पास विरेंद्र ने आकर कहा कि उसे कोई पूछे तो बता देना कि उक्त दिनांक को समय 5 से 7 बजे तक सायं वह उसके साथ था। उसने विरेंद्र उर्फ चिनू को कहा कि वह यह बात क्यों कह रहा है। उसके घर वाले रोला करेंगे, पूछे तो बता देना तो उसने कहा कि वह तो यह नहीं कहेगा। रास्ते में चलते ही 5-7 मिनट मिला था। दिनांक 24 तारीख को सुबह 7-8 बजे मिला था, फिर वह उसके घर चला गया। विरेंद्र छोटी अल्टो गाडी लेकर आया था।

39- प्रतिपरीक्षण में गवाह रामपाल ने कथन किया है कि विरेंद्र उर्फ चिनू 24 तारीख को नौरंगपुरा व सुलखनिया के बीच रास्ते में जोहर के पास मिला था। वह चांदगोठी जा रहा था तथा घर से सुबह 8-9 बजे निकला और सवारी छोडने जा रहा था। जब विरेंद्र उर्फ चिनू मिला तो वह अकेला ही था। उन्होंने गाडी से नीचे उतरकर बात की। वह नहीं बता सकता कि विरेंद्र ने कौनसे रंग के कपडे पहने थे और वह कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। उसे पुलिस वालों ने बुलाया था। वह अकेला ही गया था। पुलिस वालों ने पूछताछ की तो उसने बताया कि 24 तारीख को मिला था।

40- **पी.डब्ल्यू. 8 रामनिवास, जो मृतक की लाश को कुएं से बाहर लाने का साक्षी है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि दो साल पहले की बात है। नोरंगपुरा व ठिमाउ के बीच कुआ है। वह चांदगोठी बस स्टेण्ड पर खडा था, वहां पर पुलिस थाना हमीरवास की पुलिस ने आकर पूछा कि कुएं से एक लाश निकालनी है तो उसने कहा कि वह कुएं से लाश निकाल देगा। उसके पास लारेन्स मशीन है, जो रोहताश खाती निवासी चांदगोठी की है। वह और पुलिस थाना हमीरवास की पुलिस नोरंगपुरा व ठिमाउ के बीच में एक बणी है, बणी के बीच में रोड के पास एक कुआं है, वहां पहुंचे। वह कुएं के अन्दर उतरा और कुएं में से लाश निकाल कर बाहर लाया। वह जब कुएं में उतरा तो तिरपाल साथ लेकर उतरा था। तिरपाल में लपेट कर लाश बाहर लाया था। तिरपाल सफेद रंग का था। वह नीचे उतरा और लाश को तिरपाल पर रखा और कुएं से बाहर

निकाल लाया। लाश को पुलिस को सुपुर्द कर दी। पुलिस के अलावा 5-10 आदमी चांदगोठी के थे। वे चांदगोठी से पुलिस की गाडी, एक बोलेरों गाडी एवं एक लारेन्स मशीन सभी में भर कर कुएं पर पहुंचे थे। पुलिस के अलावा 5 मशीन वाले थे और कोई नहीं था। लाश संदीप कुमार चूड की ढाणी की बताई थी।

41- प्रतिपरीक्षण में गवाह रामनिवास ने कथन किया है कि कुएं के अंदर वह अकेला ही उतरा था। उसने लाश को गौर से नहीं देखा। लाश सड गयी थी। पुलिस वालों ने उसके कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये।

42- **पी.डब्ल्यू. 11 शिवराम, जो मृतक की लाश को निकालने के वक्त मौके पर होने का साक्षी है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि वह जयपुर में निवास करता है। वह दिनांक 10.03.2018 को सुबह उसके गांव सुखावास पहुंचा था। गांव पहुंचने के बाद करीब एक डेढ बजे गांव के किसी आदमी से सूचना मिली थी कि वह थाने पर आए, संदीप की लाश बरामद करनी है। उसके बाद वह थाने पर गया और थाने से ढाई पौने तीन बजे पुलिस की गाडी में पुलिस के साथ रवाना हुये। नोरंगपुरा से दो किलोमीटर आगे ठीमाउ छोटी की तरफ गये और ठिमाउ से पहले रोड की बायीं तरफ एक कुआं था, जिसके पास पहुंचे। उनके साथ गिरफतारशुदा विरेन्द्र उर्फ चिन्नू पुत्र हरिसिंह निवासी सुलखनिया छोटा था। छोटा भाई उम्मेद सिंह था, जो पुलिस की दूसरी गाडी में था। विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने आईओ को ईशारा कर गाडी रोकने को कहा और विरेन्द्र उर्फ चिन्नू पुलिस की गाडी से उतर कर रोड के पास से बताया कि दिनांक 23.02.2018 को वह और अजयराज रात्रि को संदीप का अपहरण कर गला घोट कर हत्या कर लाश संदीप की इस कुएं में, जो रोड से बायीं तरफ पुराना कुआं है, उसमें डाली थी। जिस पर आस पास के मौजूद ग्रामीण के सहयोग से पल्ली (चादर) में बांध कर लाश को निकाल कर कुएं की पाल पर रखी। संदीप की लाश 10-15 दिन पुरानी सडी गली थी, पूर्ण रूप से डीकम्पोजिशन हो रखी थी, जिसको उसने देखकर पहने हुये कपडों के आधार पर शिनाख्त उसके सगे भतीजे संदीप पुत्र महावीर सिंह ग्राम सुखावास पीएस हमीरवास की थी। सुखावास को चुड की ढाणी के नाम से भी जानते है। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया। फर्द जप्ती लाश संदीप मौका पर बनाई जो प्रदर्श पी 11 है। फर्द बरामदगी लाश अपहर्त संदीप प्रदर्श पी 11 व फर्द सूरत लाश मृतक संदीप प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 11.03.2018 को समय 09.35 एएम पर पुलिस ने पचांयतनामा बनाया, जो

प्रदर्श पी 04, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 05 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 11.03.2018 समय 11.35 एएम पर पुलिस ने फर्द जप्ती एक शर्ट मृतक संदीप कुमार जप्त की, जो प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

43- प्रतिपरीक्षण में गवाह शिवराम ने कथन किया है कि दिनांक 10.03.18 को वक्त 10-11 बजे पडौसी गांव का एक व्यक्ति आया था। वह विरेन्द्र उर्फ चिन्नू को पहले से जानता है। वह थाने गया तब विरेन्द्र उर्फ चिन्नू थाने की कोठरी में था, जिसे उसने स्वयं देखा था। वह गाडी की पीछे वाली सीट पर बैठा था। पीछे वाली सीट पर वह और विरेन्द्र उर्फ चिन्नू बैठे थे। ग्रामीण पुलिस की गाडी देखकर आ गये थे। जिस चादर में कुएं से लाश निकालना बता रहा हूं, वह चादर पुलिस के पास थी। चादर सिपाही के पास थी, जो संफेद रंग की थी। लाश को लोरी (मशीन) से निकाली थी, रस्सा लोरी में होता ही है। उक्त लोरी मशीन को पुलिस लेकर आई थी। लोरी पुलिस साथ लेकर गयी थी, जो चांदगोठी से साथ ली थी। पुलिस की गाडी में ही लोरी मशीन थी। संदीप का पोस्टमार्टम करीब 11 बजे हुआ था। शर्ट अनुसंधान अधिकारी ने जब्त की थी, जो जहां पोस्टमार्टम हुआ, वहां काट कर निकाली थी। वह पेशे से वकील है। दिनांक 10.03.2018 को वह जयपुर से स्वयं आया था, फिर कहा उसे सूचना मिली थी। उसे ध्यान नहीं है कि सूचना किसने व कैसे दी थी। उसे यह सूचना मिली थी कि संदीप लापता है। सूचना दिनांक 09.03.2018 को संदीप के लापता होने की उसे मिली थी। लोरी मशीन पुलिस ने गाडी में डाली व लोरी मशीन ऑपरेट करने वाले को भी साथ लेकर गयी थी। लोरी मशीन पुलिस की गाडी में आ सकती है या नहीं, उसे ध्यान नही है। लोरी मशीन किसी चार पहिया वाहन के पीछे जोडकर चलाई जा सकती है। जिस कुएं पर वे पहुंचना बता रहे हैं, वह जगह कच्ची थी। कुएं के अन्दर से रामनिवास गुर्जर लाश को निकाल कर लाया था।

44- **पी.डब्ल्यू. 12 नवीन कुमार, जो फर्दात का गवाह व पुलिस मुलाजमान है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 26.02.2018 को वह पुलिस थाना हमीरवास में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज मुकदमा नम्बर 29/2018 में जप्तशुदा अल्टो कार आरजे 10 सीए 7618 जप्त की गयी थी। दौराने निरीक्षण कार के अन्दर एक सिम कार्ड आगे की बायें तरफ की सीट पर नीचे मिला, जिसे उसके फोन में डालकर चैक किया तो वह चालू था। सिम कार्ड बीएसएनएल कम्पनी का था। उक्त सिम कार्ड के नम्बर को राजकोप

साईट पर चैक किया तो सिम कार्ड संदीप पुत्र महावीर सिंह के नाम से था। जप्ती अल्टो कार प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 10.03.2018 को 03.30 बजे नोरंगपुरा से ठिमाउ की ओर जाने वाली सडक पर रोही ठिमाउ में मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने हाथ का इशारा व बोल कर सडक के किनारे बायें तरफ कुएं की तरफ इशारा कर बताया कि उसने और अजयराज ने संदीप की हत्या कर लाश को इस कुएं में फेंक दिया था, जिसकी फर्द बरामदगी लाश अपहर्त संदीप प्रदर्श पी 11 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू की इतिला पर पुलिस जाप्ता व ग्रामीणों की सहायता से मृतक संदीप की लाश को एक पल्ली में डालकर कुएं से बाहर निकलवाया गया तो मृतक की लाश के नीचे एक ड्राईविंग लाईसेंस मिला, जिस पर अजयराज सिंह पुत्र दलीप सिंह नाम अंकित था, जो झुंझुनूं डीटीओ के द्वारा जारी किया हुआ था, जिसे जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर मार्क- बी अंकित किया। इसके पश्चात फर्द जप्ती ड्राईविंग लाईसेंस अजयराज सिंह प्रदर्श पी 15 तैयार की, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। थानाधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका मूर्तिब किया, जो प्रदर्श पी 16 है। उसके बाद दिनांक 13.03.2018 को थानाधिकारी के साथ वह और मुकेश कांस्टेबल मुकदमा के मुलजिम अजयराज की तलाश हेतु रवाना हुये थे। तलाश करते हुये आरोपी अजयराज के घर गांव किरतान पहुंचे तो घर के आगे एक व्यक्ति खडा दिखाई दिया, जिसे थानाधिकारी द्वारा हमराही जाप्ता की मदद से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजयराज पुत्र दलीप सिंह जाति राजपूत निवासी किरतान बताया। जिसे थानाधिकारी द्वारा जरिये फर्द गिरफतार किया गया, जो प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन दिनांक 13.03.2018 को गिरफतारशुदा मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू को थानाधिकारी व मुकेश कुमार कांस्टेबल के साथ वह अपहर्त स्थल पर पहुंच कर नक्शामौका घटनास्थल तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 18 है। दिनांक 14.03.2018 को नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 19 मार्क-बी तैयार किया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

45- प्रतिपरीक्षण में गवाह नवीन कुमार ने कथन किया है कि दिनांक 26.02.18 को अल्टो गाडी विरेंद्र उर्फ चिन्नू के घर कस्बा पिलानी से दोपहर के बाद लाये थे। गाडी को पिलानी से लाये तब गाडी को चैक नहीं किया था। पिलानी में गाडी की जप्ती नहीं बनाई। उसने मालखाना अधिकारी को मालखाना रजिस्टर में गाडी की जप्ती बाबत कोई इन्द्राज नहीं कराया था। उसे ध्यान नहीं

है कि मनोज ने कराया या नहीं। गाडी में जो सिम मिलना बता रहा है, वह थानेदार ने देखी थी, जो आगे की बायें तरफ की सीट के नीचे थी, जिसे गाडी से थानाधिकारी ने निकाली थी। सिम बी.एस.एन.एल कंपनी की थी। जिस कुएं से वे डेड बॉडी मिलना बता रहे हैं, उसके आस पास कोई आबादी नहीं थी। वे दो बजे के आस पास पहुंच गये थे। कुएं से लगभग 500 मीटर दूर आबादी थी। कुएं के अन्दर जो डेड बॉडी निकालनी बता रहा है, उसके लिए आदमी कुएं में नीचे उतरा था। मुलाजिमान कुएं के अन्दर नहीं गये थे, प्राईवेट व्यक्ति गया था। लोरिंग मशीन से लाश कुएं से बाहर निकाली थी। करीब तीन बजे के आस पास डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकाल लिया था। चेहरे से डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी। मृतक ने पेंट खाकी, शर्ट आसमानी कलर की व जूते ग्रे कलर के पहन रखे थे। उसने मृतक के शरीर को देखा था। मृतक की लाश सडी गली अवस्था में थी, इसलिए कोई निशान थे या नहीं, बता सकता। लाश सडी गली थी। कपडे भी सडे गीले थे। मौका पर फर्द जप्ती लाश, नक्शामौका बरामदगी स्थल व ड्राईविंग लाईसेंस मुलजिम अजयराज की फर्द जप्ती बनाई थी, जिन पर उसके हस्ताक्षर कराये थे, जो लगभग साढे तीन पौने चार बजे कराये थे। प्रदर्श पी 16 नक्शामौका थानेदार ने मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू की निशानदेही से बनाया था। प्रदर्श पी 16 बनाते समय और किसी से पूछताछ नहीं की। मौका पर मृतक की लाश के पहने हुये कपडों को सरसरी तौर पर चैक किया था। मृतक के कपडों में कुछ नहीं मिला। वे गये तब गाडी लॉक थी। गाडी की चाबी घर में उपस्थित महिला ने दी थी। मृतक की लाश का निरीक्षण कुएं से बाहर निकाल कर कुएं से 4-5 कदम दूर किया था। उसने मृतक की लाश को बिल्कुल पास खडे होकर देखा था। मृतक की लाश को कुएं से बाहर निकालते ही वह लाश के पास पहुंच गया था। वह जो ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करना बता रहा है, वह थानाधिकारी ने लाश के नीचे व पल्ली के उपर से निकाला था। उसने लाइसेंस को देखा था, जिस लाइसेंस पर पिलानी का पता था।

46- **पी.डब्ल्यू. 13 मुकेश कुमार भी फर्दात का अन्य गवाह व पुलिस मुलाजमान है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 26.02.2018 को वह पुलिस थाना हमीरवास में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज थानाधिकारी इन्द्र सिंह ने उसके व नवीन कांस्टेबल के सामने थाना पर खडे आरोपी चिन्नू की कार को चैक किया तो उसमें एक सिम कंडेक्टर सीट के नीचे पडा हुआ मिला, जिसको नवीन के मोबाईल में डालकर कर देखा तो सिम अपर्हत संदीप की होना पायी गयी। सिम को कब्जा पुलिस में लिया गया।

उक्त वाहन अल्टो कार नं. आरजे 10 की गाडी थी, जिसके पूरे नम्बर याद नहीं है, को जप्त किया गया था, जो सफेद रंग की थी। फर्द जप्ती अल्टो कार प्रदर्श पी 14 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 27.02.2018 को थानाधिकारी इन्द्र सिंह ने दिनांक 26.02.2018 को उक्त कार में मिली सिम की कॉल डिटेल निकलवायी जाकर कॉल डिटेल का निरीक्षण जरिये फर्द जप्ती किया था और सिल्ड मार्क-ए अंकित किया था, जो जरिये फर्द जप्ती एक सिम कार्ड प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 07.03.2018 को अनुसंधान अधिकारी इन्द्र लाल ने थाना पर मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू को उसके सामने जरिये फर्द गिरफतार किया था, जो फर्द प्रदर्श पी 21 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 10.03.2018 को दौराने अनुसंधान थानाधिकारी इन्द्र कुमार ने नोरंगपुरा से ठिमाउ रोड पर मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू की इतिला पर मृतक संदीप की लाश उसके सामने कुआं से बरामद की गयी थी। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसी समय लाश के नीचे एक ड्राईविंग लाइसेंस मिला था, जो अजयराज के नाम से था, जिसको भी थानाधिकारी इन्द्र कुमार ने जप्त कर सिल्ड मोहर कर मार्क-बी अंकित किया था। फर्द जप्ती ड्राईविग लाइसेंस प्रदर्श पी 15 है, जिस पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी समय बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 16 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इसी दिन थाना पर एफएसएल टीम द्वारा आरोपी चिन्नू उर्फ विरेन्द्र की जप्तशुदा अल्टो गाडी से एक शर्ट का बटन गोल्ड रंग का दौराने निरीक्षण एफएसएल की टीम द्वारा पेश किया गया था, जिसको थानाधिकारी द्वारा जरिये फर्द जप्त कर सिल्ड मोहर कर मार्क-एक्स दिया गया था। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 31 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

47- दौराने अनुसंधान दिनांक 13.03.2018 को थानाधिकारी इन्द्र कुमार ने मौजा किरतान मकान मुलजिम पर मुलजिम अजयराज को उसके सामने जरिये फर्द गिरफतार किया था, जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 17 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन आरोपी विरेन्द्र उर्फ चिन्नू की इंतला पर घटना स्थल सुखावास से सांखणताल रोड का नक्शा मौका प्रदर्श पी 18 है, जो उसके समक्ष तैयार किया गया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 14.03.2018 को मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू की इतिला के मुताबिक जिस स्थान पर संदीप की हत्या की गयी थी, उस स्थान का नक्शा मौका मुलजिम की सूचना के अनुसार कायम किया गया था, जो प्रदर्श पी 19 है, जिस

पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 16.03.2018 को दौराने अनुसंधान इन्द्र कुमार थानाधिकारी ने मुलजिम अजय राज की सूचना के मुताबिक रोही पथरवा हरियाणा से एक टूटा हुआ मोबाईल फोन उसके समक्ष जप्त किया जाकर सिल मोहर कर मार्क-डी दिया, जो प्रदर्श पी 22 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी समय बरामदगी स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी 23 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम अजयराज की सूचना पर जले हुये पर्स व कोट वगै. के अवशेष चांदगोठी से गुडान रोड पर उसके समक्ष बरामद किये गये, जो फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 24 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका उसके समक्ष तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी 25 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसी रोज दौराने अनुसंधान मुलजिम अजय राज की सूचना पर रोही सांखणताल पहुच कर फर्द तस्दीक घटना स्थल उसके समक्ष तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी 26 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 17.03.2018 को मुलजिम अजय राज की सूचना के मुताबिक अनुसंधान अधिकारी इन्द्र कुमार द्वारा घटना स्थल रोही बेगू का बास व जहां आरोपीगण द्वारा शव को कुएं में डाला गया, उसकी फर्द तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी 27 व 28 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज शाम को मुलजिम अजयराज की सूचना पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम के मकान से एक मफलर उसके सामने बरामद किया गया, जिसको सिल्ड मोहर कर मार्क-एफ दिया गया, जो प्रदर्श पी 29 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मफलर की बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 30 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

48- प्रतिपरीक्षण में गवाह मुकेश कुमार ने कथन किया है कि संदीप की माता सजना ने दिनांक 24.02.18 को पीएस हमीरवास में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। दिनांक 07.03.18 को विरेंद्र उर्फ चिन्नू को हमीरवास पुलिस ने गिरफतार किया था। प्रदर्शपी-14 उसके सामने बनायी थी। दिनांक 26.02.2018 को जब अल्टो गाडी को खोला था, उस समय वह, नवीन एवं थानाधिकारी थे और अन्य कोई स्टाफ साथ हो तो ध्यान नहीं है। गाडी में सिम कार्ड मिलना उसे थानाधिकारी ने बताया था। उसने सिम कार्ड को मोबाईल में नहीं डाला था, अगर किसी अन्य मुलाजमान ने डाला हो तो उसे जानकारी नहीं है। सिम कार्ड को दिनांक 27.02.18 को शाम 08.30 बजे सील किया था। विरेंद्र उर्फ चिन्नू को उसके सामने गिरफतार किया था। फर्द इतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम विरेंद्र उर्फ चिन्नू दिनांक 10.03.18 उसकी हस्तलिपि में है। वे जब

थाना से रवाना हुये तो किसी प्राईवेट व्यक्ति को उसने नहीं देखा। प्राईवेट व्यक्ति हो तो उसे नहीं पता। प्रदर्श पी 11 में दर्शाये स्थान पर वे करीब 2 बजे पहुंचे थे। प्रदर्शपी-11 में दर्शाया हुआ कुआं खेत में बना हुआ है। वह नहीं बता सकता कि कुएं के आस पास की जगह कच्ची थी या पक्की। कुएं से लाश को प्राईवेट व्यक्ति ने निकाली थी, मुलाजमान ने नहीं निकाली थी। कुएं के अन्दर एक ही आदमी गया था। कुएं से लाश को रस्सी के सहारे से नहीं निकाला बल्कि लोरिंग मशीन से निकाला था। लाश सडी गली क्षत-विक्षत थी। कपडे पहने हुये थे, जो आधे फटे हुये व आधे चिपके हुये थे। कौनसे रंग के थे, उसे याद नहीं है। समय बहुत हो गया, इसलिए याद नहीं है कि कपडों मे से पैसे मिले थे या नहीं। प्रदर्श पी 11, 12 व 16 उसकी कलमी है। फर्द प्रदर्श पी 16 में अंकित आसे पासे उसने स्वंय लिखे है, जो थानाधिकारी द्वारा वहां पर मौजूद लोगों से पूछकर लिखवाये गये थे।

49- आगे प्रतिपरीक्षण में गवाह मुकेश कुमार ने कथन किया है कि उसके सामने कभी भी विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने कभी थानेदार को कोई इतला नहीं दी थी लेकिन इतिला की फर्द थानाधिकारी ने उससे तैयार करवायी थी। 13 तारीख को वे सुखावास गये थे, परंतु वहां घटना संबंधी कोई आलामात नहीं थे। कुएं में उतरने वाले व्यक्ति की उसके सामने कोई तलाशी नहीं ली। मुलजिम अजयराज को उसके घर से दिनांक 13.03.2018 को गिरफ्तार किया था। इतिला थानेदार ने थाने में हवालात के सामने तैयार करवायी थी। वह जहां मोबाईल बरामद होना बता रहा है, वह जगह खुल्ली थी, फिर कहा वहां रोड के पास सरकण्डे खडे थे। दिनांक 16.03.2018 को सुबह रवाना हुये थे। जहां मोबाईल बरामद करना बता रहा है, वहां समय 11.30-11.45 बजे था और वहां से चांदगोठी गुडान की तरफ रवाना हो गये थे। अजयराज के घर से वे जब निकले तब घर मां, बाप, भाई किसके कब्जे में छोडा था, ध्यान नहीं है। वे जब अजयराज के घर गये तब घर खुला हुआ था। वह जो कोका कोला कलर का मफलर बरामद होना बता रहा है, उस पर खून लगा हुआ था या नहीं, फर्द देखकर बता सकता है। मफलर पर लगे खून के धब्बे को मार्क किया या नहीं किया, फर्द देखकर बता सकता है। प्रदर्श पी 31 बनायी, उस समय गाडी को एफएसएल टीम ने चाबी से खोला था। वे लोग चाबी कहां से लाये थे, उसे नहीं पता। उन्होंने गाडी को उनके हिसाब से जांचा और उसमें से एक बटन निकाल कर थानाधिकारी को दिया। बटन पर एफ 99 लिखा था। बटन धागे से सिलने वाला या टच बटन था, उसे नहीं पता। प्रदर्श पी 31 पर दिनांक 10.03.2017

लिखी हुई है, परन्तु यह दिनांक 10.03.2018 को तैयार की थी, वर्ष 2017 गलती से लिखा गया। यह कहना सही है कि इस प्रदर्श के समय में भी कांट छांट है, फिर कहा ओवर राईटिंग है। यह सही है कि वह उस समय एसएचओ हमीरवास का रीडर था।

50- **पी.डब्ल्यू. 22 अरविंद कुमार, जो एफएसएल विभाग से आया व जब्तशुदा वाहन मारूति अल्टो कार का निरीक्षण कर्ता व फोटोग्राफस का साक्षी है,** ने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.03.2018 को वह कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक फोटो के पद पर मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, चूरू में पदस्थापित था। उस रोज पुलिस थाना हमीरवास से जरिये फोन सूचना प्राप्त हुई कि प्रकरण 29/2018 में जप्त गाडी जो थाना परिसर में खडी है, जिसका परीक्षण किया जाना है। उक्त सूचना के आधार पर उसने राजकीय वाहन द्वारा पुलिस थाना हमीरवास पहुंचकर अनुसंधान अधिकारी की उपस्थिति में थाना परिसर में खडी गाडी का निरीक्षण किया गया। उसके द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार- (1) पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू में पुलिस थाना परिसर में वाहन मारूति सुजुकी अल्टो के-10 खडा हुआ था (2) वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 10 सीए 7618, (3) वाहन की चालक सीट के पीछे एक दो इंच लम्बी लोहे की कील तथा चालक सीट के सीटस्लाईडर के बाये ट्रेक में पीछे की तरफ एक सफेद रंग का बटन पाया गया, जिसमें हल्का नीला सफेद रंग का धागा लगा हुआ था। बटन पर एफ 99 लिखा हुआ था। घटना स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट के बिन्दुओं को दर्शानें के लिये उसके द्वारा निरीक्षण के वक्त कार्यालय को प्रदत्त सरकारी कैमरे द्वारा खिचे गये फोटोग्राफस संलग्न किये गये है, जो कुल 10 फोटोग्राफस उसके द्वारा बिना किसी कांट-छांट के तैयार किये गये है। उसके द्वारा किये गये घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 40 है, जिस पर ए से बी रिपोर्ट का अंकन, सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा निरीक्षण के दौरान ली गयी फोटो प्रदर्श पी 07, 08, 09, 10 एवं प्रदर्श पी 41 से 46 तक है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सील मोहर है।

51- प्रतिपरीक्षण में गवाह अरविंद कुमार ने कथन किया है कि वह दिनांक 10.03.2018 को कनिष्ट वैज्ञानिक सहायक फोटो के पद पर चूरू में पदस्थापित था। गाडी के पास उसे अनुसंधान अधिकारी लेकर गया था। गाडी थाना परिसर में पीछे की तरफ खडी थी। गाडी अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि उसके द्वारा खोली गयी थी। गाडी लॉक थी। उसे चाबी अनुसंधान ने दी थी। गाडी की पिछली सीट पर कपडों के टुकडे व एक टोपी थी। वह जो बटन

मिलना बता रहा है, वह बटन अनुसंधान अधिकारी को दे दिया था। उसके द्वारा दिनांक 10.03.2018 को अनुसंधान अधिकारी को प्रकरण से संबंधित प्रादर्शों को अग्रिम परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाने की मौखिक सलाह दी थी। गाडी का परीक्षण किया तो उसमें चालक सीट के नीचे लोहे की कील मिली थी। दिनांक 10.03.2018 को वह थाने से कितने बजे रवाना हुआ, उसे ध्यान नहीं है। वह जो कील व बटन मिलना बता रहा है, उन पर खून आदि के कोई अलामात नहीं थे। प्रदर्शपी-7 से 10 तथा प्रदर्शपी-41 से प्रदर्शपी-46 फोटोग्राफ्स उसके द्वारा तैयार किये गये थे।

52- **पी.डब्ल्यू. 14 सत्यवान, जो अभियुक्त अजयराज की फर्द इतिला पर घटनास्थल तस्दीक करने का साक्षी है,** ने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.03.2018 को वह पुलिस थाना हमीरवास में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुलजिम अजयराज की इतिला पर समय करीब 11.36 एएम पर वह, मुकेश कुमार कांस्टेबल, इन्द्र कुमार एसआई व एसआई एसएचओ, मुलजिम अजयराज के साथ प्राईवेट वाहन से थाने से रवाना होकर घटनास्थल के लिये रवाना हुये। मुलजिम अजयराज ने रोही बेगु का बास जोहड तिलोकान में कच्चे रास्ते बेगु के बास से तुमली साखण जाने पर आईओ को गाडी रोकने का इशारा किया। गाडी रूकवाकर गाडी से नीचे उतर के आगे आगे चलकर रास्ते की पश्चिम दिशा की तरफ इशारा कर बताया कि इसी स्थान पर उसने व विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने संदीप की गला घोटकर हत्या की थी। घटना स्थल फर्द तस्दीक तैयार की, जो प्रदर्श पी 27 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम अजयराज ने उसे, मुकेश कुमार कांस्टेबल, इन्द्र कुमार एसआई व एसआई एसएचओ को नोरंगपुरा से ठिमाउ जाने वाली सडक पर रोही ठिमाउ में नोरंगपुरा से दो किलोमीटर आईओ को गाडी रोकने का इशारा किया। गाडी से उतर कर सडक के बायें तरफ सडक से करीब 30 फिट दूरी पर बने कुएं की तरफ इशारा कर बताया कि इसी कुएं में उसने तथा विरेन्द्र चिन्नू ने संदीप का शव डाला था। मौका पर ही अजयराज सिंह द्वारा बताया गया घटना स्थल की फर्द तस्दीक घटना स्थल तैयार की, जो प्रदर्श पी 28 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

53- प्रतिपरीक्षण में गवाह सत्यवान ने कथन किया है कि वह प्रदर्शपी-26, 27 व 28 में बताये गये स्थान पर पहले कभी नहीं गया था। उसने कुएं की गहराई नहीं देखी थी। अजयराज ने जो जगह बतायी थी, उससे पहले उस जगह के दस्तावेजों को उसने नहीं देखा, उसके बाद उसने दोनों जगहों का

नक्शामौका देखा था। प्रदर्शपी-27 व 28 पर दिखाये घटनास्थल पर घटना संबंधी कोई अलामात नहीं थे।

54- **पी.डब्ल्यू. 15 विक्रम सिंह पुत्र फूलचंद, जो अभियुक्त अजयराज की फर्द इतिला पर मफलर की बरामदगी का साक्षी है,** ने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.03.2018 को वह पुलिस थाना हमीरवास में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुलजिम अजयराज की इतला पर समय करीब 05.40 पीएम पर वह, मुकेश कुमार कांस्टेबल, इन्द्र कुमार एसआई व एसआई एसएचओ, मुलजिम अजयराज के साथ प्राईवेट वाहन में थाने से रवाना होकर बरामदगी स्थल के लिये रवाना हुए। मुलजिम अजयराज ने रोही किरतान में अपने घर के सामने आईओ को गाडी रोकने का इशारा कर गाडी से नीचे उतर कर आईओ के आगे आगे चलकर अपने घर के अन्दर बने पूर्वी बारणा के कमरा के अन्दर प्रवेश कर कमरा में दक्षिण की तरफ बनी टाण्ड पर पुराने कपडों के नीचे से एक मफलर कोका कलर का निकालकर आईओ के समक्ष पेश किया तथा बताया कि इसी मफलर से उसने तथा विरेन्द्र चिन्नू ने संदीप को गला घोटकर मारा था। मौका पर ही फर्द बरामदगी एक मफलर तैयार की, जो प्रदर्श पी 29 है। उसी रोज उसी समय बरामदगी स्थल का नक्शामौका तैयार किया, जो प्रदर्श पी 30 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

55- प्रतिपरीक्षण में गवाह विक्रम सिंह पुत्र फूलचंद ने कथन किया है कि प्रदर्शपी-29 व 30 मुकेश कुमार की हस्तलिपि में है। उसने सबसे पहले मफलर 06.15 से 06.20 बजे देखा था। बरामदगी स्थल पर वे 06.15 बजे पहुंचे थे। मफलर पर खून लगा हुआ था या नहीं, उसे याद नही है। मफलर को उसके सामने चेक किया था। उसे याद नहीं है कि मफलर पर खून के धब्बे लगे स्थानों पर मार्क किया या नहीं। फीता अनुसंधान बॉक्स में था। मफलर जो कोका कोला रंग का था, उसकी चौडाई कितनी थी, वह नहीं बता सकता और ना ही लम्बाई बता सकता। उसने मौका पर दो जगह ही हस्ताक्षर किये थे। उसने चिट पर हस्ताक्षर लगभग वक्त 06.27-28 मिनट पर किये थे।

56- **पी.डब्ल्यू. 15 ए विक्रम सिंह पुत्र महादेवाराम, गाडी निरीक्षण, सिम कार्ड व बटन मिलने तथा तस्दीक घटनास्थल का साक्षी है,** जिसने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 27.02.2018 को वह पुलिस थाना हमीरवास में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज मुकदमा हाजा में जप्त अल्टो गाडी थाना पर खडी थी, जिसे चैक किया तो उसमें एक सिम कार्ड मिला। जिसे कांस्टेबल नवीन कुमार के मोबाईल में डालकर सिम के नम्बरों का पता किया

तो अपहर्त संदीप के नाम से थी। उक्त सिम को बतौर वजह सबूत सील मोहर कर मार्क-ए अंकित किया गया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 20 तैयार की, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 10.03.2018 को थाना पर खडी जप्तशुदा अल्टो कार नम्बर आरजे 10 सीए 7618 को एफएसएल टीम चूरू द्वारा जांच किया गया तो अल्टो कार के चालक सीट को आगे पीछे खिसकाया तो पिछली तरफ की प्लेटी के बीच खाली जगह में लगे बुल्ट की ओर से एक बटन निकालकर आईओ के समक्ष पेश किया, जो हल्का गोल्ड कलर का था। बटन को जरिये फर्द कब्जा पुलिस में लिया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर मार्क-एक्स अंकित किया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 31 है। दिनांक 16.03.2018 को वह, मुकेश कुमार कांस्टेबल व अनुसंधान अधिकारी, मुलजिम अजयराज के साथ थाना से रवाना होकर साखणताल से सुखावास जाने वाली सडक पर सुखावास से करीब 500 मीटर पहले रोही साखण में मुलजिम अजयराज ने आईओ को गाडी रोकने का इशारा किय। गाडी रूकवाकर आगे आगे चलकर मुलजिम ने इशारा कर बताया कि इसी जगह से दिनांक 23.03.2018 को उसने तथा विरेन्द्र चिन्नू ने संदीप को गाडी में बठाया था। मौका पर ही फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 26 तैयार की, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

57- प्रतिपरीक्षण में गवाह विक्रम सिंह पुत्र महादेवाराम ने कथन किया है कि अल्टो गाडी उसके सामने थानाधिकारी ने करीब 8-9 बजे के बीच खोली थी, जिसकी चाबी थानाधिकारी के पास थी। प्रदर्शपी-20 बनाने के बाद पुनः थानेदार ने गाडी को उसके सामने नहीं खोला। प्रदर्शपी-31 पर हस्ताक्षर उसने दिनांक 10.03.2018 को पौने सात बजे किये थे। प्रदर्शपी-31 पर हस्ताक्षर उसने गाडी के पास किये थे। वह अनुसंधान अधिकारी एवं एफएसएल टीम के साथ गया था। जब उसने हस्ताक्षर किये, तब वह मौका पर ही था। गाडी एफएसएल टीम ने मौका पर ही खोली थी। एफएसएल टीम वालों को गाडी की चाबी थानाधिकारी ने दी थी। उसे बटन एफएसएल वाले कर्मचारी ने दिखाया था, कर्मचारी का नाम नहीं बता सकता। बटन लोहे, प्लास्टिक या किस धातु का बना हुआ था, वह नहीं बता सकता। बटन का रंग गोल्डन (सुनहरे) कलर का था। जो बटन मिलना बता रहा है, वह धागे से सिलने वाला बटन था। बटन पर एफ 99 लिखा हुआ था। इस तथ्य को गवाह ने गलत बताया है कि उसके सामने गाडी नम्बर आरजे 10 सीए 7618 से कोई सिम व बटन की बरामदगी ना हुई हो।

58- **पी.डब्ल्यू. 16 संदीप कुमार, जो अभियुक्त अजयराज की फर्द इतिला पर मोबाईल तथा कोट व पर्स के जले हुए अवशेष की बरामदगी का साक्षी है,** ने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 16.03.18 को वह पीएस हमीरवास में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज थाना से वह, थानाधिकारी इंद्र कुमार, मुकेश कुमार कानि., मुलजिम अजयराज के साथ प्राइवेट वाहन से हरियाणा की तरफ रवाना होकर महेंद्रगढ व लुहारू सडक पर लुहारू से करीब 16 किमी दूर गांव पथरवा से नंगला जाने वाली अवरोधक सडक पर टी-प्वाईंट पर पहुंचे तो मुलजिम ने इंद्र कुमार को गाडी रोकने का इशारा किया। गाडी रूकवाकर मुलजिम अजयराज ने अनुसंधान अधिकारी इंद्र कुमार के आगे आगे चलकर सडक के पूर्व दिशा में खडे सरकंडों में से एक मोबाईल निकाल कर पेश किया। मोबाईल टूटा हुआ, बेटरी व सीम नई थी, की-पेड आधी टूटी हुयी थी। मोबाईल मृतक संदीप का होना बताया। मोबाईल को कब्जा पुलिस लेकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर मार्क डी अंकित कर फर्द तैयार की, जो प्रदर्शपी-22 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मोबाईल जब्त करने के बाद बरामदगी का नक्शामौका तैयार किया, जो प्रदर्शपी-23 है। उसी रोज वापस आते समय चांदगोठी से रामपुरा जाने वाली सडक चांदगोठी से निकलकर करीब 500 मीटर दूरी पर मुलजिम अजयराज ने अनुसंधान अधिकारी इंद्रकुमार को गाडी रोकने का ईशारा किया। गाडी रूकवाकर मुलजिम अजयराज ने अनुसंधान अधिकारी इंद्र कुमार के आगे आगे चलकर सडक से करीब 10 मीटर सडक के पश्चिम दिशा में बनी खाई में कोट व पर्स के जले अवशेष होने बताये। कोट के बटन व जले अवशेष, पर्स के जले अवशेष कब्जा पुलिस लेकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर मार्क ई अंकित किया। फर्द जब्ती प्रदर्शपी-24 तथा नक्शामौका बरामदगी स्थल प्रदर्शपी-25 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

59- प्रतिपरीक्षण में गवाह संदीप कुमार ने कथन किया है कि वह जहां से टूटा हुआ मोबाईल जब्त करना बता रहा है, वह स्थान खुला था। प्रदर्शपी-22 पर हस्ताक्षर उसने वक्त 11.30-11.45 बजे किये थे। बटन, कोट व पर्स के जले हुए अवशेष मिले थे। वह जो जला हुआ अवशेष कोट का होना बता रहा है, वह मुलजिम अजयराज के बतायेनुसार ही बता रहा है। प्रदर्शपी-24 वाले स्थान पर वे करीब 01.45 बजे तक रूके थे। वह जहां जले हुए अवशेष वाली जगह बता रहा है, वहां उसने दो जगह हस्ताक्षर किये थे। सफेद कपडे की थैली अनुसंधान बॉक्स में थी, जो साथ लेकर गये थे। उसे ध्यान नहीं है कि उनके पास

प्लास्टिक की थैलियां थी या नहीं।

60- **पी.डब्ल्यू. 19 डॉ. सज्जन कुमार, जो मेडिकल बोर्ड के सदस्य होकर शव का परीक्षण करने का साक्षी है,** ने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 11.03.2018 को वह सीएचसी राजगढ में एमओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस थाना हमीरवास की तहरीर पर संदीप पुत्र महावीर सिंह उम्र 23 वर्ष जाति जाट निवासी सुखावास थाना हमीरवास का शव परीक्षण मेडीकल बोर्ड के द्वारा किया गया था। जिसमें वह, उसके साथी चिकित्सक डॉ. राकेश, डॉ. उम्मेद सिंह पूनियां भी शामिल थे। बॉडी डिकम्पोज अवस्था में थी। शरीर के उत्तक ढीले व मुलायम अवस्था में थे। बॉडी पर कीडे लगे हुये थे। बॉडी पर घाव, खरोच व गर्दन पर निशान के बारे में कहना सम्भव नही था। बॉडी के आन्तरिक अंग, दोनों फेफडे, दिल, भोजन नली, आंत, जिगर, प्लीहा डिकम्पोज अवस्था में थे। मृतक की मृत्यु की अवधि शव परीक्षण से 10-14 दिन पहले के भीतर की थी। बोर्ड की राय में मृत्यु के कारण से सम्बन्धित राय मृतक के जार-ए, बी, सी, डी, ई, एफ में भेजे गये आन्तरिक अंगो के परीक्षण के बाद देने हेतु बताया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 33 है, जिस पर ए से बी बोर्ड की राय, भेजे गये जार का विवरण सी से डी, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

61- प्रतिपरीक्षण में गवाह सज्जन कुमार ने कथन किया है कि शव पर पहचान हेतु कोई पहचान चिन्ह बताना सम्भव नहीं था। शव पूरी तरह से सडा गला था। वह नहीं बता सकता कि मृतक को मारपीट कर कुंए में डाला गया या मृत्यु कारित कर कुंए में डाला गया था। उनके द्वारा जार ए, बी, सी, डी, ई, एफ सील करके उसी दिन एसएचओ हमीरवास को दे दिये गये थे।

62- **पी.डब्ल्यू. 21 डॉ. राकेश कुमार भी मेडिकल बोर्ड का सदस्य होकर शव का परीक्षण करने का अन्य साक्षी है,** ने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 11.03.2018 को वह सीएचसी राजगढ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एसएचओ पुलिस थाना हमीरवास की तहरीर पर मृतक संदीप पुत्र महावीर सिंह उम्र 23 वर्ष जाति जाट निवासी सुखावास पुलिस थाना हमीरवास के शव का मेडीकल बोर्ड के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसका वह सदस्य था। मृतक की पहचान उसके चाचा उम्मेद सिंह पुत्र नारायण राम द्वारा की गयी। मृतक की मृत्यु परीक्षण से 10-14 दिवस पूर्व की अवधि की थी। मृतक का शव डिकम्पोज अवस्था में था। मृतक के शव मे कीडे लगे हुये थे। बाद पोस्टमार्टम मृतक की मृत्यु के कारण बाबत राय सुरक्षित रखते हुये शव के निम्न सैम्पल एफएसएल परीक्षण बाबत लिये गये। जार-ए पेट एवं आंत नमक

के घोल में कॉमन पोईजन का पता करने के लिये, जार-बी फेफडे, लीवर, गुर्दे, तिल्ली के हिस्से नमक के घोल में कॉन पोईजन का पता करने के लिये, जार-सी ह्रदय, फेफडे, लिवर, तिल्ली एवं गुर्दे के हिस्से फारमेलिन के घोल में हिस्टोपथोलोजी परीक्षण हेतु, जार-डी गर्दन के उतक फारमेलिन के घोल मे हिस्टोपथोलोजी परीक्षण के लिये, जार-ई गले की हडडी फारमलिन के घोल में ऐनोटोमिकल परीक्षण के लिये, जार-एफ स्टरनम हडडी, बाल, एक दांत डीएनए प्रोफाईल में मिलान के लिये लिये थे। जार-ए व बी की बाद एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हुई। किसी प्रकार का सामान्य जहर नही पाया गया एवं जार-सी व डी की हिस्टोपथोलोजी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 33 है, जिस पर ए से बी राय, सी से डी लिये गये जार, आई से जे उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 39 है।

63- प्रतिपरीक्षण में गवाह डॉ राकेश कुमार ने कथन किया है कि मृतक की मृत्यु किस कारण से हुई, वह आज नहीं बता सकता। डीएनए टेस्ट के लिये सैम्पल इसलिए लिया गया था, ताकि जरूरत पडने पर यह पता लग सके की शव किसका था। वे सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डीएनए के लिये सैम्पल नहीं लेते। जब शव की पहचान बाबत संशय हो या बॉडी डिकम्पोज हो तब डीएनए के लिये सैम्पल लेते हैं। शव की कोई भी हड्डी टूटी हुई नहीं थी बल्कि जोडों से ढिली हो रखी थी एवं कई हड्डियां अलग भी हो रही थी। सिर की हड्डियों के जोईंट ढिले हो रखे थे और छाती की हड्डियां ढिली हो रखी थी। जीभ की स्थिति क्या थी, वह नहीं बता सकता क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बाबत अंकन नहीं है। जहां गला घोट के किसी को मारा जाये तो जीभ की स्थिति के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख होता है, स्वयं कहा कि इस प्रकरण में पूरी बॉडी डिकम्पोज हो रखी थी, इसलिए पता नहीं चल पाया। उन्होंने जिस दिन जार ए, बी, सी, डी, ई, एफ पुलिस को दिये थे, उसी दिन पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्शपी-33 तैयार की थी। मृतक की मृत्यु की अवधि शव के डिकम्पोज अवस्था के आधार पर बताई है।

64- **पी.डब्ल्यू. 23 डॉ. उम्मेद सिंह भी मेडिकल बोर्ड का सदस्य होकर मृतक के शव का परीक्षण करने का साक्षी है,** ने यह कथन किया है कि दिनांक 11.03.2018 को वह सीएचसी राजगढ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज एसएचओ पुलिस थाना हमीरवास की तहरीर पर मृतक संदीप पुत्र महावीर सिंह उम्र 23 वर्ष जाति जाट निवासी सुखावास पीएस हमीरवास के शव का मेडीकल बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें वह, डॉ.

राकेश कुमार व डॉ. सज्जन कुमार सदस्य थे। मृतक की पहचान उसके चाचा उम्मेद सिंह पुत्र नारायण राम द्वारा की गयी। मृतक की मृत्यु परीक्षण से 10-14 दिवस पूर्व की अवधि की थी। मृतक का शव डिकम्पोज अवस्था में था। मृतक के शव मे कीडे लगे हुये थे। बाद पोस्टमार्टम मृतक की मृत्यु के कारण बाबत राय सुरक्षित रखते हुये शव के निम्न सैम्पल एफएसएल परीक्षण बाबत लिये गये। जार-ए पेट एवं आंत नमक के घोल में कॉमन पोईजन का पता करने के लिये, जार-बी फेफडे, लीवर, गुर्दे, तिल्ली के हिस्से नमक के घोल में कॉन पोईजन का पता करने के लिये, जार-सी ह्रदय, फेफडे, लीवर, तिल्ली एवं गुर्दे के हिस्से फारमेलिन के घोल में हिस्टोपथोलोजी परीक्षण हेतु, जार-डी गर्दन के उतक फारमेलिन के घोल मे हिस्टोपथोलोजी परीक्षण के लिये, जार-ई गले की हडडी फारमलिन के घोल में ऐनोटोमिकल परीक्षण के लिये, जार-एफ स्टरनम हडडी, बाल, एक दांत डीएनए प्रोफाईल में मिलान के लिये लिये थे। जार-ए व बी की बाद एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हुई। किसी प्रकार का सामान्य जहर नही पाया गया एवं जार-सी व डी की हिस्टोपथोलोजी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 33 है, जिस पर ए से बी राय, सी से डी लिये गये जार, के से एल उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 39 है।

65- प्रतिपरीक्षण में गवाह डॉ उम्मेद सिंह ने कथन किया है कि मृतक की मृत्यु कम से कम 10 दिन पहले और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन पहले के भीतर की अवधि की थी। डीएनए टेस्ट के लिये सैम्पल इसलिए लिया गया था, ताकि जरूरत पडने पर यह पता लग सके की शव किसका था। शव की कोई भी हड्डी टूटी हुई नहीं थी, फिर कहा कि जोडों से ढिली हो रखी थी एवं कई हड्डियां अलग भी हो रही थी। सिर की हड्डियों के जोईंट ढिले हो रखे थे और छाती की हड्डिंयां ढिली हो रखी थी। वह नहीं बता सकता कि जीभ की स्थिति क्या थी क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बाबत अंकन नही है। उन्होंने जिस दिन जार ए, बी, सी, डी, ई, एफ पुलिस को दिये थे, उसी दिन पीएमआर रिपोर्ट प्रदर्शपी-33 तैयार की थी। मृतक की मृत्यु की अवधि शव के डिकम्पोज अवस्था के आधार पर बताई है। पीएमआर प्रदर्शपी-33 के कॉलम संख्या 4 में शव कहां से लाया गया, गांव व थाना अंकित नहीं है।

66- **पी.डब्ल्यू. 17 सुमेर सिंह, जो प्रकरण में मालखाना इंचार्ज है,** जिसने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 26.02.2018 को वह पुलिस थाना हमीरवास में हैड कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज इन्द्र कुमार एसआई एसएचओ ने उसे मुकदमा नम्बर 29/2018 में जप्तशुदा एक कार

मारूती अल्टो नम्बर आरजे 10 सीए 7618 व दिनांक 27.02.2018 को एक कपडे की थैली सिल्डशुदा मार्क-ए, जिसमें एक सिम कार्ड अपहरत संदीप तथा दिनांक 11.03.2018 को एक कपडे की थैली सिल्डशुदा मार्क-बी, जिसमें एक ड्राईविग लाईसेंस मुलजिम अजयराज सिंह, एक कपडे की थैली सिल्डशुदा मार्क-एक्स, जिसमें एक बटन, एक कपडे की थैली सिल्डशुदा मार्क-सी, जिसमें एक शर्ट मृतक संदीप, दिनांक 16.03.2018 को एक कपडे की थैली सिल्डशुदा मार्क-डी, जिसमें एक टुटा हुआ मोबाईल मुलजिम अजयराज सिंह, एक कपडे की थैली सिल्डशुदा मार्क-ई, जिसमें मृतक संदीप के कोट व पर्स के जले हुये अवशेष एवं दिनांक 17.03.2018 को एक कपडे की थैली सील्डशुदा मार्क-एफ, जिसमें एक मफलर मुलजिम अजयराज सिंह, दिनांक 29.03.2018 को 5 जार सिल्डशुदा सीएचसी राजगढ से सुनिल कुमार एफसी प्राप्त कर लाया था, जिनको उसने मालखाना रजिस्टर क्रम संख्या 289 पर दर्ज किया था। दिनांक 05.04.2018 को जयवीर सिंह एफसी 1353 को चिटठी जारी करवाने व जमा कराने वजह सबुत एसपी कार्यालय चूरू रवाना किया था और साथ में सिल्डशुदा पैकेट मार्क-सी व एक्स, जार मार्क-ए, बी, सी, डी, ई दिये थे। उक्त एफसी ने दिनांक 07.04.2018 को एफएसएल में वजह सबूत जमा करवाकर रसीद उसे लाकर दी व जार में से मार्क-ई में ऐतराज होने पर वापस लेकर आया, जिसे मालखाना में वापस रख दी एवं रसीदें सम्बन्धित आईओ को सुपुर्द कर दी। जब तक वजह सबूत उसके पास रहा सील्डशुदा रहा। आज मूल मालखाना रजिस्टर साथ लाया है, जो प्रदर्श पी 32 है, जिस पर ए से बी वजह सबुत जमा करने का प्रष्ठांकन है, सी से डी कैरियर की आमद रवानगी है, ई से एफ कैरियर जयवीर सिंह के हस्ताक्षर है, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी 32ए है।

67- प्रतिपरीक्षण में गवाह सुमेर सिंह ने कथन किया है कि मालखाना रजिस्टर में 290 नम्बर पर जो इन्द्राज किया गया है, वह दिनांक 01.03.2018 का है। उक्त मुकदमा गम्भीर होने के कारण और माल आने की सम्भावना के कारण उसके द्वारा जगह छोडकर दिनांक 01.03.2018 का इन्द्राज किया गया था। मुकदमा नम्बर 29 के वजह सबूत का इन्द्राज उसके द्वारा छोडी गयी जगह में पूरा पूरा क्यों हुआ है, इसका कारण उसे याद नहीं है। वजह सबूत के अनुसार प्रदर्शपी-32 पर सील लगनी थी। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी-32 प्रमाणित नहीं है, स्वयं कहा कि वह मूल रजिस्टर होने से प्रमाणित नहीं की जाती है। प्रदर्शपी-32 उसकी स्वंय की कलमी है। प्रदर्श पी 32 में क्रम संख्या 1 से 9 में

उसके द्वारा जो वजह सबूत जमा किये गये है, वे वजह सबूत उसके पास किस किस समय जमा कराये गये थे, वह समय याद नहीं है। प्रदर्शपी-32 में क्रमांक संख्या 6 पर जो इन्द्राज किया गया है कि सील्डशुदा मार्क-डी, जिसमें एक टूटा हुआ मोबाईल मुलजिम अजयराज सिंह का इन्द्राज उसने सील्डशुदा पैकेट पर लिखा हुआ देखकर इन्द्राज किया था। मारूती कार अल्टो कहां से लेकर आये थे, उसे ध्यान नही है। जब उसने गाडी मालखाना में जमा की, तब उसका निरीक्षण नहीं किया बल्कि उसे चाबी सम्भलायी थी, जो उसने मालखाना में रख ली। यदि माल खुले में पडा है तो उसे देखने, बाहर निकालने आदि के बारे में कोई इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में नहीं किया जाता। गाडी जप्त होने के बाद जप्ती अधिकारी ने गाडी को चेक किया था लेकिन कब व किस दिनांक को किया, वह नहीं बता सकता। जिस दिन उसने गाडी जमा की, उस दिन गाडी बंद अवस्था में थी या चालु अवस्था में थी, उसे याद नहीं है।

68- **पी.डब्ल्यू. 20 जयवीर सिंह, जो फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू तथा सैंपल ले जाने तथा एफएसएल में जमा कराने का साक्षी है,** जिसने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 03.07.2018 को वह पुलिस थाना हमीरवास में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू को अनुसंधान अधिकारी ने गिरफतार किया था। जामा तलाशी में मुलजिम के पास एक सिल्वर रंग का एमआई कम्पनी टच मोबाईल मिला, जिसे थानेदार ने कब्जा पुलिस में लिया था। मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू की फर्द गिरफतारी तैयार की, जो प्रदर्श पी 21 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इसी मुकदमें से सम्बन्धित उसे मालखाना इंचार्ज ने अग्रेषण पत्र एवं एफएसएल जमा करवाने बाबत दिनांक 05.04.2018 को दो सील्ड पैकेट मार्क-ए व बी और सी एक्स उसे सम्भलाये। थाना से रवाना होकर चूरू पहुंच कर अग्रेषण पत्र जारी करवाया, जो प्रदर्श पी 34, पैकेट मार्क-सी, एक्स अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 35 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चूरू से बीकानेर एफएसएल के नाम चिट्ठी जारी करवाकर दिनांक 06.04.2018 को एफएसएल बीकानेर में जमा कराया, जिसकी रसीद प्रदर्श पी 36 है तथा अन्य दो पैकेट उसी समय एफएसएल बीकानेर में जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 37 है। पैकेट मार्क-सी व डी जमा प्राप्ति रसीद दिनांक 06.04.2018 को एफएसएल बीकानेर में जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 38 है। दिनांक 07.04.2018 को उक्त प्राप्ति रसीद व अग्रेषण पत्र पुलिस थाना हमीरवास में मालखाना इंचार्ज को जमा करवा दी थी।

69- प्रतिपरीक्षण में गवाह जयवीर सिंह ने कथन किया है कि विरेंद्र उर्फ चिन्नू को थाने में एसएचओ ने एसएचओ ऑफिस के सामने गिरफ्तार किया था। सभी सैम्पल नमूनाशील से सील्डशुदा थे। मालखाना इंचार्ज ने उसे सैम्पल 10-11 बजे के लगभग दिये थे। उक्त चार सैम्पलों के अलावा उसे दस्तावेजात दिये थे। वह बीकानेर अगले दिन पहुंच गया था। चूरू में पुलिस अधीक्षक के अग्रेषण पत्र कार्यालय में गया था। चूरू अग्रेषण पत्र कार्यालय में उसके हस्ताक्षर कराये थे। चूरू अग्रेषण पत्र कार्यालय में चारो पैकेटो को उसके सामने चैक किया था। चूरू वालों ने चारों सैम्पलों पर उसके सामने कोई सील मोहर नहीं लगाई। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी-34 व 35 में उसके सैम्पलों के साथ दस्तावेज लेकर जाने बाबत कोई अंकन नहीं है। बीकानेर वह करीब 10 बजे पहुंच गया था। प्रदर्शपी-34 व 35 उसे एसपी ऑफीस वालों ने दिये थे। वह बीकानेर से करीब 5 बजे रवाना हुआ था। बीकानेर वालों ने उसे प्राप्ति रसीद दी थी। दिनांक 06.04.2018 को बीकानेर विधि प्रयोगशाला में उसे प्राप्ति रसीद के अलावा कुछ नहीं दिया।

70- **पी.डब्ल्यू. 25 मनोज कुमार, जो प्रकरण का आंशिक अनुसंधानकर्ता है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.02.2018 को वह पुलिस थाना हमीरवास में एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज श्रीमती सजना देवी पत्नी महावीर निवासी सुखावास ने एक लिखित रिपोर्ट उसके लडके संदीप की गुमशुदगी के संबंध में पेश की, जो प्रदर्श 3 है, जिस पर एनपीआर दर्ज कर जांच उसे दी गई थी। दौराने जांच उसने परिवादीया सजना देवी, गुमशुदा संदीप के पिता महावीर, उमेद सिंह व संदिग्ध विरेन्द्र उर्फ चिन्नू, राकेश कुमार पुत्र जगदीश से पूछताछ की थी। गुमशुदा संदीप की तलाश उसके गांव व थाना इलाका में की गई थी। एनपीआर में दो मोबाईल नंबर 9001104799, 8769959631 की कॉल डिटेल बाबत एसपी साहब को पत्र प्रेषित किया, जो प्रदर्श 77 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात दिनांक 25.02.2018 को महावीर पुत्र नारायण राम निवासी सुखावास ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जो प्रदर्श 1 हैं, जिस पर ए से बी स्थानों पर परिवादी महावीर सिंह के हस्ताक्षर, सी से डी पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्शपी 1 के आधार पर एफआईआर नंबर 29/2018 दर्ज की गई, जो प्रदर्शपी 2 है, जिस पर ए से बी परिवादी के हस्ताक्षर तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मुकदमा की तफतीश तत्कालीन थानाधिकारी बाहर जाने पर उसके द्वारा शुरू की गई। थानाधिकारी इन्द्रकुमार के आने पर पत्रावली उन्हें सुपुर्द

कर दी थी।

71- प्रतिपरीक्षण में गवाह मनोज कुमार ने कथन किया है कि प्रदर्शपी-3 में सजना देवी द्वारा उसके पुत्र के अपहरण बाबत व जान से मारने का मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था। उसने सजना देवी से जो पूछताछ की, उसमें किसी के भी साथ उनकी व संदीप की रंजिश नहीं होना बताया। दिनांक 24.02.18 को प्रदर्शपी-3 के अनुसंधान के संबंध में सांखणताल व सुखावास गांव के बीच में गया था। बकरी चराने वाले मिले थे, जिन्होंने बताया कि गुमशुदा संदीप को सडक पर घर की तरफ जाते हुए देखा था। बताने वालों ने उसे गाडी व गाडी के नंबर के बारे में नहीं बताया। लीलाधर बकरी चराने वालों में से था या नहीं, उसे याद नहीं है। परिवादीया व उसका पति उसके साथ ही थे, जिन्होंने गाडी से नीचे उतरकर उसे गाडी मुडने वाला स्थान नहीं बताया। विरेंद्र उर्फ चिन्नू संदीप को दिन में पिलाणी मिला था, इसलिए उसने विरेंद्र उर्फ चिन्नू को संदिग्ध माना था। उसने राकेश, जो संदीप का रिश्तेदार था, उसे भी संदिग्ध माना था। एमपीआर के अनुसंधान के दौरान उसने परिवादीया द्वारा बताये गये बस व कंडक्टर से कोई अनुसंधान नहीं किया था, फिर कहा वे उसे मिले ही नहीं। उसे नहीं पता कि संदीप के पास कितने फोन थे, दो सिम बतायी थी। एल्टो गाडी विरेंद्र उर्फ चिन्नू के घर से 26 तारीख को बाद दोपहर लाये थे। वह और नवीन ही गये थे तथा प्राइवेट गाडी से गये थे। प्राइवेट गाडी को शायद नवीन ही चलाकर ले गया था, वापस आते समय एल्टो गाडी लेकर आया था। गाडी विरेंद्र उर्फ चिन्नू के घर से लाये थे तथा घर पर विरेंद्र उर्फ चिन्नू का ही कब्जा है। चाबी एक महिला से ली थी लेकिन महिला का पता नहीं कौन थी।

72- **पी.डब्ल्यू. 24 इंद्र कुमार, जो प्रकरण का मुख्य अनुसंधान अधिकारी है,** ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 24.02.2018 को वह थानाधिकारी पुलिस थाना हमीरवास के पद पर तैनात था। उस रोज उसके सामने सजना पत्नि महावीर सिंह जाट निवासी सुखावास ने गुमशुदगी (अपहरण) लिखित रिपोर्ट पेश हुई, जो प्रदर्श पी 03 है, जिस पर एक्स स्थानों पर सजना की अंगूठा निशानी है, ई से एफ पुलिस कार्यवाही का अंकन है, जी से एच उम्मेद सिंह के हस्ताक्षर है, आई से जे उसके हस्ताक्षर है। संदीप की एमपीआर पंजीकरण प्रदर्श पी 04 है, एक्स स्थान पर सजना देवी की अंगूठा निशानी है, सी से डी उसके हस्ताक्षर है। महावीर सिंह की लिखित रिपोर्ट पर मुकदमा 29/2018 दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने से उक्त मुकदमा की अग्रिम अनुसंधान

हेतु पत्रावली उसके पास आई। दौराने अनुसंधान दिनांक 26.02.2018 को अल्टो कार नम्बर आरजे 10 सीए 7618 बरामद कर फर्द जप्ती प्रदर्श पी 14 तैयार की। जप्तशुदा अल्टो गाडी, जो आरोपी चिन्नू उर्फ विरेन्द्र की थी, जिसे चैक किया तो गाडी के अन्दर सिम कार्ड संदीप पुत्र महावीर के नाम से मिला, जिसकी कॉल डिटेल निकाल कर अनुसंधान किया। फर्द जप्ती एक सिम कार्ड प्रदर्श पी 20 है। दौराने अनुसंधान कार से जप्तशुदा सिम मोबाईल नम्बर 9468552138 की कॉल डिटेल प्राप्त कर अवलोकन किया गया। दिनांक 23.02.2018 की लास्ट कॉल 05.26.53 पीएम पर हुई, जिसका 65 बी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 47 है, जिस पर ए से बी उसके शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। कॉल डिटेल प्रदर्श पी 47 ए है। दिनांक 07.03.2018 को मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू को जरिये फर्द गिरफतार किया, जो प्रदर्श पी 21 है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने उसे स्वेच्छिक इंतला दी कि नोरंगपुरा से ठिमाउ जाने वाली सडक पर संदीप का शव डाला था, जिसे चलकर बता सकता है, जो प्रदर्श पी 48 है। दिनांक 10.03.2018 को फर्द बरामदगी लाश अपहरत संदीप कुमार प्रदर्श पी 11, मृतक संदीप की फर्द सुरत लाश प्रदर्श पी 12 है। फर्द जप्ती डीएल मुलजिम अजयराज सिंह का बरामद कर फर्द तैयार की गयी, जो प्रदर्श पी 15, नक्शामौका बरामदगी स्थल लाश मृतक संदीप प्रदर्श पी 16, हालातमौका बरामदगी स्थल लाश प्रदर्श पी 16 ए, फर्द पंचायतनामा मृतक संदीप कुमार प्रदर्श पी 04, फर्द जप्ती एक शर्ट मृतक संदीप कुमार प्रदर्श पी 13 है।

73- आगे गवाह पी0 ड0-24 इंद्र कुमार का मुख्य परीक्षा में कथन है कि दिनांक 10.03.2018 को प्रभारी एफएसएल यूनिट चूरू को भेजा गया पत्र प्रदर्श पी 49 है। दिनांक 10.03.2017 को एफएसएल टीम द्वारा अल्टो कार संख्या आरजे 10 सीए 7618 का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण चालक सीट के नीचे आगे पीछे सरकाने की प्लेट के बीच खाली जगह एक बटन निकाल कर उसके समक्ष एफएसएल टीम ने पेश किया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 31 तैयार की। दिनांक 13.03.2018 को जैर हिरासत विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने उसे स्वेच्छिक इंतला दी कि दिनांक 23.02.2018 को सुखावास से साखण ताल जाने वाले सडक पर उसने व अजयराज ने संदीप सिंह को उसकी गाडी में बैठाया था, वह स्थान वह उन्हें साथ चलकर बता सकता है, जिसकी फर्द इतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 51 है। प्रदर्श पी 51 इतिला के अनुसार मुलजिम विरेन्द्र की निशानदेही पर घटनास्थल पर रोही साखण ताल पहुंच कर नक्शामौका घटनास्थल तैयार किया, जो प्रदर्श पी 18, हालातमौका प्रदर्श पी

18ए है। दिनांक 14.03.2018 को जैर हिरासत मुलजिम ने दफा 27 की इंतला दी, जो इतिला प्रदर्श पी 52 है। उक्त इतिला के अनुसार मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू की निशानदेही पर घटनास्थल बेगू का बास पहुंचकर नक्शामौका घटनास्थल मार्क-बी तैयार किया, जो प्रदर्श पी 19 व इसका हालात मौका प्रदर्श पी 19ए है। दिनांक 13.03.2018 को मुलजिम अजयराज सिंह को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जो प्रदर्श पी 17 है। गिरफ्तारशुदा मुलजिम अजयराज ने स्वेछिक इंतला दी कि एक मोबाईल फोन उसने महेन्द्रगढ से लौहारू जाने वाली सडक से मौजा पथरवा से नागल जाने वाली अप्रोच सडक पर टी-पोईन्ट पर सडक के किनारे खडे सरकण्डों में छिपाया था, जो साथ चलकर बता सकता है, जिसकी फर्द इतिला प्रदर्श पी 50 है। मुलजिम अजयराज की इतिला पर रोही पथरवा, हरियाणा पहुंच कर एक टूटा हुआ मोबाईल मुलजिम अजयराज की निशानदेही से बरामद किया, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 22 व इसका नक्शामौका प्रदर्श पी 23 तथा हालातमौका प्रदर्श पी 23ए है। जैर हिरासत मुलजिम अजयराज ने दिनांक 16.03.2018 को उसे स्वेच्छिक इतिला दी कि चांदगोठी से गोडाण जाने वाली सडक पर उसने व विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने संदीप का पर्स तथा कोट जलाया था, वह स्थान साथ चलकर बता सकता है, जिसकी फर्द इतिला अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की तैयार की, जो प्रदर्श पी 53 व उसका नक्शामौका प्रदर्श पी 24 तथा हालातमौका प्रदर्श पी 24ए है, जिनको नमूनाशील से सील मोहर कर नमूनाशील किया था। बरामदगी जले हुये पर्स व कोट का नक्शामौका तैयार किया, जो प्रदर्श पी 25 व इसका हालातमौका प्रदर्श पी 25ए है।

74- आगे इसी गवाह पी.डब्ल्यू. 24 इंद्र कुमार ने मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 16.03.2018 को अजयराज द्वारा दी गयी स्वेच्छिक इतिला दफा 27, जो प्रदर्श पी 54 है। प्रदर्श पी 54 की इतिला पर घटनास्थल साखणताल पहुंचकर मुलजिम अजयराज ने उसे गाडी रूकवाकर बताया कि दिनांक 23.02.2018 को उसने तथा विरेन्द्र चिन्नू ने संदीप को विरेन्द्र चिन्नू की गाडी में बैठाया था, जिसकी फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 26 है। दिनांक 17.03.2018 को जैर हिरासत मुलजिम अजयराज ने उसे स्वेच्छिक इतिला दी कि उसने व विरेन्द्र चिन्नू ने संदीप को गला घोटकर मारा तथा रोही ठिमाउ में, जिस कुए में उन्होंने संदीप का शव डाला था, वह दोनों स्थान साथ चलकर बता सकता है, जिसकी फर्द इतिला प्रदर्श पी 55 है, जिस पर ए से बी मुलजिम अजयराज व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इतिला के अनुसार

घटनास्थल बेंगू बास पहुंचकर मुलजिम ने घटनास्थल मार्क-बी की ताईद की, जिसकी फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 27 व 28 है। दिनांक 17.03.2018 को मुलजिम अजयराज ने उसे स्वेच्छिक इंतला दी कि उसने एक मफलर उसके घर गांव किरतान में छिपा कर रखा है, जो वह साथ चलकर बरामद करवा सकता है, जिसकी फर्द इतिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 56 है, जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम अजयराज की निशानदेही पर रोही किरतान उसके रिहायसी मकान पर पहुंचकर उसके आगे आगे चलकर अपने मकान के कमरे के पुराने कपडों के नीचे से निकालकर उसे मफलर दिया, जो प्रदर्श पी 29 है। जप्त मफलर को सफेद कपडे की थैली में डालकर मार्क-एफ अंकित किया तथा एक्स स्थान पर नमूनाशील का अंकन है। नक्शामौका बरामदगी स्थल मफलर प्रदर्श पी 30 व हालातमौका प्रदर्श पी 30ए है। बाद पोस्टमार्टम संदीप की लाश की सुपुर्दगी फर्द मुर्तिब की गयी, जो प्रदर्श पी 05 है। दौराने अनुसंधान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी महावीर सिंह, सजना देवी, छोटूराम, रामपाल, राकेश, लीलाधर, होशियार सिंह, मोतीसिंह, रधुवीर सिंह, रामनिवास, संजय कुमार, राकेश पुत्र जगदीश, जयवीर, सुमेर सिंह के बयान उनके बोलेनुसार लेखबद्व किये। दौराने अनुसंधान दिनांक 09.05.2018 को अल्टो कार संख्या आरजे 10 सीए 7618 की आर.सी जप्त की, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 57 तथा आर.सी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 58 व 59 है। उसके द्वारा दिनांक 07.05.2018 को प्रभारी अधिकारी बिजली बोर्ड को दिया गया पत्र प्रदर्श पी 60 है। अजमेर विद्युत निगम, पिलानी के द्वारा बिजली की फाईल की पैसे जमा करवाने की रसीद प्रदर्श पी 61 व 62 है। रोजनामचे की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 63 है, जो लगातार 1 से 6 पेज में है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी शामिल पत्रावली करने का प्रष्ठांकन है। दौराने अनुसंधान एफएसएल हेतु पैकेट मार्क-सी व एक्स भेजने बाबत अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 35, जमा प्राप्ति रसीद एफएसएल बीकानेर प्रदर्श पी 36, वजह सबूत पैकेट मार्क-ए, बी एफएसएल हेतु भेजने बाबत अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 34 है। उक्त वजह सबूत एफएसएल बीकानेर में जमा करवाने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 37 तथा जार पैकेट-सी व डी की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 38 है। दिनांक 23.08.2018 को घटनास्थल से लिये गये 10 फोटोग्राफ की रिपोर्ट प्रदर्श पी 64 है। दौराने पोस्टमार्टम लिये गये जार प्राचार्य पटेल मेडीकल कॉलेज, बीकानेर में जमा करवाने हेतु भेजा गया पत्र प्रदर्श पी 65 तथा पत्र प्रदर्श पी 65 की ऐतराज पूर्ति बाबत मेडीकल बोर्ड को दिया गया पत्र प्रदर्श पी 66 है। पोस्टमार्टम प्रदर्श पी 33

है, जिस पर ए से बी उसके शामिल पत्रावली के हस्ताक्षर है। एफएसएल रिपोर्ट पैकेट जार मार्क-ए व बी एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 39, जप्तशुदा दो पैकेट की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 67 है। दौराने अनुसंधान मृतक के पिता महावीर सिंह ने मोबाईल का बिल पेश किया, जो प्रदर्श पी 68 है, जिस पर ए से बी महावीर सिह के हस्ताक्षर, सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

75- आगे इसी गवाह पी.डब्ल्यू. 24 इंद्र कुमार ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि पुलिस थाना हमीरवास से वजह सबूत न्यायालय में पेश हुये। न्यायालय की अनुमति से पैकेट को खोला गया। एक सफेद कपडे की थैली सिल्डशुदा पैकेट मार्क-ए जिस पर मुकदमा हाजा व एक सिम कार्ड का अंकन किया हुआ है, जो आर्टिकल- 1 है। पैकेट पर चिट दस्तख्ती बंधी हुई, जो प्रदर्श पी 69 है। पैकेट को खोला गया, जिसमें मूल चिट दस्तख्ती प्रदर्श पी 69 ए है तथा अन्दर एक सिम कार्ड आर्टिकल-2, जिस पर बीएसएनएल 3 जी लिखा हुआ है। सील्डशुदा कपडे की थैली मार्क-बी को खेाला गया, जो आर्टिकल- 3 है। पैकेट पर कार्बन प्रति चिट दस्तख्ती बंधी हुई, जो प्रदर्श पी 70 है। पैकेट को खोला गया, जिसमें मूल चिट दस्तख्ती प्रदर्श पी 70 ए है तथा अन्दर एक डीएल मुलजिम अजयराज सिंह आर्टिकल-4 है। सील्डशुदा कपडे की थैली मार्क-सी, जो आर्टिकल- 5 है, जिसको खोला गया तो अन्दर एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 71 है। पैकेट के अन्दर मृतक संदीप कुमार की एक शर्ट निकाली, जो आर्टिकल- 6 है। सील्डशुदा कपडे की थैली मार्क-डी, जो आर्टिकल- 7 है, जिसके उपर चिट दस्तख्ती कार्बन प्रति बंधी हुई है, जो प्रदर्श पी 72 है। पैकेट के अन्दर मूल चिट दस्तख्ती निकली, जो प्रदर्श पी 72 ए है, जिसमें काले रंग का कीपेड टूटा हुआ मोबाईल फोन निकला, जो आर्टिकल- 8 है।

76- सील्डशुदा कपडे की थैली मार्क-ई, जो आर्टिकल- 9 है, जिसके उपर चिट दस्तख्ती कार्बन प्रति बंधी हुई है, जो प्रदर्श पी 73 है। पैकेट के अन्दर मूल चिट दस्तख्ती निकली, जो प्रदर्श पी 73 ए है, जिसके अन्दर कोट तथा पर्स के जले हुये अवशेष निकले, जो आर्टिकल-10 है। सील्डशुदा कपडे की थैली मार्क-एफ, जो आर्टिकल- 11 है, जिसके उपर चिट दस्तख्ती कार्बन प्रति बंधी हुई है, जो प्रदर्श पी 74 है। पैकेट के अन्दर मूल चिट दस्तख्ती निकली, जो प्रदर्श पी 74 ए है, जिसके अन्दर एक मफलर है, जो आर्टिकल- 12 है। सील्डशुदा कपडे की थैली मार्क-एक्स, जो आर्टिकल- 13 है, जिसके उपर चिट दस्तख्ती कार्बन प्रति बंधी हुई है, जो प्रदर्श पी 75 है। पैकेट के अन्दर मूल चिट दस्तख्ती निकली, जो प्रदर्श पी 75 ए है। पैकेट के अन्दर एफएसएल बीकानेर की प्राप्ति

रसीद प्रदर्श पी 76 है। पैकेट के अन्दर एक बटन है, जिस पर एफ 99 लिखा हुआ है, जो आर्टिकल- 14 है। बाद तफ्तीस मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू पुत्र हरिसिंह निवासी सुलखनिया छोटा थाना हमीरवास व अजयराज सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी शांति नगर कॉलोनी पिलानी, हाल किरतान जिला चूरू के विरूद्व अपराध धारा 364, 364क, 365, 302, 201/34 भा.द.सं. में प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट न्यायालय में पेश की गयी।

77- प्रतिपरीक्षण में गवाह इंद्र कुमार ने कथन किया है कि प्रदर्शपी-3 उसके समक्ष पेश की गयी थी, जिसके अनुसार अपहरण व जान से मार दिये जाने का मुकदमा दर्ज करने का निवेदन किया गया था। प्रदर्श पी 3 का मजमून गुमशुदगी का था, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की गयी। प्रदर्श पी 3 में दर्शाये गये स्थान साखणताल व सुखावास के बीच के स्थान बाबत अनुसंधान किया गया था। मनोज कुमार एएसआई ने उसे बताया कि प्रदर्श पी 3 के अनुसार बताये गये टायरों के निशान मौके पर मिले थे। उसे प्रदर्श पी 3 देने के बाद उसे सजना ने पूछताछ के दौरान यह बताया कि उनकी किसी के साथ कोई रंजिश नही है और ना ही किसी पर शक था। सजना अनपढ थी। उसे जानकारी नहीं है कि सजना ने प्रदर्श पी 3 किससे लिखवाई। प्रदर्श पी 3 पेश करते समय सजना को छोटी कार सफेद रंग बाबत जानकारी थी। गुमशुदगी में लिखाये गये नम्बरों के अलावा भी संदीप के पास नम्बर थे, जिसकी सीम अल्टो गाडी में मिली थी। प्रदर्श पी 3 में दर्ज दोनों नम्बर चालू हालत में बताये गये थे। वह जो अजयराज से संदीप का फोन जप्त करना बता रहा है, वह फोन डबल सीम का था। यह सही है कि प्रदर्श पी 47 में सिर्फ संदीप नाम लिखा हुआ है, फिर कहा कि गांव का नाम लिखा है। प्रदर्श पी 48 हवालात के पास थाने में तैयार की थी। विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने जो इतिला दी थी और जिन शब्दो में दी, वह हूबहू लिखी थी।

78- उसने मृतक के परिजनों को यह सूचना दी थी कि संदीप का शव मुलजिमों ने संदीप को मारकर कुएं में डालना बताया है। प्रदर्श पी 48 तैयार करने के पश्चात उसने प्रदर्श पी 48 में दी गयी इतिला का हवाला उसने उसकी केस डायरी में कर दिया था। परिजनों को सूचना उसने कितने बजे दी, वह आज अन्दाजन भी नहीं बता सकता। प्रदर्श पी 63 में दर्ज उसकी रवानगी दिनांक 10.03.2018 समय 01.16 पीएम में दर्ज रोजनामचा की रवानगी में प्रदर्श पी 48 का पूर्ण रूप से विवरण नहीं दिया गया है। रवानगी में मृतक संदीप के शव बाबत इतिला दी जाने का अंकन नहीं है, स्वयं कहा कि रोजनामचा है, इसलिए उसे छोटे रूप में लिखते हैं। प्रदर्श पी 63 रोजनामचा में दर्ज उसकी आमद

दिनांक 10.03.2018 समय 06.10 पीएम में दर्ज तथ्य उसके द्वारा अंकित करवाये गये थे। उक्त आमद में विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने उसे प्रदर्श पी 48 में दर्ज इतिला दी थी, उसी का उल्लेख है, स्वयं कहा कि अतिरिक्त खुलासा भी है। यह अतिरिक्त खुलासा अन्य मुलजिमों के बारे में था। मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने ही अन्य मुलजिम अजय व राकेश का नाम बताया। उसे पहले अजय का नाम बताया फिर राकेश का नाम बताया।

79- आगे प्रतिपरीक्षण में गवाह इंद्र कुमार ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसने अनुसंधान में राकेश को मुलजिम नहीं माना। यह कहना गलत है कि उसने राकेश के संलिप्त ना होने के बारे में कोई अंकन अनुसंधान में ना किया हो, स्वयं कहा कि उसने सीडी में अंकन किया है। मशीन को प्राइवेट वाहन से जोडकर लाये थे। चांदगोठी से कुएं की दूरी 15-20 किलोमीटर है। उसने ड्राईविग लाईसेंस बाबत परिवहन विभाग से कोई अनुसंधान नहीं किया। रामनिवास पुत्र अमर लाल के धारा 161 सीआरपीसी के बयान उसके द्वारा लिये गये थे। पिलानी स्थित शांति नगर की उसे जानकारी है क्योंकि वह शांति नगर में गया है। शांति नगर में ही अजयराज का मकान था, वहां भी वे गये थे। वह ड्राईविग लाईसेंस में दर्ज पते की तस्दीक हेतु गया था। वहां मकान था लेकिन किसका मकान था, उसे जानकारी नहीं है। उस मकान में उसे कोई महिला पुरूष, लडका मिला या नहीं, वह नहीं बता सकता। ड्राईविग लाईसेंस में दर्ज ऐड्रस के मकान पर गया, तब वह मकान किसका होना बताया, उसे जानकारी नहीं है। उन्होंने मुलजिम अजयराज की फोटो के साथ ड्राईविग लाईसेंस में लगी फोटो का मिलान किया था। ड्राईविग लाईसेंस व अजयराज की फोटो का मिलान कब किया, उसे ध्यान नहीं है। यह सही है कि प्रदर्शपी 15 पर किसी भी स्वंतत्र गवाह व मौके पर बताये गये प्राइवेट व्यक्तियों के हस्ताक्षर नही है। लाश की पहचान करने से पहले उसने शिवराम की तलाशी नहीं ली थी। उसने रामनिवास की तलाशी कुएं में जाने से पहले नहीं ली थी। मुलाजमानों द्वारा यह फर्जी लाईसेंस डालने की सम्भावना नहीं है।

80- जहां शव की शिनाख्ती ना हो, वहां डीएनए की जांच कराने की आवश्यकता होती है। मुलजिम अजयराज द्वारा फोन बाबत इतिला दी गयी थी, उसके लगभग 8-10 घण्टे बाद उन्होंने फोन हरियाणा से बरामद कर लिया था। 8-10 घण्टे बाद फोन बरामद करके वे सीधे ही वापस थाना पर आ गये थे। उसे याद नहीं है कि जले हुये अवशेष कब बरामद किये। वह जहां से जले हुए अवशेष बरामद करना बता रहा है, वहां उन्होंने आग का उपयोग नहीं किया।

प्रदर्शपी 63 रोजनामचा में मुलजिम अजयराज के बताये अनुसार जले हुये कपडों के अवशेष बरामद किये हों, ऐसा कोई हवाला नहीं है, फिर कहा कि मुताबिक फर्द मालखाना में जो भी माल जप्त किया जाता है, रोजनामचा में आमद रवानगी दर्ज होती है। वह अजयराज से जो फोन व जले हुये अवशेष बरामद करना बता रहा है, वह खुले स्थान से बरामदगी थी, वहां कोई भी आ जा सकता था। उसने जिस घर से मफलर बरामद किया, उस घर में उस दिन कौन कौन थे, उसे जानकारी नहीं है। वह जहां से मफलर बरामद करना बता रहा है, वह घर उस समय अजयराज के परिवार वालों के कब्जा में था।

81- आगे गवाह इंद्र कुमार ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि दिनांक 23.02.2018 की रात्रि को विरेन्द्र उर्फ चिन्नू कहां था। मुलजिम विरेन्द्र उर्फ चिन्नू ने उसे जिस राकेश का नाम बताया था, वह राकेश छोटूराम का लडका था। प्रदर्शपी 33 में जी से एच हिस्से में दर्ज तथ्य में उसकी राय नही थी, स्वयं कहा कि पंचान की राय थी। अजयराज ने उसे घटनास्थल सांखण जोहडा व कुएं में मिली लाश बाबत जो इतिला दी थी, उन दोनों ही जगह पर वह पूर्व में जा चुका था। वह नहीं बता सकता कि सजना जब प्रदर्शपी 3 थाना में देने आई, तब उसके साथ परिवार के कौन कौन सदस्य साथ थे। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 3 में सजना ने संदीप के पास दो फोन नम्बर बताये हैं। प्रदर्शपी 3 में दर्ज संदीप के दोनों फोन नम्बरों की कॉल डिटेल व लोकेशन निकलवायी थी। दिनांक 23.02.2018 को संदीप के फोन पर किस किस की कॉल आई, उसे पता नहीं। प्रदर्शपी 3 में लिखे दो नम्बरों में से कौनसा नम्बर चालू था या कौनसा नम्बर बंद था, वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 3 में दर्ज दोनों नम्बरों की कॉल डिटेल व लोकेशन पत्रावली पर नहीं है, स्वयं कहा कि तीसरा नम्बर जो संदीप का चालू था, उसकी कॉल डिटेल शामिल पत्रावली है। प्रदर्शपी 47 में दर्ज फोन नम्बर पर दिनांक 23.02.2018 को 17:26:53 पर 61 सेकेण्ड कॉल उसके घर के फोन नम्बर 9636756353 पर बात हुई थी। अन्य जो चार कॉल थे, वे कम्पनी के एसएमएस कॉल थे। कॉल डिटेल में अंत में जो बात होना बता रहा हूं, वह उसकी मां से बात हुई थी। इस तथ्य को गवाह ने गलत बताया है कि प्रदर्शपी 3 में दर्ज दोनों नम्बर की कॉल डिटेल व लोकेशन ना निकलवायी हो।

82- विरेन्द्र मृतक संदीप का सगा रिश्तेदार है। प्रदर्शपी 3 की जांच एफआईआर दर्ज होने से पहले उसने नहीं की थी, मनोज एएसआई ने की थी। वे दिनांक 25.02.18 को विरेंद्र के सुलखनिया व पिलानी वाले घर गये थे। यह

सही है कि वह अनुसंधान बाबत कहीं गया हो, इस बाबत रोजनामचा की रपट पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि हमीरवास थाना के सामने संदीप को ढूंढने के लिए काफी ग्रामीण इकटठे हुए थे। दिनांक 07.03.18 से पूर्व उसने विरेंद्र उर्फ चिन्नू से पूछताछ की होगी, फिर कहा वह परिजन था। इस तथ्य से गवाह ने इंकार किया है कि दिनांक 25.02.18 से लेकर दिनांक 07.03.18 तक विरेंद्र को लगातार पुलिस थाना हमीरवास में उन्होंने रखा हो। जब गाडी थाना में लेकर आये थे तब गाडी का उसने अच्छी तरह निरीक्षण किया था। जिस दिन गाडी थाना में लेकर आये, उसी दिन गाडी की जप्ती बना ली और सिम की जप्ती कर ली। सिम गाडी में विशिष्टतः किस स्थान पर मिली, वह नहीं बता सकता।

83- आगे प्रतिपरीक्षण में गवाह इंद्र कुमार ने कथन किया है कि जिस समय वह गाडी में सिम मिलनी बता रहा है, उस समय गाडी पुलिस थाना हमीरवास में खडी थी। यह सही है कि उस समय गाडी जप्त की थी, इसलिए उसके कब्जे में थी। जो सिम मिलनी बता रहा है, उसके नम्बर वह देखकर बता सकता है। यह सही है कि मोबाईल नम्बर 9468552138 पर दिनांक 22.02.2018 व दिनांक 23.02.2018 को किन किन व्यक्तियों से बात हुई, वह नहीं बता सकता। उक्त नम्बर की दिनांक 23.02.2018 की कॉल डिटेल व लोकेशन उसने नहीं निकलवायी। कुएं के आस पास की जगह खेत की कच्ची जगह थी। जब वे कुएं के पास जाना बता रहे हैं, उस समय गाडी के टायरों, व्यक्यिों के पैरो या किसी व्यक्ति के घसीटने के कोई आलामात नहीं देखे, बाद में स्वयं कहा कि काफी दिन होने के कारण हवा व बरसात होने के कारण मिट गये थे। उस समय खेत में कौनसी फसल काश्त की हुई थी, उसे याद नहीं है। कुएं के अन्दर कई गोताखोर गये थे, जिनमें से एक का नाम रामनिवास गुर्जर था। कुएं में जो डेड बॉडी मिलनी बता रहा हूं, वह मशीन से खींची थी। डेड बॉडी का शरीर गिला था। डेड बॉडी उस समय फुली हुई थी। जब डेड बॉडी कुएं से निकाली तो उसकी पहचान कुएं पर ही कर ली थी, जो शिवराम चाचा ने की थी।

84- प्रदर्शपी 11 पर आस पास के गांव के लोगों की उपस्थिति बाबत् उनके हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 11 पर जिनके द्वारा डेड बॉडी निकाली गयी, उनके नहीं है। प्रदर्शपी 12 उसने वहीं मौके पर तैयार की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 12 पर ग्रामीण जनों के हस्ताक्षर नहीं है, फिर कहा कि परिवारजन के हस्ताक्षर है। उसे मालखाना इंचार्ज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उसने एफएसएल से जांच कराई थी। एफएसएल की टीम को

उसने बुलाया था। दिनांक 10.3.2018 को कार की चाबी मालखाना इंचार्ज से ली थी। गाडी में बाल व अन्य कोई खून के छिंटे आदि कुछ नहीं मिले, फिर कहा कि एक बटन मिला था। बटन चालक व कंडेक्टर वाली सीट के बीच में पीछे की तरफ मिला था। उसने उसके अनुसंधान में पाया था कि शाम को 6-7 बजे के मध्य रोही बेंगू का बास जोहड तिलोका कच्चा रास्ता तुमली सांखण जाने वाले रास्ते पर हत्या करना माना था। उसने उसके अनुसंधान में मफलर से गला घोटकर कार में ही होना माना था। जहां उसने हत्या होनी मानी है, उससे कुआं लगभग 5-7 किलोमीटर दूरी पर है। प्रदर्शपी 51 की तस्दीक हेतु उसने प्रदर्शपी 18 तैयार की थी। प्रदर्शपी 18 में एक्स स्थान पर गाडी के टायरों के निशान नहीं थे। प्रदर्शपी 18 में दिखाये गये सांखणताल की दूरी 2-3 किलोमीटर दूर थी।

Appreciation of Evidence

85- इस प्रकार उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन किये जाने से प्रकरण प्रत्यक्षतः साक्ष्य का ना होकर **Last Seen Theory** और **परिस्थितिजन्य साक्ष्य** पर आधारित होना प्रकट आता है। इस कारण निम्नानुसार साक्ष्य का विवेचन किया जाता है-

1- Motive

86- सर्वप्रथम इस प्रकरण में अभियुक्तगण का मृतक संदीप की हत्या कारित किये जाने के पीछे Motive (हेतुक) की विवेचना की जाए तो Motive (हेतुक) के संबंध में साक्षी पी0ड0-2 मृतक की माता सजना ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दी है कि उसका पुत्र जो बिजली की फाईल जमा करवाने और मकान की देखरेख करने के लिए पिलानी गया था, उसका दिनांक 23.02.18 को एक-डेढ बजे फोन आया कि वह जिस काम से गया है, वह काम कर रहा है परंतु अजय व विरेंद्र उर्फ चिन्नू उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और 15 लाख रूपये मांग रहे हैं। वे प्लॉट की फिरौती मांग रहे थे, जो नहीं देने पर जान से मारेंगें, ऐसा कहा। उसने उसके पति को फिरौती मांगने वाली बात बता दी थी। उसकी 23 तारीख को दो तीन बार बात हुई थी, जो मकान को लेकर हुई थी। मुलजिमान आज हाजिर अदालत हैं। आगे गवाह ने यह कथन किया है कि उसे पूरा विश्वास है कि अभियुक्तगण ने उसके बच्चे को मारा है।

87- प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने यही साक्ष्य दी है कि उसके पास 01.30-2 बजे फोन आया था, वह उसने ही उठाया था। **प्लॉट की फिरोती मांग रहे थे, जो 15 लाख रूपये थी, जो नहीं देंगे तो जान से मारेंगें।** उसने

प्रदर्शपी-2 में मकान के अलावा फिरोती वाली बात भी लिखायी थी, जो पुलिस ने इसमें क्यों नहीं लिखी, उसे पता नहीं। प्रतिपरीक्षण में ही इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि बात तो गंभीर थी और यह उसके पीहर का मामला था तथा विरेंद्र उसके भाई का लडका था। प्रदर्शपी-3 में उसने विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय द्वारा प्लॉट पर कब्जा करने व जान से मारने की धमकी दी व 15 लाख फिरौती वाली बात इसलिए ही नहीं लिखवायी क्योंकि विरेंद्र उसके सगे भाई का लडका है। अजय से कोई रिश्तेदारी नहीं है पर प्लॉट लिया, तब से उसे जानते हैं। उसने स्वयं के पुलिस बयानों में उक्त बातें लिखवायी थी। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्पष्ट रूप से यह कथन भी किया है कि **पहले विरेंद्र से उसकी कोई रंजिश नहीं थी लेकिन प्लॉट लेने के बाद से वह उसके साथ रंजिश रखने लग गया था।**

88- उक्तानुसार इस गवाह के प्रतिपरीक्षण में हत्या के हेतुक बाबत कोई तात्विक विरोधाभास या खंडन उभर कर नहीं आ रहा है बल्कि अभियुक्तगण का संदीप की हत्या कारित करने का हेतुक साबित हो रहा है।

89- इस गवाह के कथनों की पुष्टि पी0ड0-1 महावीर सिंह, जो मृतक संदीप का पिता है, वह भी न्यायालय के समक्ष यही साक्ष्य पेश करता है कि उसका लडका संदीप पिलानी में मकान की देखरेख करने और बिजली विभाग में कनेक्शन की फाईल जमा करवाने गया था, जहां विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय भी मौजूद थे। उसकी पत्नी का उसके पास फोन आया कि उसके बच्चे को विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और 15 लाख रूपये मांग रहे हैं। घटना के दिन संदीप को पिलानी में उसके छोटे भाई छोटूराम व उसके लडके राकेश ने विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय के साथ पिलानी में बिजली विभाग में साथ ले जाते समय देखा था। अजय राजपूत किरताण का है। पिलानी में उन्होंने प्लॉट अमित से लिया था। उनके प्लॉट लेने से पहले दलीप राजपूत, जो अजय का पिता है, ने उस पर कब्जा कर रखा था। **घटना से पूर्व दोनों मुलजिमान की उसके लडके से कोई रंजिश नहीं थी लेकिन पिलानी वाला प्लॉट खरीदने के बाद ये दोनों मुलजिम उनसे रंजिश रखने लग गये थे।**

90- प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यही कथन किया है कि उसने दिनांक 25.02.18 को थाने में जो रिपोर्ट दी थी, उसमें फिरौती वाली बात प्रदर्शपी-1 में लिखवायी थी। फिरौती वाली बात उसकी पत्नी सजना के अलावा और किसी ने नहीं बतायी। उसने प्लॉट वर्ष 2017 में खरीदा था। प्लॉट उसने अजयराज के पिता से नहीं खरीदा बल्कि अजयराज के पिता ने तो कब्जा कर रखा था। उसके

झुंझुनूं होने के कारण उसकी पत्नी ने उसे बताया कि बेटे का फोन आया है कि विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज उसे मारने की धमकी दे रहे हैं और 15 लाख की फिरौती मांग रहे हैं। बाद में उसने उसके भाई छोटूराम को, उसके पास उसकी पत्नी का फोन आने व संदीप को मुलजिमान द्वारा जान से मारने की धमकी तथा फिरौती वाली बात बता दी थी। अमित सुनार ने प्लॉट पहले दिलीप को दे रखा था, बाद में उसने कब्जा कर लिया था। **उसके परिवार की पहले विरेंद्र व उसके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर कहा बाद में हो गयी थी।**

91- इस प्रकार उक्त गवाह के कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान हत्या के हेतुक के बारे में किसी भी प्रकार से खंडित नहीं हुए हैं।

92- इन दोनों गवाहान के कथनों की पुष्टि करते हुए साक्षी पी0ड0-3 छोटूराम ने भी न्यायालय में यही साक्ष्य दी है कि उसका मकान उसके भाई के मकान से 200 फीट की दूरी पर है। महावीर के मकान के सटा करके ही विरेंद्र उर्फ चिन्नू का मकान है, जिसमें विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय रहते थे। उसके घर से महावीर का घर साफ दिखाई देता है। सजना की बिजली की फाईल जमा करवाने के लिए संदीप दिनांक 23.02.18 को पिलानी गया था। संदीप ने कहा कि डिमांड नोटिस जो विरेंद्र उर्फ चिन्नू के पास है, उसे जमा करवाने के लिए बिजली विभाग जा रहा है। बाद में सजना का राकेश के पास फोन आया कि संदीप को धमकी मिली है, फिरोती व प्लॉट मांग रहे हैं।

93- प्रतिपरीक्षण में इस गवाह का कथन है कि उसने खुद संदीप को विरेंद्र व अजय के साथ देखा था, जो बात उसने सजना व महावीर को बता दी थी। 23 तारीख को 2 बजे सजना को संदीप ने फोन करके प्लॉट पर कब्जा, फिरौती व जान से मारने की बात कही थी। इसलिए यही बातें महावीर ने प्रार्थना पत्र में लिखवायी थी। इस प्रकार यह गवाह भी अभियुक्तगण की प्लॉट की रंजिश होने के तथ्य को ही स्वयं की साक्ष्य से साबित करता है।

94- इन तीनों गवाहान के कथनों की पुष्टि करते हुए साक्षी पी0ड0-5 राकेश पुत्र छोटूराम ने भी इसी के बारे में यही साक्ष्य दी है कि दिसंबर 2017 में **उसकी मौसी ने उनके प्लॉट से 150-200 मीटर दूरी पर पिलानी के शांति नगर में अमित सोनी से प्लॉट खरीदा था, जिस पर अजय का पिता दलीप सिंह अवैध रूप से कब्जा करके बैठा था।** दिनांक 23.02.18 को संदीप उसके मकान की देखरेख करने व बिजली का डिमांड नोटिस जमा करवाने पिलानी आया था। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि संदीप के मकान पर दलीप सिंह ने कब्जा कर रखा है तथा दलीप सिंह वहीं रहता है। उसने और

उसके पिता ने स्वंय दलीप सिंह को कहा था कि यह मकान उसके मौसा मौसी का है, वह क्यूं कब्जा करके बैठा है।

95- इन गवाहान के कथनों की पुष्टि साक्षी पी0ड0-9 राकेश पुत्र जगदीश ने भी करते हुए मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी बुआ का लडका संदीप उसे पिलानी बस स्टेण्ड पर मिला था। बाद में संदीप ने फोन पर बताया कि विरेंद्र उर्फ चिन्नू आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, उसे समझाना पडेगा। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह के उक्त कथन किसी भी प्रकार से खंडित नहीं हुए हैं।

96- इस प्रकार उक्त सभी साक्षीगण की मौखिक साक्ष्य से पिलानी के शांति नगर में स्थित प्लॉट सजना द्वारा खरीदना, जिस पर मुलजिम अजयराज के पिता दलीप का कब्जा होना और इसी बात को लेकर मृतक संदीप व अभियुक्तगण विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज के मध्य रंजिश होना स्पष्ट रूप से साबित हो रहा है।

97- उक्त प्लॉट के संबंध में न्यायालय के समक्ष अनुसंधान अधिकारी पी0ड0-24 इंद्र कुमार ने प्रदर्शपी-60 बिजली विभाग पिलानी को लिखे गये पत्र की प्रति प्रदर्शित करवायी है। न्यायालय में उक्त पी0ड0-24 इंद्र कुमार द्वारा पत्र के अनुसरण में दस्तावेज प्राप्त होने पर प्रदर्शपी-61 व 62 रसीद के रूप में प्रदर्शित करवायी गयी है, जिससे मृतक संदीप का पिलानी उक्त बिजली कनेक्शन के लिए जाने का तथ्य पूर्ण रूप से साबित हो रहा है और पत्रावली पर उपलब्ध उपर विवेचित मौखिक साक्ष्य से भी खरीदे गये प्लॉट के संबंध में अभियुक्तगण विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज से प्लॉट पर कब्जे को लेकर एक विवाद होना भी साबित हो रहा है।

2- Deceased Sandeep Last Seen with Accused

98- जहां तक इस प्रकरण में Last Seen Theory के विवेचन का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण में मृतक संदीप को अंतिम बार अभियुक्तगण के साथ देखे जाने के संबंध में अभियोजन की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का परिशीलन किया गया। साक्षी पी0ड0-1 एफआईआर कर्ता महावीर सिंह ने यह स्पष्ट साक्ष्य दी है कि दिनांक 23.02.18 को उसका लडका सुबह 10 बजे पिलानी के लिए निकला तो वहां पर **प्लॉट की देखरेख करने के दौरान उसके साथ अजय व विरेंद्र उर्फ चिन्नू मौजूद थे।** उस रोज उसका लडका वापिस घर नहीं आया और उसकी पत्नी ने करीब 2 बजे उसे फोन करके बताया कि उसके पास

संदीप का फोन आया कि अजय व विरेंद्र उर्फ चिन्नू उसे मारने की धमकी दे रहे हैं और 15 लाख रूपये मांग रहे हैं। फिर 7 बजे उसकी पत्नी का फोन आया और बताया कि संदीप घर नहीं आया है, तब उसकी पत्नी उसके छोटे भाई उम्मेद को लेकर तलाश करने लगी और दिनांक 24.02.18 को संदीप की थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवायी। जब वह गांव गया तो उसने लीलाधर, होशियार, मोती कोठियारी, उसके छोटे भाई छोटूराम व छोटूराम के लडके राकेश आदि से पूछताछ की। उसे पता चला कि विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय के साथ संदीप को पिलानी में बिजली विभाग में साथ जाते हुए देखा।

99- प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि वह रघुवीर से दिनांक 25.02.18 को मिला। उसने संदीप के बारे में सांखणताल के ग्रामवासियों से पूछताछ की थी। उसने लीलाधर, मोती, होशियार मीणा, नागर बस चालक, संजय बस कंडक्टर से भी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि संदीप बस में आया था और सांखणताल के बस स्टेण्ड पर उतरकर घर की तरफ चला गया था। उसे छोटूराम व उसके लडके राकेश ने बताया था कि विरेंद्र व अजय पिलानी में संदीप के साथ थे। संदीप पिलानी गया, यह बात उसकी पत्नी ने उसे बतायी थी। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह के बयान उक्त के बारे में पूर्णतया अखंडनीय रहे हैं।

100- इस गवाह के कथनों की पुष्टि साक्षी पी0ड0-2 सजना ने भी करते हुए यह स्पष्ट कथन किया है कि 23 तारीख को रात्रि 9 बजे छोटूराम के लडके राकेश ने उसे बताया कि दिन में संदीप पिलानी में अजय व विरेंद्र के साथ था, जो गाडी में बैठाकर ले गये थे। उसके पुत्र संदीप को उठाकर ले जाने वाली बात रघुवीर ने बतायी थी। गाडी में डालकर ले जाने वाली बात भी रघुवीर ने उसे बतायी थी। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने उक्त कथनों पर ही स्थिर रहते हुए यह साक्ष्य दी है कि उसकी संदीप से अंतिम बार बात 23 तारीख को करीब 3-03.30 बजे हुई थी। संदीप ने ही उसे 4 बजे वाली बस से आने वाली बात उस समय बतायी थी। संदीप ने 4 बजे वाली प्राइवेट बस से रवाना होने वाली बात बतायी थी। उसे नागर मीणा ने सांखणताल वाली बस से रवाना होने वाली बात बतायी थी। इस गवाह की साक्ष्य से यह साबित हो रहा है कि संदीप पिलानी से बस से रवाना हुआ था।

101- पिलानी में अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय को मृतक संदीप के साथ देखने के संबंध में साक्षी पी0ड0-3 छोटूराम न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि उसके घर से पिलानी में महावीर

सिंह वाला घर स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। **23 तारीख को सुबह 11.30 बजे उसने स्वयं संदीप को अजय व विरेंद्र उर्फ चिन्नू के साथ देखा था, जो बात उसने सजना, महावीर व उम्मेद को 24 व 25 तारीख को बता दी थी।** लीलाधर ने उसे बताया कि संदीप बस से उतर कर उसके गांव की ओर चला गया था। उम्मेद सिंह ने उसे बताया कि वह रात को सांखणताल गया था और संदीप की मां ने उसे बताया कि संदीप घर नहीं पहुंचा। फिर महावीर ने उसे बताया कि वह होशियार, लीलाधर, मोती, संजय बस कंडक्टर से मिला था तो लीलाधर ने उसे बताया कि उसने घर से देखा कि कार सुखावास की तरफ से आ जा रही थी। होशियार ने महावीर को बताया कि वह सांखणताल की तरफ रेवड ला रहा था तो संदीप उसे मिला, वहां काले शीशे की कार आना बताया। महावीर ने उसे यह भी बताया कि वह मोती और संजय बस कंडक्टर से मिला था।

102- प्रतिपरीक्षण में आगे गवाह ने अखंडनीय रूप से यह कथन किया है कि **उसने संदीप को अजय व विरेंद्र उर्फ चिन्नू के साथ गाडी में जाते हुए देखा था।** सब्जी की दुकान पर संदीप, विरेंद्र व अजय ने रोककर बात की और संदीप पीछे की सीट पर बैठा था। गाडी विरेंद्र चला रहा था। संदीप व अजय पीछे बैठे थे। **उससे संदीप ने बात की जो गाडी के अंदर से ही की थी।** संदीप ने उसे बताया कि उसका बिजली का डिमांड नोटिस जो विरेंद्र के पास है, वह जमा करवाने जा रहा है। जब 24 तारीख को राकेश पिलानी पहुंचा तो वह पिलानी के घर पर ही था। राकेश ने भी रात को लीलाधर, मोती, होशियार सिंह, राकेश पुत्र जगदीश व संजय से मिलना बताया। जब मुकदमा दर्ज करवाया, तब तक उसे पता था कि संदीप सांखणताल से उतरकर सुखावास पैदल जा रहा था। रघुवीर उनके परिवार का नहीं है, जो रेवड चराता है। रघुवीर ने उसे जो जगह संदीप को बैठाने के बारे में बतायी, वह जगह गांव से कितनी दूरी पर है, उसे नहीं पता। 23 तारीख को संदीप बस से सांखणताल आया था, यह बात संजय कंडक्टर ने उसे बतायी थी।

103- इन गवाहान के कथनों की पुष्टि करते हुए साक्षी पी0ड0-5 राकेश पुत्र छोटूराम मृतक संदीप को अंतिम बार अभियुक्तगण के साथ देखने के संबंध में यह साक्ष्य देता है कि दिनांक 23.02.18 को संदीप उसके मकान की देखरेख करने व बिजली का डिमांड नोटिस जमा करवाने पिलानी आया था। **वह सुबह 11 बजे संदीप के मकान पर गया तो वहां सफेद रंग की अल्टो के 10 कार नं. आरजे 10 सीए 7618 खडी थी और वहां विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय,**

संदीप के मकान में थे। अजय ने गले में कोका कलर का मफलर डाल रखा था। उसने दिनांक 23.02.18 को संदीप के मकान पर अजय व विरेंद्र उर्फ चिन्नू को साथ देखा था। उस गाडी के शीशे काले थे। उस वक्त संदीप, विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय, संदीप के घर के अंदर खाट पर बैठे थे। विरेंद्र उर्फ चिन्नू ने नीले रंग की जींस व पीले रंग की टीशर्ट पहन रखी थी। अजय ने नीले रंग की जींस व काले रंग की शर्ट पहन रखी थी। संदीप ने उसे कहा कि वह डिमांड नोटिस जमा करवाने बिजली विभाग विरेंद्र व अजय के साथ जा रहा है। बाद में उसकी मौसी का फोन आया कि संदीप घर पर नहीं आया है।

104- प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने उक्त साक्ष्य पर स्थिर रहते हुए यह साक्ष्य दी है कि उसे दिनांक 23.02.18 को उसने मकान की छत पर घूमते हुए संदीप के मकान के बाहर सफेद रंग की कार को गौर से देखा था। उस गाडी की बॉडी पर सफेद रंग था और गाडी के शीशे काले थे। उस वक्त संदीप, विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजय, संदीप के घर में खाट पर बैठे थे। उसने अपने पुलिस बयान में यह बात बता दी थी कि संदीप के घर के आगे अल्टो कार खडी थी और संदीप के साथ अजय भी था।

105- इन गवाहान के कथनों की पुष्टि पी0ड0-9 राकेश कुमार पुत्र जगदीश ने भी की है, जिसके कथनानुसार उसकी भुआ का लडका जो पिलानी बस स्टैंड पर उसे मिला, उसने उसे वहां छोड दिया। बाद में संदीप ने उसे फोन कर वापिस बुलाया और कहा कि आजकल विरेंद्र कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। फिर शाम 07.30 बजे संदीप का फोन आया कि उसने चिन्नू को समझाया क्या, तो उसने कहा कि नहीं समझाया तो संदीप ने कहा कि चिन्नू उसे परेशान कर रहा है और उसने यह भी बताया कि वह बस से उतर कर सांखणताल से पैदल गांव के लिए जा रहा है। इस गवाह ने घटनाक्रम दिनांक 23.02.18 को होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में आगे गवाह ने यह कथन किया है कि उस वक्त संदीप के साथ कोई और था या नहीं, उसने नहीं देखा। बाद में उसकी भुआ का फोन आया तो उसने कहा कि संदीप को फोन मिलाया तो उसका फोन बंद आ रहा था। विरेंद्र उर्फ चिन्नू उसका भाई है, जिसे 23 तारीख की शाम को फोन किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा था।

106- **अंतिम बार** संदीप को बस से उतर कर जाते देखने के संबंध में स्वतंत्र साक्षी के रूप में पी0ड0-18 संजय कुमार परीक्षित हुआ है, जिसने न्यायालय में स्पष्ट साक्ष्य दी है कि दिनांक 23.02.18 को सायं 4 बजे जब बस पिलानी से रवाना होकर सांखणताल लीलाधर के घर के आगे रूकी तो संदीप पुत्र

महावीर निवासी सुखावास चूड की ढाणी जो बस के केबिन में बैठा था। लीलाधर के घर के आगे संदीप करीब 05.30 बजे उतरा था और गांव की तरफ चला गया, जिसके बारे में रात को फोन आया तो उसने बता दिया कि वह बस से उतरकर चला गया था। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने यही कथन किया है कि उसका इस बस का रूट देखा हुआ है, उससे पुलिस ने पूछताछ की थी।

107- इसी प्रकार साक्षी पी0ड0-7 लीलाधर जिसके मकान के आगे बस ने संदीप को उतारा, वह न्यायालय में यह स्पष्ट कथन करता है कि दिनांक 23.02.18 को जब वह उसके घर पर था तो सायं 05.15 बजे संदीप को बस से उतरते उसने देखा था। उस वक्त मोती भी उसके साथ बैठा था। संदीप बस से उतरकर रोड रोड चला गया। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने अखंडनीय रूप से यही साक्ष्य दी है कि वह उसके घर के बाहर 3 घंटे से बैठा था, मोती भी उसके साथ था। वह जिस बस में संदीप का उतरना बता रहा है, वह बस पिलानी से चलती है और करीब 05.15 बजे उसके घर के आगे सांखणताल में रूकती है। उसने संदीप को उतरते हुए देखा था।

108- उसके पश्चात साक्षी पी0ड0-6 होशियार सिंह **आगे की कडी को जोडते हुए संदीप को देखने व काले रंग के शीशे वाली सफेद कार का उसी समय वहां आने** के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य पेश कर रहा है कि दिनांक 23.02.18 को सायं 05.50 बजे के आस पास जब वह सांखणताल व सुखावास के बीच की रोही में रेवड चरा रहा था। वह उस समय रोड पर खडा था तो महावीर का लडका संदीप निवासी सुखावास वहां आ रहा था। संदीप ने उससे पानी मांगा तो उसने कहा कि उसके पास थोडा पानी है, फिर संदीप सुखावास की तरफ चला गया और वह स्वयं 100 कदम दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। फिर 10-12 मिनट बाद सांखणताल की तरफ से एक सफेद रंग की गाडी आई, जिसके शीशे काले थे और उसमें दो व्यक्ति बैठे थे। उस गाडी ने उसकी भेडों के पास जाकर जोर से ब्रेक लगाये तो उसने सोचा कि उसकी भेडें मर गयी, वह टीबे की ओर भागकर गया, जो सुखावास की तरफ पडता है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यही कथन किया है कि गाडी छोटी सफेद रंग की थी, जिसके शीशे काले थे तथा शीशे आधे खुले थे।

109- मृतक संदीप को कार में अभियुक्तगण के साथ देखने के तथ्य की पुष्टि के संबंध में साक्षी पी0ड0-10 रघुवीर न्यायालय में यह साक्ष्य पेश करता है कि वह रेवड चराने का काम करता है। दिनांक 23.02.18 को सायं 5 बजे के आस-पास सुखावास चूड की ढाणी व सांखणताल के बीच की बात है। वह

ख्यालीराम मेघवाल के खेत में भेड चरा रहा था, तब संदीप पैदल पैदल चूड की ढाणी की तरफ आ रहा था। **उसके बाद पीछे से एक सफेद रंग की गाडी कार आ रही थी, जो संदीप के पास आकर रूकी। गाडी के अंदर विरेंद्र उर्फ चिन्नू व एक अन्य लडका जिसकी उम्र 20-25 साल थी, जिसे वह नहीं जानता, नीचे उतरे और संदीप को पीछे वाली सीट पर बैठा दिया।** गाडी विरेंद्र चला रहा था, जो गाडी लेकर गांव की तरफ चला गया और वह रेवड चराने लग गया। बाद में गांव में चर्चा हो रही थी कि संदीप दो दिन से घर नहीं आया है तो उसने महावीर, सजना, छोटूराम व परिवार के अन्य लोगों को यह बात बतायी कि संदीप को उसने ख्यालीराम के खेत में से विरेंद्र उर्फ चिन्नू व एक और लडका था, जो गाडी में उसे बैठाकर गांव की ओर ले गये थे। **इस गवाह ने यह भी कथन किया है कि विरेंद्र उर्फ चिन्नू को वह इसलिए जानता है क्योंकि वह मृतक संदीप के मामा का लडका है, जो सुखावास में आता जाता रहता है। गवाह ने गाडी के फोटो प्रदर्शपी-7 से प्रदर्शपी-10 देखकर गाडी की पहचान की और न्यायालय में उपस्थित विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज को ईशारा कर पहचाना भी है।** इस प्रकार इस गवाह ने अंतिम बार संदीप को पैदल जाते हुए को गाडी में विरेंद्र उर्फ चिन्नू और दूसरे अभियुक्त अजयराज द्वारा बैठाये जाने की साक्ष्य दी है।

110- प्रतिपरीक्षण में इस गवाह की साक्ष्य पूर्णतया अखंडनीय रही है। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यही साक्ष्य दी है कि प्रदर्शपी-7 से प्रदर्शपी-10 फोटोग्राफ में दर्शित गाडी वहीं है जो वहां आकर रूकी थी। उसने संदीप को देखने का समय करीब 05.30 बजे ऐसे बताया है कि 5 बजे बस वहां से निकलती है। जो गाडी वह आकर रूकना बता रहा है, वह उससे 20-25 फुट दूर आकर रूकी थी। संदीप के खो जाने की चर्चा उसने गांव में सुनी तो वह सीधा महावीर के घर पर गया था। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य उक्तानुसार संदीप को विरेंद्र व अजय के साथ कार में बैठकर जाने का तथ्य पूर्णतया साबित करती है।

111- ऐसे में उपरोक्त साक्षीगण पी0ड0-1 महावीर, पी0ड0-2 सजना, पी0ड0-3 छोटूराम, पी0ड0-5 राकेश पुत्र छोटूराम, पी0ड0-6 होशियार सिंह, पी0ड0-7 लीलाधर, पी0ड0-9 राकेश कुमार पुत्र जगदीश, पी0ड0-10 रघुवीर, पी0ड0-18 संजय कुमार की साक्ष्य से मृतक संदीप को अंतिम बार अभियुक्तगण विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज के साथ देखने संबंधी तथ्य उपरोक्त विवेचन से पूर्णतया साबित होना पाया जाता है।

3. Recoveries from both Accused:-

112- अब जहां तक अभियुक्तगण से हुई बरामदगी का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू की गिरफतारी फर्द प्रदर्शपी-25 के जरिये दिनांक 07.03.18 को करने के बाद उसके द्वारा पुलिस को दी गयी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्शपी-48 जिसमें उसने संदीप का शव नौरंगपुरा से ठिमाउ छोटी जाने वाली सडक के कुएं में डालना व साथ चलकर वह स्थान बताने की सूचना दी थी। इस सूचना के संदर्भ में फर्द बरामदगी प्रदर्शपी-11 कायम करते हुए अपहर्त संदीप की लाश को बरामद किया गया। उक्त फर्द बरामदगी प्रदर्शपी-11 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि- "अभियुक्त ने नौरंगपुरा से ठिमाउ छोटी जाने वाली सडक पर करीब दो किमी ठिमाउ की तरफ ईशारा कर गाडी रूकवा कर सडक के बायीं तरफ करीब सडक से 20-30 फीट पर बने पुराने कुएं की तरफ ईशारा कर बताया कि दिनांक 23.02.18 की रात्रि को उसने व अजय ने संदीप का गला घोंटकर उसे इसी कुएं में डाला था।'' जिस पर साथी मुलाजमान और ग्रामीणों के सहयोग से कुएं के अंदर से लाश को पल्ली से बांधकर कुएं से बाहर निकाला। लाश करीब 15 दिन पुरानी होने से सडी गली अवस्था में है। लाश को उपस्थित शिवराम पुत्र नारायण जाट ने देख कर व छू कर पहने हुए कपडों के आधार पर उसके सगे भतीजे संदीप पुत्र महावीर निवासी सुखावास की होना शिनाख्त किया। यह बरामदगी लाश जो रूबरू मौतवीरान मुकेश कुमार व पवन कुमार के समक्ष कायम की गयी, जिस पर अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू के हस्ताक्षर है तथा मृतक संदीप के ताउ शिवराम के हस्ताक्षर है।"

113- अनुसंधान अधिकारी साक्षी पी0ड0-24 इंद्र कुमार जिसने उक्त लाश की बरामदगी अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा दी गयी इतला प्रदर्शपी-48 प्राप्त कर की है, वह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 07.03.18 को विरेंद्र उर्फ चिन्नू को जरिये फर्द प्रदर्शपी-21 गिरफतार करने के पश्चात उसने स्वेच्छया संदीप का शव डालने वाले स्थान के बारे में इतिला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उसे दी। जिसके आधार पर दिनांक 10.03.18 को एक फर्द बरामदगी लाश प्रदर्शपी-11 संदीप की मौके पर कायम की गयी, जिस पर ए से बी शिवराम के, सी से डी गवाहान, जी से एच मुलजिम विरेंद्र व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। उक्त बरामदगी के संबंध में प्रतिपरीक्षण में भी गवाह ने यही कथन किया है कि जिस मशीन से कुएं से लाश निकाली, उसे प्राइवेट वाहन से जोड कर लाये थे। घटना पर पहुंचते ही उसके द्वारा परिजनों को सूचना दे दी

गयी थी। लाश की पहचान शिवराम ने की थी।

114- इसी फर्द के बारे में मौतवीर गवाह पी0डी0-12 नवीन कुमार ने भी न्यायालय में स्पष्ट साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.03.18 को करीब 03.30 बजे नौरंगपुरा की ओर से ठिमाउ जाने वाली सडक पर मुलजिम विरेंद्र उर्फ चिन्नू के बतायेनुसार सडक के किनारे बायें तरफ कुएं की तरफ इशारा करने पर पुलिस जाब्ता व ग्रामीणों की सहायता से मृतक की लाश को कुएं से बाहर निकलवाया था। मौके पर ही फर्द जब्ती लाश प्रदर्शपी-11 तैयार की गयी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यही कथन किया है कि गाडी में उस वक्त उनके साथ मुकेश, महिपाल, सुमेर एचसी थे। जिस कुएं से बॉडी निकालना बता रहा है, उसके लिए मुलाजिमान कुएं के अंदर नहीं गये थे बल्कि प्राइवेट व्यक्ति अंदर गया था।

115- इसी प्रकार इन दोनों गवाहान के कथनों को साक्षी पी0डी0-13 मुकेश कुमार ने भी उक्त बरामदगी प्रदर्शपी-11 को स्वयं की साक्ष्य से न्यायालय में साबित करते हुए यही साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.03.18 को विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा दी गयी इतिला पर मृतक संदीप की लाश उसके सामने बताये गये स्थान पर स्थित कुएं से बरामद की गयी, जो प्रदर्शपी-11 है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यही कथन किया है कि फर्द इतिला प्रदर्शपी-48 धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो दिनांक 10.03.18 को विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा दी गयी, वह उसकी हस्तलिपि में है। प्रदर्शपी-11 में दर्शाये गये स्थान पर दो बजे पहुचं गये थे, जिसके बिल्कुल नजदीक कोई रिहायश नहीं थी। उनके पहुंचने से पहले कुएं के आस पास कोई व्यक्ति नहीं था। कुएं से लाश को प्राइवेट व्यक्ति से निकलवाया था। कुएं के अंदर एक ही व्यक्ति गया था। लाश को कुएं से रस्सी के सहारे नहीं निकाला था बल्कि लोरिंग मशीन से निकाला था।

116- साक्षी पी0डी0-8 रामनिवास कुएं से लाश निकालने वाला व्यक्ति है, वह न्यायालय में यह स्पष्ट कथन करता है कि पुलिस थाना हमीरवास द्वारा कुएं से लाश निकालने का कहने पर वह लोरिंग मशीन लेकर वहां पहुंचा और तिरपाल लेकर कुएं में उतरा तथा लाश बाहर लाया एवं पुलिस को लाश सुपुर्द कर दी। मौके पर पुलिस के अलावा 5-10 आदमी चांदगोठी के थे। लाश संदीप की बतायी गयी थी। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि कुएं में वह अकेला ही गया था। उसने लाश को गौर से नहीं देखा क्योंकि लाश सडी हुई थी। पुलिस वालों ने उसके कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये। पुलिस वालों ने लाश को गाडी में डाल दिया।

117- इसी प्रकार मौके पर मौजूद पी०ड०-11 शिवराम ने भी यही साक्ष्य दी है कि दिनांक 10.03.18 को विरेंद्र उर्फ चिन्नू ने स्वयं पुलिस गाडी से उतरकर रोड के पास बताया कि दिनांक 23.02.18 को उसने व अजयराज ने संदीप का अपहरण कर उसका गला घोटकर हत्या कर लाश रोड के बायीं तरफ बने पुराने कुएं में डाली थी। जहां पर लाश को बरामद कर प्रदर्शपी-11 फर्द बनायी गयी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने लाश को स्वयं पहचाना तथा उसके सामने ही बरामद करना बताया है।

118- उक्त लाश की बरामदगी वाले स्थल का नक्शामौका साक्षी पी0ड0-12 नवीन कुमार व पी0ड0-13 मुकेश कुमार के समक्ष अनुसंधान अधिकारी इंद्र कुमार ने प्रदर्शपी-16 के रूप में कायम किया गया है। जिसके संबंध में हालातमौका प्रदर्शपी-16ए में स्थान के अलामात स्पष्ट रूप से वर्णित करते हुए यह अंकन किया गया है कि कुआं 10-12 साल से बंद है, उसके उपर जाल नहीं है तथा कुएं की गहराई 200 फुट है और वह सडक से करीब 30 फुट दूरी पर बना हुआ है। उसके आस पास मिटटी इकटठी हो रखी है। घटना पुरानी होने से कुएं के आस पास गाडी के टायरों के निशान या पदचिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। घटनास्थल के आस पास एक मात्र रिहायश मकान रमेश जाट का है जो करीब 500 मीटर दूरी पर है एवं वहां अन्य कोई रिहायश नहीं है। उक्त हालातमौका के तथ्यों की पुष्टि साक्षी पी0ड0-12 नवीन कुमार, पी0ड0-13 मुकेश कुमार, पी0ड0-11 शिवराम, पी0ड0-8 रामनिवास व पी0ड0-24 इंद्र कुमार की साक्ष्य से हो रही है।

119- इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य से नक्शामौका बरामदगी स्थल फर्द प्रदर्शपी-16 व हालातमौका 16ए अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा दी गयी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्शपी-48 के अनुसरण में कायम करना व जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्शपी-11 मृतक संदीप की लाश बरामद होना उक्त विवेचन से स्पष्ट रूप से साबित हो रहा है।

120- इस लाश को बरामद करने के पश्चात फर्द सूरत हाल लाश मृतक प्रदर्शपी-12 कायम की गयी, जिसकी पुष्टि साक्षी पी0ड0-11 शिवराम व पी0ड0-24 इंद्र कुमार की साक्ष्य से हो रही है। लाश की बरामदगी होने के बाद मृतक संदीप द्वारा पहने गये शर्ट की जब्ती फर्द प्रदर्शपी-13 के जरिये कायम की गयी, जिसके संबंध में साक्षी पी0ड0-11 शिवराम ने मौखिक साक्ष्य पेश की है और उक्त फर्द प्रदर्शपी-13 पर स्वयं के हस्ताक्षर ए से बी होना बताया है। वहीं पी0ड0-24 इंद्र कुमार द्वारा उक्त फर्द कायम करना बताया और उक्त फर्द में

स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि शर्ट पूर्ण रूप से खून से सनी है। घटना पुरानी होने के कारण शर्ट कटी-फटी है जो हल्के आसमानी रंग की है। शर्ट की दाहिनी तरफ की बाजू कटी हुई, कलाई पर दो बटन लगे हुए, बायीं बाजू फटी हुई, जिसकी कलाई की तरफ एक बटन लगा हुआ है। शर्ट की बायीं तरफ सामने एक जेब लगी है जिसके सामने की तरफ एक बटन वाली पट्टी पर बायीं तरफ एक बटन लगा हुआ है तथा बटन बंद करने के लिए 7 काज लगे हुए हैं एवं दाहिनीं तरफ पटटी पर 5 बटन लगे हैं। शर्ट पर लगे प्रत्येक बटन पर एफ-99 लिखा हुआ है।

121- **अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू से पूछताछ के पश्चात** अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू की अल्टो कार की जब्ती दिनांक 26.02.18 को फर्द प्रदर्शपी-14 कायम की गयी है, जिसमें इन तथ्यों का उल्लेख है कि- "उक्त गाडी को चैक किया गया तो गाडी में एक सिम कार्ड मिला, जिसे पी0ड0-12 नवीन कुमार के मोबाईल में डालकर देखने पर सिम के नंबर 9468552138 आये, **जिसे पुलिस वेबसाईट राजकोप पर डालकर देखा गया तो यह सिम संदीप पुत्र महावीर सिंह निवासी सुखावास की होना पायी गयी, जो अपहर्त संदीप का है।** संदीप का सिम गाडी में मिलने से स्पष्ट होता है कि यह गाडी अल्टो कार नं. आरजे 10 सीए 7618 घटना में प्रयुक्त हुई थी। ऐसे में उक्त सफेद रंग की कार को, जिसके शीशों पर हल्के काले रंग की फिल्म चढी हुई है, कब्जे में लेकर फर्द जब्ती प्रदर्शपी-14 कायम की गयी।"

122- जिस जब्ती के संबंध में साक्षी पी0ड0-24 इंद्र कुमार ने दौराने साक्ष्य कथन किया है कि दिनांक 26.02.18 को अल्टो कार सं आरजे 10 सीए 7618 को उसके द्वारा फर्द जब्ती प्रदर्शपी-14 के द्वारा जब्त किया गया और उसे चैक किया तो उसके अंदर से एक सिम कार्ड संदीप पुत्र महावीर के नाम से मिला। जिसकी कॉल डिटेल निकालकर अनुसंधान किया। फर्द जब्ती सिम कार्ड प्रदर्शपी-20 है। उक्त सिम कार्ड से संबंधित कॉल डिटेल प्राप्त की गयी जिसमें दिनांक 23.02.18 की लास्ट कॉल 05:26:53 पर हुई जिसके संबंध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्शपी-47 उसके द्वारा प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया और उसकी कॉल डिटेल प्रदर्शपी-47ए है। आगे इस गवाह ने न्यायालय में उक्त सिमकार्ड को सील की गयी थैली मार्क ए को न्यायालय में आर्टिकल 1 के रूप में प्रदर्शित करवाते हुए उसकी चिट दस्तखती प्रदर्शपी-59 प्रदर्शित करवायी और सिमकार्ड को आर्टिकल 2 के रूप में प्रदर्शित करवाया। **प्रतिपरीक्षण में इस जब्ती के संबंध में गवाह ने यह कथन किया**

है कि प्रदर्शपी-3 में बतायी गयी नंबरो से संबंधित उसे कोई सिम नहीं मिली परंतु अनसंधान में पता चला कि गुमशुदागी रिपोर्ट में वर्णित नंबरो के अतिरिक्त भी संदीप के पास नंबर थे, जिसकी सिम अल्टो गाडी में मिली थी। प्रदर्शपी-47 प्रमाण पत्र व कॉल डिटेल में संदीप का नाम लिखा है और गांव का नाम भी लिखा है। प्रदर्शपी-47 में दर्ज फोन नंबर के अनुसार संदीप ने उसके घर के नंबर पर अंतिम बार बात की थी, जो उसकी मां से की थी, बाकी चार कॉल कंपनी के एसएमएस कॉल थे। गाडी को जब थाने में लाये तो उस गाडी को अच्छे से चैक किया था। गाडी की जब्ती व सिम की जब्ती उसी समय बनायी थी।

123- उक्त जब्ती के गवाह पी0ड0-12 नवीन कुमार व पी0ड0-13 मुकेश कुमार ने भी न्यायालय में उक्त जब्ती की पुष्टि करते हुए समान प्रकृति की साक्ष्य पेश करते हुए कथन किया है कि मु0सं0 29/18 में जब्त अल्टो कार सं. आरजे 10 सीए 7618 का निरीक्षण करने पर अंदर एक सिमकार्ड, आगे बायीं तरफ चालक सीट के नीचे मिला, जिसे साक्षी पी0ड0-12 नवीन कुमार के मोबाईल में डालकर देखा गया, जो बीएसएनएल कंपनी की थी। जिसे पुलिस के राजकोप वेबसाईट पर डालकर देखा गया तो यह सिम संदीप पुत्र महावीर सिंह निवासी सुखावास की होना पायी गयी। प्रतिपरीक्षण में इन गवाहों ने यह कथन किया है कि जो गाडी में सिम मिलना बता रहे हैं, उसे थानेदार ने देखा था, जो आगे बायीं तरफ की सीट के नीचे मिली थी तथा बीएसएनएल कंपनी की सिम थी। उक्त सिम के संबंध में प्रदर्शपी-47 प्रमाण पत्र पेश हुआ है, जिसके अनुसार सिम संदीप पुत्र महावीर निवासी सुखावास की होना पायी गयी। इस सिम को प्रदर्शपी-20 के जरिये जब्त कर सील कर मार्क ए दिया गया, जिसे न्यायालय में साक्षी पी0ड0-24 इंद्र कुमार द्वारा पेश कर आर्टिकल-1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। उक्त सिम के संबंध में महावीर सिंह द्वारा खरीदे गये मोबाईल का एक बिल प्रदर्शपी-68 भी पेश किया गया है, जो तथ्य किसी भी प्रकार से खंडित नहीं हुआ है।

124- प्रकरण में जिस अल्टो कार सं. आरजे 10 सीए 7618 की जब्ती की गयी थी, वह प्रदर्शपी-55 व 59 आर.सी की प्रति के अनुसार अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू की होना साबित हो रही है। इस आरसी को जब्त करने के संबंध में फर्द प्रदर्शपी-57 पी0ड0-24 इंद्र कुमार द्वारा रूबरू मौतवीरान महावीर प्रसाद व मुकेश कुमार कायम की गयी, जिस पर साक्षी पी0ड0-13 मुकेश कुमार ने ई से एफ स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है।

125- गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू ने (धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्शपी-51 के अनुसार), जिस स्थान पर संदीप को उसने गाडी में बैठाया, के घटनास्थल की तस्दीक प्रदर्शपी-18 के जरिये करवायी, जिसका हालातमौका प्रदर्शपी-18 ए है, जिसमें यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि- "नक्शामौका में दर्शित मार्क एक्स स्थान से अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू, मृतक संदीप को दिनांक 23.02.18 को उसकी गाडी में बैठाना बताता है, जो सुखावास से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। इस स्थान के पास ख्यालीराम मेघवाल, बलवीर मेघवाल के खाली खेत हैं।" उक्त नक्शामौका घटनास्थल को पी0ड0-24 इंद्र कुमार ने स्वयं की साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया है और यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 13.03.18 को जैर हिरासत अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू ने उसे इतिला दी कि दिनांक 23.02.18 को सुखावास से सांखणताल जाने वाली सडक पर उसने व अजयराज ने संदीप को उसकी गाडी में बैठाया, जो स्थान वह साथ चलकर बता सकता ह। उक्त इतिला प्रदर्शपी-51 के मुताबिक मुलजिम विरेंद्र की निशानदेही पर घटनास्थल रोही सांखणताल पहुंच कर उसके बतायेनुसार नक्शामौका प्रदर्शपी-18 कायम किया गया, जिसका हालातमौका प्रदर्शपी-18 ए है। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने उक्त फर्दात के बारे में यह स्पष्ट कथन किया है प्रदर्शपी-51 की तस्दीक हेतु उसने प्रदर्शपी-18 तैयार की थी। प्रदर्शपी-18 के चारों तरफ खेत है। प्रदर्शपी-18 में दिखाये स्थान से सांखणताल की दूरी 2 से 3 किमी दूर है। उक्त फर्द के स्वतंत्र साक्षी पी0ड0-12 नवीन कुमार ने न्यायालय में दिनांक 13.03.18 को गिरफ्तारशुदा मुलजिम विरेंद्र उर्फ चिन्नू के बतायेनुसार थानाधिकारी व मुकेश कुमार कांस्टेबल के समक्ष अपहर्त स्थल का नक्शामौका तैयार करना बताया, जो प्रदर्शपी-18 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने यही कथन किये हैं कि प्रदर्शपी-18 जब बनाया, तब सडक पर कोई अलामात थे या नहीं, उसे याद नहीं है। मकान 200-300 मीटर दूरी पर थे।

126- साक्षी पी0ड0-13 मुकेश कुमार ने भी आरोपी विरेंद्र उर्फ चिन्नू की इतला पर घटनास्थल सुखावास से सांखणताल रोड पर नक्शामौका प्रदर्शपी-18 अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाये जाने की साक्ष्य दी है। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह के कथन उक्त फर्द बाबत किसी प्रकार से खंडित नहीं हुए हैं। उक्त नक्शामौका में वर्णित स्थान की पुष्टि, साक्षी पी0ड0-10 रघुवीर जो रेवड चराने वाला स्वतंत्र व्यक्ति है, उसके कथनों से भी होती है, जो तत्समय ख्यालीराम के खेत के पास स्वयं का रेवड चराना बताता है, उसके कथनों से इस नक्शामौका

में मार्क 7 पर स्थान ख्यालीराम का खेत होने के कारण उसके कथनों की पुष्टि इसी तथ्य को प्रकट कर रही है कि ख्याली के खेत के सामने वाले खेत पर जो काले शीशे वाली गाडी आई, जिसे अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू चला रहा था और उसमें एक अन्य लडका था, इसी स्थान पर मृतक संदीप को सफेद रंग की कार, जो जब्त की गई है, बैठाया गया था।

127- उक्त कार को बरामद करने के बाद जब कार से सिम बरामद की गयी तो अनुसंधान के दौरान एफएसएल टीम को तलब करने पर साक्षी पी0ड0-22 अरविंद कुमार ने मौके पर जाकर जब्त कार का गहन निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट प्रदर्शपी-40 बनाने की साक्ष्य देकर यह कथन किया है कि वाहन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर चालक की सीट के पीछे 1-2 इंच लम्बी लोहे की कील और चालक सीट के सीटस्लाईडर के बायें ट्रेक में पीछे की तरफ **एक सफेद रंग का बटन पाया गया, जिसमें हल्का नीला सफेद रंग का धागा लगा हुआ था। बटन पर एफ-99 लिखा हुआ था।** निरीक्षण के दौरान 10 फोटोग्राफ खींचे गये, जो प्रदर्शपी-7 से प्रदर्शपी-10 व प्रदर्शपी-41 से प्रदर्शपी-46 है, जिसकी निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्शपी-40 है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि गाडी उसने स्वयं खोली थी, जो लॉक थी। पिछली सीट पर कपडों के टुकडे व एक टोपी थी। बटन अनुसंधान अधिकारी को दे दिया था। कील और बटन पर खून के अलामात नहीं थे।

128- उक्त गवाह द्वारा प्रदर्शित करवायी गयी रिपोर्ट प्रदर्शपी-40 में भी इसी तथ्य का अंकन है कि जब्त वाहन मारूति कार अल्टो सं. आरजे 10 सीए 7618 जिसमें सिमकार्ड बरामद होना बताया गया है, उसमें चालक सीट के पीछे एक 2 इंच लंबी लोहे की कील तथा चालक सीट के सीटस्लाईडर के बायें ट्रे क में पीछे की तरफ एक सफेद रंग का बटन पाया गया, जिसमें हल्का नीला सफेद रंग का धागा लगा हुआ था। बटन पर एफ-99 लिखा हुआ था।

129- साक्षी पी0ड0-24 इंद्र कुमार ने उक्त बटन एफएसएल टीम के सदस्य अरविंद कुमार के द्वारा उसके समक्ष बरामद करने की साक्ष्य दी है और मौके पर ऐसी बरामदगी की फर्द प्रदर्शपी-31 बनाये जाने की साक्ष्य दी है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूनाशील है। उक्त बटन को न्यायालय में मार्क एक्स कपडे की थैली, जो आर्टिकल 13 के रूप में प्रदर्शित करवायी गयी और जिसकी चिट दस्तखती प्रदर्शपी-75 है, प्रस्तुत कर बटन को निकालकर आर्टिकल 14 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया।

130- उक्त फर्द बरामदगी प्रदर्शपी-31 के स्वतंत्र गवाह पी0ड0-13 मुकेश कुमार व पी0ड0-15ए विकम सिंह पुत्र महादेवराम ने न्यायालय के समक्ष उक्त गवाह के कथनों की पुष्टि करते हुए यही साक्ष्य दी है कि एफएसएल टीम चूरू द्वारा अल्टो कार की चालक सीट के नीचे से खाली जगह में बुल्ट की ओट से एक बटन जब्त करवाया, जिसे मौके पर ही अनुसंधान अध्किारी द्वारा सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर मार्क एक्स अंकित किया गया और उसकी बरामगदी प्रदर्शपी-31 कायम की गयी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह पी0ड0-15ए विक्रम ने यही कथन किया है कि जब उसने फर्द जब्ती प्रदर्शपी-31 बटन पर हस्ताक्षर किये, तब वह मौके पर था। **गाडी एफएसएल टीम ने मौके पर ही खोली थी।** एफएसएल टीम को चाबी थानाधिकारी ने दी थी। बटन उसे दिखाया गया था। जो बटन मिलना वह बता रहा है, वह धागे से सीलने वाला बटन था और उस पर एफ-99 लिखा हुआ था। इस प्रकार उक्त गवाहों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खंडन उभर कर नहीं आ रहा है, जो प्रदर्शपी-31 के जरिये एफ-99 लिखे बटन की बरामदगी को संदेहास्पद बनाता हो।

131- अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू के द्वारा प्रदर्शपी-52, जिस स्थान पर संदीप का गला घोटकर उसे मारा गया है, **उस स्थान के संबंध में धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी गई।** उक्त सूचना के आधार पर नक्शामौका प्रदर्शपी-19 के अनुसार उक्त संदीप का गला घोटने वाले स्थान की तस्दीक कायम की गयी। जिसके संबंध में साक्षी पी0ड0-24 इंद्र कुमार अनुसंधान अधिकारी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.03.18 को विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना दिये जाने पर प्रदर्शपी-52 कायम कर उसने उक्त सूचना के मुताबिक मुलजिम की निशानदेही पर घटनास्थल बेगू का बास पहुंच कर नक्शामौका तस्दीक घटनास्थल मार्क बी तैयार किया, जो प्रदर्शपी-19 है जिस पर उसके, मुलजिम व स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर है, जिसका हालातमौका प्रदर्शपी-19ए है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्शपी-19 में एक्स स्थान जो दर्शित किया गया है, वहां गाडी के टायरों के निशान धूंधले थे। मॉल्ड उसने नहीं लिये। इसके अतिरिक्त इस गवाह की साक्ष्य से उक्त फर्द के संबंध में कहीं कोई संदेह उत्पन्न नहीं हो रहा है बल्कि मुलजिम विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा उसकी स्वेच्छिक सूचना के आधार पर संदीप की गला घोटने वाले स्थान की तस्दीक पूर्णतया साबित हो रही है।

132- उक्त नक्शामौका के संबंध में स्वतंत्र साक्षी पी0ड0-12 नवीन कुमार ने भी न्यायालय में अनुसंधान अध्कािारी के कथनों की पुष्टि करते हुए प्रदर्शपी-19 घटनास्थल मार्क बी दिनांक 14.03.18 को मुलजिम विरेंद्र उर्फ चिन्नू के बतायेनुसार कायम करना बताया। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किये हैं कि प्रदर्शपी-19 में एक्स स्थान पर छोटी गाडी के टायरों के हल्के निशान थे। वह स्थान सांखण तुमली व बेगू के बास के मध्य की जगह है। साक्षी पी0ड0-13 मुकेश कुमार ने भी उक्त फर्द के संबंध में यही साक्ष्य पेश की है कि दिनांक 14.03.18 को मुलजिम विरेंद्र उर्फ चिन्नू की इतिला के मुताबिक जिस स्थान पर संदीप की हत्या की गयी, उस स्थान का नक्शामौका मुलजिम की सूचना के अनुसार कायम किया गया, जो प्रदर्शपी-19 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह से प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त फर्द प्रदर्शपी-19 के बारे में कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा गया है जिससे इस गवाह की साक्ष्य से उक्त फर्द पूर्णतया साबित होती है।

133- अब जहां तक अभियुक्त अजयराज द्वारा अपराध कारित करने का प्रश्न है तो इस प्रकरण में अभियुक्त अजयराज को दिनांक 13.03.18 को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी-17 गिरफतार किया गया। उससे पूर्व दिनांक 10.03.18 को जब मृतक संदीप की लाश अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू की सूचना के आधार पर बरामद की गयी, उस वक्त संदीप की लाश की फर्द बरामदगी प्रदर्शपी-11 कायम की गयी थी। निरीक्षण करते समय लाश के नीचे एक लेमिनेशन किया हुआ कागज मिला, जो अवलोकन करने पर अभियुक्त अजयराज का डीएल था, जिस पर अजयराज पुत्र दलीप सिंह अंकित था। उक्त डीएल बरामद होने के बारे में साक्षी पी0ड0-24 इंद्र कुमार अनुसंधान अधिकारी ने मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया है कि जब लाश कुएं से निकलवायी गयी तो उसके साथ अभियुक्त अजयराज का डीएल बरामद हुआ, जिसे बरामद कर उसकी फर्द प्रदर्शपी-15 तैयार की गयी तथा उक्त डीएल अनुसंधान अधिकारी द्वारा आर्टिकल-4 के रूप में न्यायालय में दौराने साक्ष्य प्रदर्शित भी करवाया गया है। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने यही कथन किया है कि डीएल में दर्ज पते की तस्दीक हेतु वह उस मकान पर गया था, उसने मुलजिम अजयराज की फोटो के साथ डीएल में लगी फोटो का भी मिलान किया था। **कुएं के अंदर गये मुलाजमानों के द्वारा फर्जी लाइसेंस डालने की कोई संभावना नहीं है।**

134- उक्त डीएल की फर्द प्रदर्शपी-15 के स्वतंत्र गवाह पी0ड0-13 मुकेश कुमार ने भी मुख्य परीक्षा में यही कथन किये हैं कि दिनांक 10.03.18 को जब

थानाधिकारी इंद्र कुमार के समक्ष विरेंद्र उर्फ चिन्नू की इतिला पर मृतक संदीप की लाश उसके सामने कुएं से बरामद की गयी, उसी समय लाश के नीचे से एक डीएल भी मिला, जो अजयराज के नाम से था, उसे भी थानाधिकारी इंद्र कुमार ने मौके पर ही जब्त कर सील मोहर कर मार्क बी दिया था। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्शपी-15 बनायी गयी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त बरामदगी के संबंध में प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने यह स्पष्ट कथन किया है कि लाश की बरामदगी से पहले कुएं के नजदीक कोई व्यक्ति नहीं था। कुएं से लाश प्राइवेट व्यक्ति ने निकाली थी। उसने लाइसेंस सबसे पहले लाश के पास देखा था जो लाश के नीचे दबा हुआ था।

135- इसी प्रकार उक्त लाइसेंस की जब्ती के अन्य स्वतंत्र साक्षी पी0ड0-12 नवीन कुमार ने भी अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू की इतिला पर मृतक संदीप की लाश को कुएं से बाहर निकालने के दौरान लाश के नीचे एक डीएल मिलने और उस पर अजयराज सिंह पुत्र दलीप सिंह का नाम लिखे होने एवं डीएल झुंझुनूं डीटीओ द्वारा जारी होना अंकित करने के संबंध में साक्ष्य दी है। जिसे मौके पर जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने यही कथन किया है कि मौके पर लाश को सरसरी तौर पर चैक किया था और फर्द जब्ती लाश, नक्शामौका बरामदगी स्थल और डीएल की फर्द जब्ती मौके पर ही बना ली थी। मृतक की लाश को कुएं से बाहर निकालते ही वह लाश के पास चला गया था। डीएल को जो जब्त करना बताया है, वह थानाधिकारी ने लाश के नीचे से और पल्ली के उपर से निकाला था। उसने डीएल को स्वयं देखा था, जिस पर अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ और लाइसेंस पर पिलानी का पता था। डीएल के सील मोहर की कार्यवाही थानाधिकारी ने स्वयं की थी।

136- उक्त तीनों साक्षीगण की साक्ष्य से मौके पर अभियुक्त अजयराज का डीएल मिलना साबित हो रहा है। उक्त मार्क बी को न्यायालय में आर्टिकल-3 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है, जिस पैकेट की चिट दस्तखती प्रदर्शपी-70 है और उक्त डीएल को आर्टिकल-4 के रूप में न्यायालय में प्रदर्शित करवाया गया है।

137- उक्त डीएल के मिलने के बाद अभियुक्त अजयराज को जरिये फर्द प्रदर्शपी-17 रूबरू मौतबीरान पी0ड0-13 मुकेश कुमार व पी0ड0-12 नवीन कुमार के गिरफ्तार किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त अजयराज की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्शपी-50 के अनुसार मुलजिम ने

यह सूचना दी कि उसके द्वारा एक मोबाईल फोन महेंद्रगढ से लुहारू जाने वाली सडक से मौजा पथरवा से नंगला जाने वाली एपरोच सडक पर टी-प्वाईंट पर सडक किनारे खडे सरकंडों में छुपाया था। उक्त सूचना प्रदर्शपी-50 के आधार पर मौके पर पहुंच कर अभियुक्त की निशानदेही से एक टूटा हुआ मोबाईल बरामद किया गया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्शपी-22 अनुसंधान अधिकारी पी0डी0-24 इंद्र कुमार के द्वारा कायम की गयी।

138- उक्त साक्षी पी0डी0-24 इंद्र कुमार ने इस संबंध में न्यायालय में यह कथन किये हैं कि गिरफ्तारशुदा मुलजिम अजयराज द्वारा स्वेच्छिक इतिला यह दिये जाने पर कि एक मोबाईल फोन उसने महेंद्रगढ से लुहारू जाने वाली सडक से मौजा पथरवा से नांगल जाने वाली अपरोच सडक पर टी प्वाईंट पर सडक किनारे खडे सरकंडों में छिपाया है, जिसे वह चलकर बता सकता है। मुलजिम की उक्त इतिला पर रोही पथरवा हरियाणा पहुंच कर एक टूटा मोबाईल मुलजिम अजयराज के बतायेनुसार उसकी निशानदेही से बरामद कर फर्द जब्ती प्रदर्शपी-22 बनायी गयी, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहन के, ई से एफ मुलजिम के और आई से जे उसके स्वयं के हस्ताक्षर है। उक्त मोबाईल को मौके पर सील कर मार्क डी अंकित किया गया, जो दौराने साक्ष्य न्याायलय में सीलशुदा कपडे की थैली मार्क डी आर्टिकल-7 के रूप में प्रदर्शित करवायी गयी, जिसकी चिट दस्तखती प्रदर्शपी-72 पेश की गयी और उक्त पैकेट को खोलने पर उसमें मुलजिम अजयराज द्वारा बरामद करवाया गया काले रंग का कीपेड का टूटा हुआ मोबाईल निकला, जो आर्टिकल-8 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने यही कथन किया है कि मुलजिम अजयराज द्वारा जब फोन की इतिला दी गयी, उसके लगभग 8-10 घंटे बाद ही फोन को हरियाणा से बरामद कर लिया था।

139- साक्षी पी0डी0-13 मुकेश कुमार जो उक्त बरामदगी का गवाह है, वह न्यायालय में यह स्पष्ट साक्ष्य पेश करता है कि दिनांक 16.03.18 को अनुसंधान अधिकारी इंद्र कुमार ने मुलजिम अजयराज की सूचना के मुताबिक रोही पथरवा हरियाणा से एक टूटा हुआ मोबाईल उसके सामने जब्त किया था, जिसे मौके पर ही सील कर मार्क डी दिया गया, जिसकी फर्द प्रदर्शपी-22 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसी समय बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्शपी-23 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह के कथन किसी प्रकार से खंडित नहीं हुए हैं बल्कि गवाह ने कथन किया है कि जहां मोबाईल बरामद किया, वहां रोड के पास सरकंडे खडे थे। दिनांक

16.03.18 को जहां मोबाईल बरामद किया, वहां वे 11.30-11.45 तक रहे थे।

140- अन्य साक्षी पी0ड0-16 संदीप कुमार ने भी मोबाईल की बरामदगी की पुष्टि करते हुए मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि दिनांक 16.03.18 को थानाधिकारी इंद्र कुमार, कानि. मुकेश, मुलजिम अजयराज के साथ वह हरियाणा की तरफ रवाना होकर पथरवा से नंगला जाने वाली सडक के टी प्वाईंट पर पहुंचे तो मुलजिम ने गाडी रूकवाकर आगे चलकर सडक के पूर्वी दिशा में खडे सरकंडो से एक टूटा हुआ मोबाईल निकाल कर पेश किया, जिसकी बेटरी नहीं थी, जो मोबाईल संदीप का होना बताया। जिसे मौके पर ही सील मोहर कर कपडे की थेली में डालकर मार्क डी अंकित किया, जिसकी फर्द प्रदर्शपी-22 पर उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्शपी-23 उसके सामने तैयार किय, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने यही कथन किया है कि जाहं टूटा मोबाईल जब्त यिका, वह स्थान खुला था। प्रदर्शपी-22 पर उसने हस्ताक्षर 11.30-11.45 पर किये थे और उसके ही 10-15 मिनट बाद प्रदर्शपी-23 बरमादगी स्थल के नक्शामौका पर हस्ताक्षर किये थे।

141- उक्त मोबाईल मृतक संदीप का ही होने के संबंध में उसके पिता महावीर सिंह द्वारा अनुसंधान के दौरान प्रदर्शपी-68 मूल बिल भी अनुसंधान अधिकारी को दिया गया, जो बिल संदीप के मोबाईल का था, जिसके संबंध में पी0ड0-24 इंद्र कुमार ने भी न्यायालय में यही साक्ष्य दी है कि मृतक के पिता महावीर सिंह ने बिल उसे पेश किया था। इसी प्रकार उक्त मोबाईल की बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्शपी-23 साक्षी पी0ड0-13 मुकेश कुमार व पी0ड0-16 संदीप कुमार के समक्ष पी0ड0-24 इंद्र कुमार द्वारा तैयार किया गया, जिसका हालातमौका प्रदर्शपी-16ए है, जो भी उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य से साबित हो रहा है।

142- उसके बाद अभियुक्त अजयराज द्वारा उसी दिन दिनांक 16.03.18 को अनुसंधान अधिकारी को दी गयी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्शपी-53 के आधार पर उसके द्वारा पर्स व कोट जलाये जाने वाले स्थान की तस्दीक और वहां से अवशेष बरामद करने की कार्यवाही की गयी। साक्षी पी0ड0-24 इंद्र कुमार ने इस संबंध में मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दी है कि मुलजिम अजयराज ने दिनांक 16.03.18 को स्वेच्छिक इतिला दी कि चांदगोठी से गोडाण जाने वाली सडक पर उसने व विरेंद्र ने संदीप का कोट व पर्स जलाया था, जिसका स्थान वह साथ चलकर बता सकता है। जिसके आधार

पर सूचना प्रदर्शपी-53 कायम कर उसके बतायेनुसार मौके पर जाकर मुलजिम की निशानदेही से जले हुए पर्स व कोट की बरामदगी की गयी, जो फर्द जब्ती प्रदर्शपी-24 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उक्त स्थान का नक्शामौका भी प्रदर्शपी-25 व हालातमौका प्रदर्शपी-25ए मौके पर मुकेश कुमार व संदीप कुमार के समक्ष कायम किया गया।

143- बरामदगी के बाद जले हुए अवशेष यथा पर्स, कोट, बटन आदि एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील कर मार्क ई अंकित किया। आगे मुख्य परीक्षा में गवाह ने मार्क ई को आर्टिकल 9 के रूप में न्यायालय में पेश किया, जिस पर चिट दस्तखती प्रदर्शपी-73 प्रदर्शित करवायी। उक्त थेली में से कोट व पर्स के जले हुए अवशेष आर्टिकल 10 के रूप में न्यायालय में प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने स्पष्ट कथन किया है कि जहां से जले हुए अवशेष बरामद किये, वहां उनके द्वारा किसी प्रकार की आग का कोई प्रयोग नहीं किया गया। मुताबिक फर्द माल जब्त किया गया था। गवाह ने यह भी कथन किया कि वह जो अजयराज से जले हुए अवशेष बरामद करना बता रहा है, वह बरामदगी खुले स्थान से की गयी थी। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य में ऐसा कोई भी खंडन उभर कर नहीं आया है जो मुलजिम के बतायेनुसार की गयी उक्त बरामदगी को संदेहास्पद बनाता हो।

144- साक्षी पी0ड0-16 संदीप कुमार जो उक्त फर्दो का साक्षी है, उसने भी न्यायालय में यह स्पष्ट कथन किये है कि दिनांक 16.03.18 को ही चांदगोठी से रामपुरा जाने वाली सडक पर करीब चांदगोठी से 500 मीटर की दूरी पर मुलजिम अजयराज ने गाडी रोकने का इशारा कर आगे चलकर सडक से करीब 10 मीटर पश्चिम दिशा में बनी खाई से कोट व पर्स के जले हुए अवशेष बरामद करवाये, जिन्हें मौके पर ही कब्जा पुलिस लेकर सफेद कपडे की थेली में डालकर सील कर मार्क ई अंकित किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्शपी-24 व नक्शामौका प्रदर्शपी-25 बनाकर उसके हस्ताक्षर मौके पर करवाये गये। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि बटन, पर्स व कोट के जले हुए अवशेष मुलजिम अजयराज के बतायेनुसार वह बता रहा है। प्रदर्शपी-24 में बताये हुए स्थान पर वे लोग 01.45 बजे तक रूके थे।

145- इस गवाह के कथनों की पुष्टि करते हुए अन्य साक्षी पी0ड0-13 मुकेश कुमार ने भी दिनांक 16.03.18 को मुलजिम अजयराज की सूचना पर जले हुए कोट व पर्स के अवशेष चांदगोठी से गुडाण रोड पर उसके सामने

बरामद करने की साक्ष्य दी है, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्शपी-24 और बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्शपी-25 उसके सामने बनाये जाने और उस पर उसके हस्ताक्षर होने की भी साक्ष्य दी गयी है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षण में कोई तात्विक विरोधाभास उभर कर नहीं आया है बल्कि प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कथन करता है कि दिनांक 16.03.18 को मोबाईल बरामद करने के बाद वे लोग वहां से चांदगोठी गुडाण की तरफ रवाना हो गये थे। इसके अतिरिक्त इस गवाह से उक्त फर्दात के बारे में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, जिससे फर्द प्रदर्शपी-24 व 25 पूर्णतया साबित है।

146- इस प्रकार साक्षी पी0ड0-24 इंद्र कुमार व गवाहान पी0ड0-13 मुकेश कुमार और पी0ड0-16 संदीप कुमार की साक्ष्य से नक्शामौका प्रदर्शपी-25, हालातमौका प्रदर्शपी-25ए और मौके पर मिले पर्स व कोर्ट के जले हुए अवशेष, बटन आदि की जब्ती प्रदर्शपी-24 साबित है।

147- दिनांक 16.03.18 को अभियुक्त अजयराज की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्शपी-54 पर मृतक को विरेंद्र उर्फ चिन्नू की कार में बैठाने के स्थान की तस्दीक करवा कर प्रदर्शपी-26 फर्द कायम की गयी और अभियुक्त अजयराज की सूचना प्रदर्शपी-55 के आधार पर उस स्थान की तस्दीक भी की गयी, जहां संदीप का गला घोटकर उसका शव कुएं में डाला गया, जो क्रमशः प्रदर्शपी-27 व 28 है, जिसके संबंध में भी पी0ड0-24 इंद्र कुमार अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह कथन किये गये हैं कि दिनांक 16.03.18 को अजयराज द्वारा दी गयी स्वेच्छिक इतिला प्रदर्शपी-54 के आधार पर घटनास्थल सांखणताल पहुंच कर मुलजिम अजयराज ने गाडी रूकवाकर बताया कि दिनांक 23.02.18 को उसने व विरेंद्र ने संदीप को विरेंद्र उर्फ चिन्नू की गाडी में इस स्थान पर बैठाया था, जिसकी तस्दीक घटनास्थल की फर्द प्रदर्शपी-26 गवाहान के समक्ष कायम की गयी और दिनांक 17.03.18 को मुलजिम अजयराज द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उस स्थान की तस्दीक की कार्यवाही की गयी, जहां अभियुक्तगण ने संदीप को गला घोटकर मारा और रोही ठिमाउ में जिस कुएं में संदीप का शव डाला, वह दोनों स्थान मुलमिज अजयराज की सूचना पर तस्दीक करवाये गये, जिसकी सूचना प्रदर्शपी-55 है। इस इतिला के अनुसार भी घटनास्थल बेगू बास पहुंच कर मुलजिम अजयराज ने स्वयं घटनास्थल मार्क बी की ताईद की, जिसकी फर्द तस्दीक घटनास्थल क्रमशः प्रदर्शपी-27 व 28 उसने मौके पर रूबरू गवाहान मुकेश कुमार व सत्यवान कायम की और मौतवीरान व मुलजिम के हस्ताक्षर करवाये।

148- उक्त गवाह के कथनों की पुष्टि पी0ड0-13 मुकेश कुमार ने भी करते हुए न्यायालय में यह साक्ष्य दी है कि अनुसंधान के दौरान मुलजिम अजयराज की सूचना पर रोही सांखणताल पहुंच कर घटनास्थल तस्दीक की फर्द प्रदर्शपी-26 उसके सामने अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार की गयी, जिसपर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार दिनांक 17.03.18 को मुलजिम अजयराज क सूचना पर अनुसंधान अधिकारी इंद्र कुमार द्वारा रोही बेगू का बास और जहां संदीप का शव कुएं में डाला, उन दोनों स्थानों की तस्दीक करवाकर फर्दे क्रमशः प्रदर्शपी-27 व 28 कायम की गयी, जिन तीनों फर्दो पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त तीनों फर्दो के बारे में प्रतिपरीक्षण के दौरान इस गवाह से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, जिससे फर्दात क्रमशः प्रदर्शपी-26, 27 व 28 संबंधी इस गवाह की साक्ष्य किसी प्रकार से खंडित नहीं होती है।

149- अन्य स्वतंत्र साक्षी पी0ड0-14 सत्यवान ने भी न्यायालय में यह स्पष्ट साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.03.18 को अजयराज ने बेगू का बास में कच्चे रास्ते पर तुमली सांखण जाने पर गाडी रोकने का इशारा किया और आगे चलकर पश्चिम दिशा की तरफ इशारा कर बताया कि इस स्थान पर उसने व विरेंद्र ने संदीप की गला घोटकर हत्या की, जिसकी फर्द तस्दीक प्रदर्शपी-27 मौके पर कायम की गयी और उसके हस्ताक्षर करवाये गये। उसके पश्चात रोही ठिमाउ में नोरंगपुरा से दो किमी आगे गाडी रोकने का इशारा कर अभियुक्त ने गाडी से उतरकर सडक की बाई तरफ 30 फीट बने कुएं की तरफ इशारा कर शव डालने की तस्दीक की, जिसकी फर्द प्रदर्शपी-28 मौके पर कायम की गयी, जिन दोनों पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में यही कथन किया है कि अजयराज ने जो जगह बतायी थी, उससे पहले उसने उस जगह के दस्तावेजों को कभी नहीं देखा। प्रदर्शपी-26, 27 व 28 में वर्णित स्थान पर वह पहले कभी नहीं गया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी उक्त फर्दात के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है, जिससे उक्त तीनों साक्षीगण की साक्ष्य से फर्दात क्रमशः प्रदर्शपी-26, 27 व 28 पूर्णतया साबित होती है।

150- अनुसंधान के दौरान ही दिनांक 17.03.18 को अभियुक्त अजयराज द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्शपी-56 अनुसंधान अधिकारी को दी, जिसके अनुसार उसने एक मफलर उसके घर में छुपा रखा है, जो वह साथ चलकर बरामद करवाना चाहता है। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त अजयराज की निशानदेही से उसके स्वयं के रिहायशी कब्जेशुदा घर से एक मफलर जरिये फर्द प्रदर्शपी-29 रूबरू गवाहान मुकेश कुमार व विक्रम सिंह

बरामद किया गया। उक्त जब्ती में इस तथ्य का स्पष्ट अंकन किया गया है कि अभियुक्त ने स्वयं आगे चलकर उसके घर के पूर्वी बारना के कमरे में घुसकर कमरा में दक्षिण तरफ बनी टांड पर पुराने कपडों के नीचे से एक मफलर निकाल कर अनुसंधान अधिकारी को पेश कर बताया कि इसी मफलर से उसने तथा विरेंद्र उर्फ चिन्नू ने संदीप को गला घोट कर मारा था। **मफलर कोका कोला कलर का है जिस पर दोनों तरफ तीन सफेद पट्टी है तथा मफलर के दोनों तरफ किनारों पर धागों के गुच्छे लटके हुए हैं,** जिसे मौके पर जब्त कर एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर मार्क एफ अंकित किया गया।

151- साक्षी पी0ड0-24 इंद्र कुमार ने इस सूचना व जब्ती के बारे में न्यायालय में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.03.18 को मुलजिम अजयराज ने उसे स्वेच्छिक इतिला दी कि उसने एक मफलर उसके घर गांव किरताण में छिपाकर रखा है, जो बरामद करवाना चाहता है, जिस इतिला की फर्द प्रदर्शपी-56 कायम की गयी और इस सूचना के अनुसरण में ही मुलजिम अजयराज की निशानदेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रोही किरताण अजयराज के रिहायशी मकान पर पहुंच कर मुलजिम अजयराज की निशानदेही पर उसके द्वारा कमरे के पुराने कपडों के नीचे से एक मफलर निकाल कर देने पर जब्त किया गया, जिसकी फर्द प्रदर्शपी-29 है जिस पर स्वतंत्र गवाहों, मुलजिम के तथा स्वयं उसके हस्ताक्षर है। उक्त मफलर को मौके पर ही सफेद कपडे की थैली में डालकर मार्क एफ अंकित किया। उस स्थान का नक्शामौका प्रदर्शपी-30 भी रूबरू मोतवीरान व मुलजिम के बनाया गया, हालातमौका प्रदर्शपी-30ए कायम कर हस्ताक्षरित किया गया। अनुसंधान अधिकारी ने आगे गवाही के दौरान उक्त कपडे की थैली मार्क एफ को आर्टिकल 11 के रूप में प्रदर्शित करवाया, जिस पर चिट दस्तखती प्रदर्शपी-74 प्रदर्शित करवायी। पैकेट में निकले मफलर को आर्टिकल 12 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। इस बरामदगी के संबंध में प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यही कथन किया है कि वह जहां से मफलर बरामद करना बता रहा है, वह घर उस समय अजयराज के परिवार वालों के कब्जे में ही था। उसके अनुसंधान में मफलर से गला घोटकर हत्या करना पाया था जो शाम को 6-7 के मध्य रोही बेगू का बास जोहड तिलोका कच्चा रास्ता तुमली सांखण जाने वाले रास्ते पर हत्या करना माना था।

152- फर्द प्रदर्शपी-29 के गवाह पी0ड0-13 मुकेश कुमार ने अनुसंधान अधिकारी पी0ड0-24 इंद्र कुमार के उक्त कथनों की पूर्णतया पुष्टि करते हुए न्यायालय में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.03.18 को मुलजिम अजयराज की

सूचना पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम के मकान से एक मफलर उसके सामने ही बरामद किया गया था और सील मोहर कर मार्क एफ दिया गया, जिसकी फर्द प्रदर्शपी-29 है और बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्शपी-30 है जिन दानों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में भी इस गवाह ने यही कथन किया है कि दिनांक 17.03.18 को अजयराज के घर पर वे लोग उसी की इतिला पर गये थे। जब वे अजयराज के घर गये तो वह घर खुला ही था। वह जो कोका कोला कलर का मफलर बरामद होना बता रहा है, उस पर कोई खून या धब्बे लगे थे या नहीं, फर्द देखकर बता सकता है। इस प्रकार इस गवाह के कथनों से भी मफलर की बरामदगी होना स्पष्ट रूप से साबित हो रहा है।

153- वहीं अन्य साक्षी पी0ड0-15 विक्रम पुत्र फूलचंद ने भी न्यायालय में यही साक्ष्य प्रकट की है कि दिनांक 17.03.18 को सायं अजयराज की सूचना पर रोही किरताण में उसके घर में उसके बतायेनुसार एक कोका कोला कलर का मफलर अनुसंधान अधिकारी को देने पर फर्द बरामदगी प्रदर्शपी-29 मौके पर कायम की गयी, जिसका नक्शामौका प्रदर्शपी-30 भी मौके पर उसके सामने बनाया गया जिन दोनों पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने उक्त फर्दात के बारे में यही कथन किया है कि दोनों फर्दें मुकेश कुमार की हस्तलिपि में थी। बरामदगी स्थल पर वे लोग 06.15 बजे पहुंच गये थे। मफलर कोका कोला कलर का था। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी मफलर की बरामगदगी अभियुक्त अजयराज की सूचना व निशानदेही से बरामद होने का तथ्य पूर्ण रूप से साबित हो रहा है।

154- उक्त बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्शपी-30 मौके पर कायम किया गया, जिसका हालातमौका प्रदर्शपी-30ए है। उक्त दोनों फर्दों के संबंध में साक्षी पी0ड0-24 इंद्र कुमार द्वारा न्यायालय में अखंडनीय प्रकृति की साक्ष्य दी गयी है, जिसकी पुष्टि साक्षी पी0ड0-13 मुकेश कुमार व पी0ड0-15 विक्रम सिंह पुत्र फूलचंद की साक्ष्य से हो रही है।

155- उक्त मफलर के संबंध में साक्षी पी0ड0-5 राकेश पुत्र छोटूराम द्वारा न्यायालय में स्पष्ट साक्ष्य दी गयी है कि दिनांक 23.02.18 को सुबह 11 बजे जब वह संदीप के मकान पर गया तो वहां विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज, संदीप के मकान पर थे। **अजयराज के गले में कोका कोला कलर का मफलर था, जिसके दोनों तरफ तीन तीन सफेद पटटी तथा दोनों तरफ धागे के झुग्गे थे।** दिनांक 23.02.18 को ही शाम को बस स्टेण्ड सांखणताल पहुंचने के बाद संदीप के उसके गांव की ओर जाते हुए को अभियुक्तगण द्वारा उनकी कार में

बैठाने और उसके बाद से ही संदीप के नहीं मिलने की परिस्थिति अभियोजन साक्ष्य से आपस में कडी के रूप में जुडकर उपरोक्त विवेचन के अनुसार पूर्णतया साबित हो रही है और इस दिनांक को अभियुक्त अजयराज के गले में पहना हुआ मफलर साक्षी पी0ड0-5 राकेश पुत्र छोटूराम द्वारा देखा गया और बाद में अजयराज की सूचना से मफलर उसके घर से जरिये फर्द प्रदर्शपी-29 बरामद किया गया है, जो **बरामदगी भी घटनाओं के क्रम को पूर्ण करती है।** उक्त मफलर को न्यायालय में अनुसंधान अधिकारी पी0ड0-24 इंद्र कुमार द्वारा आर्टिकल-12 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है, जिसकी सीलशुदा कपडे की थैली मार्क एफ है, जो आर्टिकल-11 है तथा उसकी चिट दस्तखती प्रदर्शपी-74 है जो न्यायालय में प्रदर्शित करवायी गयी है।

156- प्रकरण में जो भी माल वजह सबूत जब्त किया गया, उसे मालखाना में रखने के संबंध में साक्षी पी0ड0-17 सुमेर सिंह ने न्यायालय में अखंडनीय प्रकृति की साक्ष्य पेश करते हुए यह स्पष्ट कथन किया है कि अनुसंधान अधिकारी इंद्र कुमार ने उसे मु0सं0 29/18 में जब्त कार अल्टो, एक कपडे की थैली मार्क ए से एफ, एक्स व 5 जार सील हालत में उसे संभलाये, जो उसने मालखाना में रखे। बाद में उसने जयवीर सिंह एफसी को मार्क सी व एक्स तथा जार मार्क ए से ई एफएसएल में जमा करवाने के लिए दिये थे, जिसमें अन्य सभी वजह सबूत जमा होकर उनकी रसीद उसे प्राप्त हो गयी लेकिन जार मार्क ई में ऐतराज आया। जब तक वजह सबूत उसके पास रहा, सील्ड अवस्था में रहा। उसने सभी के अंकन के संबंध में दस्तावेज प्रदर्शपी-32 न्यायालय में प्रदर्शित करवाया। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने यही कथन किया है कि प्रदर्शपी-32 पर किसी जमा करवाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, पर मूल रजिस्टर होने से वह प्रमाणित नहीं किया जाता है। प्रदर्शपी-32 उसकी स्वयं की कलमी है। उसे मारूति कार की चाबी संभलाई गयी थी, जो उसने मालखाना में रख ली।

157- वहीं सैंपल केरियर पी0ड0-20 जयवीर सिंह ने उसे मालखाना इंचार्ज द्वारा संभलाये गये वजह सबूतों मार्क सी व एक्स तथा मार्क ए व बी (दिनांक 05.04.18) का अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी-34 व 35 जारी करवाकर चूरू से रवाना होकर एफएसएल बीकानेर में वजह सबूत जमा करवाने की साक्ष्य दी है, जिनकी रसीद प्रदर्शपी-36 व अन्य दो पैकेट की प्राप्ति रसीद प्रदर्शपी-37 तथा मार्क सी व डी की प्राप्ति रसीद प्रदर्शपी-38 लाकर मालखाना इंचार्ज को संभलाने की साक्ष्य दी है। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने अखंडनीय रूप से यह स्पष्ट कथन

किया है कि सभी नमूने सीलशुदा थे। चूरू में कार्यालय में चारों पैकेट को उसके सामने ही चैक किया था। प्रदर्शपी-34 व 35 उसे एस.पी कार्यालय चूरू में दिये थे। बीकानेर से उसे दिनांक 06.04.18 को रसीद के अलावा और कुछ नहीं दिया।

158- उक्त दोनों गवाहों की उक्त साक्ष्य गवाह पी0ड0-24 इंद्र कुमार अनुसंधान अधिकारी के बयानों को पुष्ट करती है, जिसने यह स्पष्ट साक्ष्य दी है कि सभी जब्त माल को मालखाना में सील्ड हालत में जमा करवाया गया। अनुसंधान के दौरान एफएसएल हेतु पैकेट सी व एक्स का अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी-35 तथा मार्क ए व बी का अग्रेषण पत्र मार्क 34 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जो जयवीर को दिये थे।

159- प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्शपी-67 से भी जो माल वास्ते जांच प्रेषित किया गया था, उसमें जो बटन पृथक से बरामद हुआ, वह मृतक संदीप की शर्ट का ही होना साबित हो रहा है। साथ ही विसरा के 5 जार जो मृतक संदीप के प्रेषित किये गये थे, उसकी एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्शपी-39 में उक्त विसरा पोर्शन में किसी प्रकार का जहर, ईथाईल व मिथाईल एल्कोहल, सायनाईड, एल्कालॉईड या अन्य किसी प्रकार के बाहरी तत्व नहीं पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

160- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू की तरफ से न्यायिक दृष्टांत **Criminal Appeal No. 1485/2009 भाग सिंह आदि बनाम पंजाब राज्य** पेश कर **अभियोजन की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास होने** का तर्क लिया, परंतु न्यायालय के विनम्र मत में उक्त तर्क किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है क्योंकि अभियोजन की साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। साथ ही उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मृतक की लाश की सूचना 5 अभियुक्तगण द्वारा Same Statement जो Identical Terms में पुलिस को दिये जाने के आधार पर और उसके बाद तेज धारदार हथियार के बरामद होने, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे किसी धारदार हथियार से चोट कारित नहीं होने की चिकित्सकीय राय होने के कारण अभियुक्तगण को दोषमुक्ति का लाभ दिया गया था, जबकि हस्तगत प्रकरण में उक्त परिस्थितियों जैसी कोई स्थिति नहीं है। मृतक संदीप की लाश अभियुक्त विरेंद्र द्वारा दी गयी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर बरामद की गयी और अभियुक्तगण का हत्या कारित करने का हेतुक भी उपर किये गये विवेचन से साबित हो रहा है। इस कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित

अभिमत अभियुक्तगण के मामले में उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

161- अधिवक्ता अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा **परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कडी ना जुडने का तर्क** लेकर न्यायिक दृष्टांत **2016 (2) Cr.L.R. (Raj.) 801 दिलीप कुमार बनाम राजस्थान राज्य** पेश किया गया। जिसमें प्रतिपादित अभिमत के अनुसार- "**अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई** थी, केवल अंतिम बार साथ देखे जाने की साक्ष्य पर पूरा प्रकरण आधारित था। संयोजन साक्ष्य लुप्त होने और हेतुक साबित करने में अभियोजन के असफल रहने के कारण पत्रावली पर अपर्याप्त साक्ष्य को मानकर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया गया था।'' जबकि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण से हुई बरामदगियां न्यायालय में संदेह से परे साबित हुई है। अभियुक्तगण का मृतक की हत्या कारित करने का हेतुक और समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी उपरोक्त विवेचन से बिना टूटे साबित पायी गयी है। इस कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित अभिमत अभियुक्तगण के मामले में उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

162- अधिवक्ता अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू की तरफ से न्यायिक दृष्टांत **2018 (2) CJ(Cri.) (Raj.) 1003 धाकू बनाम राजस्थान राज्य आदि** पेश किया गया, जिसमें प्रतिपादित अभिमत के अनुसार- '' In a case of strangulation, palms of the subject would be closed and muscles of neck would be lacerated, so relying on the medical opinion was not justified; also it was held that no corroborated evidence of alleged extra judicial confession made in written report, Case of prosecution is hinging or circumstancial evidence in which many missing links were found, so accused is found to entitle to be acquitted." परंतु उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिस्थितियों व तथ्यों से भिन्न हस्तगत प्रकरण में चिकित्सकीय साक्ष्य के साथ साथ अपराध के घटने की और बरामदगी होने की एक अखंडित श्रृंखला परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर मौजूद है, कोई Missing Link नहीं है। ऐसे में उक्त अभिमत का कोई लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।

163- इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत **2021 (1) Cr.L.R. (Raj.) 209 रानू उर्फ रजनीश शर्मा बनाम राजस्थान राज्य** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि- '' Recovery of Articles

from the site at a later stage is not reliable when nothing was recovered at the same time of site inspection earlier, Motive is also not proved, So Conviction is not found sustainable." जिस अभिमत के प्रति यह न्यायालय पूर्ण आदर व्यक्त करता है परंतु हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और जो भी बरामदगियां इस प्रकरण में की गयी है, वे अभियुक्तगण की सूचना पर उनके विशिष्ट ज्ञान वाले स्थान पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रथम बार जाकर ही की गयी है। जहां पर प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी पहले कभी नहीं गया और ना ही बचाव साक्ष्य से पूर्व से ही अनुसंधान अधिकारी के ज्ञान में ऐसे किसी स्थान का होना साबित करवाया गया है। साथ ही इस प्रकरण में मृतक की हत्या कारित करने का हेतुक भी पूर्ण रूप से साबित पाया गया है, इसलिए उक्त अभिमत अभियुक्तगण को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

164- अधिवक्ता अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा न्यायिक दृष्टांत **2017 (1) Cr.L.R. (Raj.) 364 ईश्वर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 2017 (4) CJ(Cri.) (SC) 931 गणपत सिंह बनाम मध्यप्रदेश, 2015 (2) Cr.L.R. (Raj.) 669 राजन सिंह बनाम राजस्थान राज्य** पेश कर मुख्य रूप से तर्क लिया कि अभियुक्तगण के साथ मृतक को उसकी लाश बरामद होने से ठीक पहले किसी के द्वारा नहीं देखा गया था, इसलिए अंतिम बार देखे जाने की जो साक्ष्य पेश हुई है, वह संदेहास्पद है। न्यायालय के विनम्र मत में उक्त तर्क कतई मान्य नहीं है क्योंकि प्रथमतः तो उक्त तीनों न्यायिक दृष्टांत के तथ्य व परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण से पूर्णतया भिन्न है। द्वितीयतः इस प्रकरण में मृतक संदीप को अंतिम बार अभियुक्तगण के साथ देखने की परिस्थितिजन्य साक्ष्य श्रृंखलाबद्ध कडी के रूप में जुडकर न्यायालय में साबित की गयी है। साथ ही मृतक संदीप के शव की बरामदगी अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा दी गयी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्शपी-48 के आधार पर की गयी है और प्रकरण में अन्य बरामदगियां यथा मृतक संदीप की लाश, अपराध में प्रयुक्त कार, मृतक का टूटा हुआ मोबाईल, कोट व पर्स के जले हुए अवशेष, अभियुक्त की कार में मृतक की सिम व बटन आदि भी बरामद किये जाने का तथ्य भी स्पष्ट रूप से साबित पाया गया है। ऐसे में उक्त तीनों अभिमत अभियुक्तगण को कोई सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

165- दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा न्यायिक दृष्टांत **2019 (2) CJ(Cri.) (Raj.) 1117 कानाराम बनाम राज्य** पेश किया

गया, जिसमें प्रतिपादित अभिमत के अनुसार- "Discoveries made on the basis of disclosure statements have no consequence because the place from where the body was recovered was already within the knowledge of police and recovery of other articles does not give rise to any circumstance because as per FSL report, the blood group on the articles could not be determined and the last remained inconclusive. Besides these, medical evidence revealing that the deceased sustained two anti-mortem injuries, positively that the wild animals ate the deceased and also the chain of circumstances is not complete so Appellant is entitled to be acquitted." जिस अभिमत के प्रति यह न्यायालय पूर्ण आदर व्यक्त करता है परंतु हस्तगत प्रकरण में जिस स्थान से शव की बरामदगी की गयी, वह पूर्व से ही अनुसंधान अधिकारी की जानकारी में नहीं था बल्कि अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा स्पष्ट रूप से इस बारे में धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्शपी-48 देने के कारण शव की बरामदगी जरिये प्रदर्शपी-11 की गयी। मृतक संदीप के शव पर किसी प्रकार की कोई Anti-mortem चोट नहीं थी। ऐसे में इस प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियां भी उपर वर्णित न्यायिक दृष्टांत के तथ्यों से भिन्न है, इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टांत अभियुक्तगण के मामले को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

166- इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त अजयराज की तरफ से न्यायिक दृष्टांत 2022 **Live Law (SC)** 582 **अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य** राज्य पेश कर परिस्थितिजन्य साक्ष्य में प्रथम कडी ना जुडने पर पश्चावर्ती कडियों को साबित ना मानने का और हेतुक साबित नहीं होने का तर्क लिया है। साथ ही अभियुक्तगण की पहचान प्रथम बार न्यायालय में होने को भी सही नहीं होना बताया परंतु न्यायालय के विनम्र मत में उक्त दोनों तर्क मान्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में प्रस्तुत हुई अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण अजयराज व विरेंद्र उर्फ चिन्नू का हत्या कारित करने के पीछे जो हेतुक रहा है, वह पिलानी स्थित प्लॉट को लेकर रंजिश होना और इस प्लॉट पर अभियुक्त अजयराज के पिता दलीप का कब्जा होने के कारण रहा है। पहचान के संबंध में साक्षी पी0ड0-10 रघुवीर द्वारा न्यायालय में दूसरे व्यक्ति के रूप में अजयराज को पहचाना गया है, इस गवाह ने यह भी साक्ष्य दी है कि वह विरेंद्र को

पहले से जानता है जो सुखावास आता जाता रहता है और संदीप के मामा का लडका है तथा न्यायालय में उपस्थित दूसरे अभियुक्त की ओर ईशारा कर कहा था कि यह कार में सवार दूसरा लडका था। ऐसे में न्यायालय में पहचान करने को लेकर अभियोजन साक्ष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कारित नहीं होता है, जबकि प्रकरण में अभियोजन की अन्य सभी साक्ष्य अभियुक्त अजयराज का घटना में संलिप्त होना पूर्ण रूप से साबित कर रही है।

167- दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त अजयराज द्वारा न्यायिक दृष्टांत **2009 (Suppl.) Cr.L.R. (SC) 713 टीपाराम प्रभाकर बनाम आंध्रप्रदेश राज्य** पेश किया गया, जिसमें प्रतिपादित अभिमत के अनुसार- "मृतक की लाश के पास अभियुक्त का पहचान पत्र मिलना, अपराध में संलिप्त होने का Determinative factor नहीं है।" जिस अभिमत के प्रति यह न्यायालय पूर्ण आदर व्यक्त करता है परंतु हस्तगत प्रकरण में मृतक संदीप की लाश के साथ अभियुक्त अजयराज का जो डीएल जब्त हुआ, उसकी जब्ती और तस्दीक के बारे में दौराने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अभियुक्त ने कोई विशिष्ट कथन दर्ज नहीं करवाया और अभियुक्त ने स्वयं बचाव साक्ष्य में स्वयं का असल डीएल भी पेश नहीं किया है, जिससे यह कहीं भी प्रकट होता कि जब्त डीएल उसका नहीं है, जबकि जब्त किये गये डीएल में अभियुक्त का नाम व वल्दीयत अंकित है और उसकी तस्दीक भी साक्षी पी0ड0-24 इंद्र कुमार द्वारा करवायी गयी है। मात्र परिवहन विभाग से उक्त डीएल का वेरीफिकेशन ना करवाने से अभियुक्त को इस मामले में कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है क्योंकि लाश के साथ डीएल की जब्ती हुई है और मृतक संदीप के साथ दिनांक 23.02.18 को अंतिम बार सफेद रंग की कार में अभियुक्तगण अजयराज व विरेंद्र उर्फ चिन्नू के साथ ही देखने की अखंडित साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गयी है, जिससे उक्त अभिमत अभियुक्त को उसके मामले में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

168- इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत **2015 (2) C.J(Cri.) (Raj.) 873 सोहन उर्फ सोवन बनाम राजस्थान राज्य** व **2017 (1) Cr.L.R. (Raj.) 451 धर्मेंद्र बनाम राजस्थान राज्य** पेश किये गये, जिनमें प्रतिपादित अभिमत के अनुसार- "बरामद की गयी वस्तुओं की शिनाख्तगी परेड ना करवाये जाने से ऐसी साक्ष्य तात्विक नहीं मानी गयी।" जिस अभिमत के प्रति यह न्यायालय पूर्ण आदर व्यक्त करता है पंरतु हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अजयराज की फर्द इतिला प्रदर्शपी-50 के जरिये जो बरामदगी संदीप के टूटे हुए मोबाइल की प्रदर्शपी-22 के जरिये की गयी, उसके संबंध में मृतक संदीप के पिता महावीर

सिंह द्वारा संदीप के मोबाईल का बिल प्रदर्शपी-68 पेश किया गया है, जो मूल ही बिल न्यायालय में पेश हुआ है। इस मोबाईल की बरामदगी जिस स्थान से की गयी है, वह स्थान हालांकि खुला स्थान बताया गया है परंतु सडक के पूर्व दिशा में किनारे खडे सरकंडों के बीच से जो स्थान ऐसे मोबाईल की बरामदगी का बताया गया है, **वह स्थान विशिष्ट रूप से अभियुक्त अजयराज के ज्ञान में था।** इसलिए यह बरामदगी किसी प्रकार से दुषित नहीं है और संदेह से परे साबित है।

169- इसी प्रकार अभियुक्त की इतिला पर ही जो कोट व पर्स जली हुई अवस्था में जरिये फर्द प्रदर्शपी-24 चांदगोठी से गुडान जाने वाली सडक पर अभियुक्त अजयराज की निशानदेही से बरामद किया गया, वह स्थान चूंकि **विशिष्ट रूप से अभियुक्त अजयराज** के ज्ञान में था, इसलिए ऐसी बरामदगी भी संदेहास्पद नहीं है। बरामदशुदा फोन और कोट व पर्स की पहचान ना कराये जाने के आधार पर अभियोजन पक्ष की साक्ष्य के प्रतिकूल कोई राय कायम नहीं की जा सकती है, जबकि प्रकरण में अन्य दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अभियुक्त अजयराज का अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू के साथ मिलकर मृतक संदीप का अपहरण करना और बाद में मफलर से गला घोटकर उसकी हत्या कर साक्ष्य विलोपित करने का तथ्य स्पष्ट रूप से साबित करती है।

170- इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत **2016 (4) C.J(Cri.) (SC) 1143 कला उर्फ चंद्रकला बनाम राज्य** पेश किया, जिसमें प्रतिपादित अभिमत के अनुसार- "शव सडी हुई अवस्था में बरामद किया गया था, जिसकी मृत्यु का कारण पता नहीं लगा। अभियोजन पक्ष मृतक का गला घोटने का तथ्य साबित नहीं कर पाया, इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्ति का लाभ दिया गया,'' परंतु हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं है क्योंकि हालांकि प्रकरण में संदीप की लाश भी Decomposed अवस्था में बरामद की गयी परंतु वह अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू की सूचना प्रदर्शपी-48 पर उसकी निशानदेही से ही जरिये फर्द प्रदर्शपी-11 बरामद की गयी और समस्त अनुसंधान के साथ मृतक का गला मफलर से घोटकर उसकी साक्ष्य विलोपित करने के लिए शव कुएं में डालना व मफलर की बरामदगी जरिये फर्द प्रदर्शपी-29 से साबित होना पाया गया है। ऐसे में उक्त अभिमत भी अभियुक्त को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

171- न्यायिक दृष्टांत **2010 (3) C.J(Cri.) (Raj.) 1219 मांगीलाल बनाम राजस्थान राज्य व 2016 (1) C.J(Cri.) (SC) 186 कर्नाटक राज्य बनाम चांदभाषा** पेश कर यह तर्क लिया है कि- "मृतक के शव की बरामदगी

करीब दो माह बाद की गयी थी, जो पहचानने योग्य नहीं थी और अंतिम बाद देखे जाने की साक्ष्य भी विशिष्ट रूप से साबित नहीं की गयी, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्ति का लाभ दिया गया।" जिस अभिमत के प्रति यह न्यायालय पूर्ण आदर व्यक्त करता है परंतु हस्तगत प्रकरण में लाश की बरामदगी दिनांक 10.03.18 को की गयी और अभियोजन पक्ष की साक्ष्य के अनुसार दिनांक 23.02.18 की शाम से संदीप का अपहरण अभियुक्तगण द्वारा किया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा जो पीएमआर प्रदर्शपी-33 बनायी गयी, उसमें 10 से 14 दिन पूर्व मृतक की मृत्यु होना बताया गया है परंतु यह अवधि मात्र एक चिकित्सकीय राय होती है जो पूर्ण रूप से Conclusive नहीं होती है बल्कि इस राय का अन्य अभियोजन की साक्ष्य के साथ संपुष्ट होना आवश्यक होता है। चूंकि पत्रावली पर मौखिक साक्ष्य से दिनांक 23.02.18 को संदीप का अभियुक्तगण विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज के साथ उसकी सफेद रंग की काले शीशे की कार में देखने का तथ्य स्पष्ट रूप से साबित हुआ है। ऐसे में मात्र 10 से 14 दिन की राय दिये जाने से अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क मान्य नहीं हो जाता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर मृतक की मृत्यु दिनांक 25.02.18 या 26.02.18 को हुई होगी, यह एक मात्र संभावना है और संभावना किसी स्पष्ट साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती है।

172- इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता अजयराज द्वारा मृतक संदीप की मृत्यु को हत्या ना बताकर आत्महत्या भी हो सकने का तर्क लिया गया है, जो चलने योग्य नहीं है क्योंकि आत्महत्या मात्र एक कल्पना है, जिसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है और बचाव पक्ष की ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं है। इसलिए ऐसा तर्क किसी प्रकार से मान्य नहीं है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त अजयराज के द्वारा यह तर्क भी लिया गया है कि चालान में तथा अनुसंधान अधिकारी के बयानों में मुलजिम अजयराज की जाति जाट वर्णित की गयी है, जो इस प्रकरण के मुलजिम की जाति नहीं है और इस प्रकार चालान उसके विरूद्ध पेश नहीं है, न्यायालय के विनम्र मत में उक्त तर्क कतई चलने योग्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में चालान वर्ष 2018 में पेश किया गया था, मुलजिम की जाति चालान में मात्र सहवन से जाट लिखा जाना प्रकट आ रहा है, क्योंकि प्रकरण में अभियोजन की अन्य दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य मुलजिम अजयराज को ही इस प्रकरण में पूर्णतया संलिप्त साबित कर रही है, नाम व जाति के संबंध में कोई भी आक्षेप अभियुक्त के द्वारा पूरे विचारण के दौरान नहीं उठाया गया है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में आरोप सुनाये जाने के दौरान

और अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० किये जाने के दौरान अभियुक्त के द्वारा उसका पूरा नाम, वल्दीयत आदि बतायी गयी है, जो प्रकरण में वर्णित साक्ष्य से पूर्णतया आरोपित अपराध के संबंध में संपुष्ट हो रही है, जिससे मात्र जाति का उल्लेख चालान में और अनुसंधान अधिकारी के बयानों में अलग हो जाने से अभियुक्त अजयराज को उसका कोई लाभ नहीं मिलता है।

173- इसके अतिरिक्त विद्वान अभियुक्तगण ने दौराने बहस एक तर्क यह भी लिया है कि साक्षी शिवराम के बयानों में लाश बरामदगी की सूचना उसे गांव वालों के द्वारा 10-11 बजे देना बताया गया है जबकि फर्द प्रदर्शपी-48 में सूचना अभियुक्त के द्वारा दोपहर 01.10 पीएम पर अनुसंधान अधिकारी को देना बताया है, जो दोनों ही समयों में गंभीर विरोधाभास है परंतु न्यायालय के विनम्र मत में लाश की बरामगदगी वर्ष 2018 में होने के कारण और उक्त गवाह शिवराम के बयान वर्ष 2022 में होने के कारण समय में मामूली सा विरोधाभास आना मानवीय स्वभाव के अनुक्रम में स्वाभाविक है, जो इतना तात्विक नहीं है कि अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कारित करे तथा बरामदगी को किसी प्रकार से संदेहास्पद बनाये, जिससे उक्त तर्क भी मान्य नहीं है।

174- दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं परिवादी के अधिवक्ता द्वारा सम्मिलित रूप से न्यायिक दृष्टांत **2013 (suppl.) Cr.L.R. (SC) 446 सनाउल्लाह खान बनाम बिहार राज्य व 2017 (suppl.) Cr.L.R. (SC) 698 मुकेश आदि बनाम एन.सी.टी दिल्ली राज्य** पेश किया। जिन दोनों ही में प्रतिपादित अभिमतों का सार यह है कि- "अभियुक्तगण से हुई बरामदगियां साबित होने पर तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्तगण का अपराध में संलिप्त होना साबित होता है।" इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत **2013 (suppl.) Cr.L.R. (SC) 593 रूमी बोरा दत्ता बनाम असम राज्य** में प्रतिपादित अभिमत के अनुसार भी अभियुक्तगण से हुई बरामदगी, जो कि उनकी विशिष्ट जानकारी के स्थान से हुई थी। ऐसे में बरामदगियां युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होने पर अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता प्रमाणित करती है। जिन अभिमतों की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्तगण की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना से प्रकरण में मृतक संदीप की लाश, अपराध में प्रयुक्त कार, मृतक का टूटा हुआ मोबाईल, कोट व पर्स के जले हुए अवशेष, कार में मृतक की सिम व बटन आदि की जो बरामदगियां हुई है, वे अभिलेख पर प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से उपरोक्त विवेचनानुसार संदेह से परे साबित पायी गयी है।

175- मृतक को अभियुक्तगण के साथ अंतिम बार देखे जाने के तर्क को लेकर न्यायिक दृष्टांत **2006 Cr.L.R. (SC) 641 प्रफुल्ल सुधाकर परब बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2013 Cr.L.R. (SC) 411 प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य, 2015 Cr.L.R. (Raj.) 1993 दीपक बनाम राजस्थान राज्य, 2014 (3) Cr.L.R. (Raj.) 1208 महावीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 2008 (1) R.Cr.D. (Raj.) 377 अर्जुन राम बनाम राजस्थान राज्य, 2017 (2) Cr.L.R. (Raj.) 594 दातार सिंह बनाम राजस्थान राज्य** पेश किये। जिन सभी अभिमतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से सार रूप में यही अभिमत प्रकट होता है कि- "परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला होने पर यदि अभियुक्तगण को मृतक व्यक्ति के साथ देखे जाने का तथ्य सुदृढ साक्ष्य से साबित हो जाता है और बरामदगियां एक पूर्ण कडीबद्ध श्रृंखला घटनाक्रम के बारे में साक्ष्य से साबित होती है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसी परिस्थितियों का कोई स्पष्टीकरण प्रकट नहीं किया जाता है तो उसकी अपराध में संलिप्तता प्रमाणित मानी जाएगी।'' उक्त अभिमतों के अनुसरण में हस्तगत प्रकरण में भी अभियोजन की उपरोक्त विवेचित साक्ष्य से अभियुक्तगण का मृतक संदीप के लापता होने से ठीक पहले कार में साथ-साथ देखे जाने की अभियोजन साक्ष्य अखंडित रूप से न्यायालय के समक्ष पेश हुई है और साबित भी की गयी है तथा सभी साक्ष्य आपस में बिना टूटे कडियों के रूप में जुडी हुई होना साबित पाया गया है।

176- इस प्रकार अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा पेश किये गये सभी न्यायिक दृष्टांतों से उनके प्रकरण को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है बल्कि अभियोजन पक्ष के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से हस्तगत प्रकरण संदेह से परे पूर्णतया साबित पाया जाता है।

177- इस प्रकार उपरोक्त समग्र दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विवेचन से न्यायालय के विनम्र मत में मृतक संदीप का सर्वप्रथम दिनांक 23.02.18 को पिलानी में जाना, वहां बिजली विभाग में उनके द्वारा खरीदे गये प्लॉट हेतु कनेक्शन संबंधी कार्यवाही करना प्रदर्शपी-60 से 62 द्वारा साबित होने से, संदीप का वहां पर गवाह पी0डी0-3 छोटूराम, पी0डी0-5 राकेश पुत्र छोटूराम व राकेश कुमार पुत्र जगदीश सिंह से मिलना, उक्त तीनों व्यक्तियों का संदीप को अभियुक्तगण विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज के साथ देखे जाना, गवाह पी0डी0-3 छोटूराम की साक्ष्य से उक्त दोनों अभियुक्तगण के साथ संदीप का उनकी अल्टो कार में बैठे होने का तथ्य साबित होने, उसी दिन मृतक संदीप द्वारा उसकी

माता सजना पी0ड0-2 से प्लॉट के विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा 15 लाख रूपये की फिरोती मांगने की बात बताना, सजना द्वारा यह बात उसके पति पी0ड0-1 महावीर सिंह को बताना, उसी दौरान संदीप द्वारा राकेश कुमार पुत्र जगदीश सिंह से विरेंद्र उर्फ चिन्नू को समझाने की बात बताने और उसके पश्चात संदीप का पिलानी से बस पकड कर सांखणताल बस स्टेण्ड पर आना गवाह पी0ड0-18 संजय कुमार कंडक्टर की साक्ष्य से साबित होने, सांखणताल बस स्टेण्ड पर संदीप द्वारा उतर कर पैदल पैदल सुखावास की ओर जाने का तथ्य गवाह पी0ड0-7 लीलाधर की साक्ष्य से साबित होने, रास्ते में पैदल चलते समय गवाह पी0ड0-6 होशियार सिंह से मिलने व पानी मांगने का तथ्य साबित होने, उसके बाद संदीप को ख्यालीराम के खेत के सामने काले रंग के शीशे वाली सफेद अल्टो कार में अभियुक्तगण द्वारा नीचे उतर कर संदीप को कार में बैठाने का तथ्य गवाह पी0ड0-10 रघुवीर (रेवड चराने वाला व्यक्ति) की साक्ष्य से साबित होने, उक्त गाडी का सुखावास से सांखणताल के मध्य आवागमन करने का तथ्य गवाह पी0ड0-6 होशियार सिंह व पी0ड0-7 लीलाधर की साक्ष्य से साबित होने, दिनांक 23.02.18 की शाम को ही संदीप का पता नहीं चलने के कारण पी0ड0-2 सजना व उम्मेद सिंह द्वारा एम.पी.आर प्रदर्शपी-4 दर्ज करवाने का तथ्य साबित होने, उक्त एम.पी.आर के बाद गांव में पूछताछ करने पर सामने आये तथ्यों के आधार पर पी0ड0-1 महावीर सिंह द्वारा एफआईआर प्रदर्शपी-2 दर्ज करवाने और एफआईआर के बाद अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू की गिरफतारी करने पर उसकी सूचना पर मृतक की लाश जरिये फर्द प्रदर्शपी-11 बरामद करने के कारण, उक्त लाश के साथ अभियुक्त अजयराज का डीएल प्रदर्शपी-15 बरामद होने से, अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर अल्टो गाडी जब्त होने, जब्तशुदा गाडी में मृतक संदीप की सिम बरामद होने, वह सिम संदीप की ही होने के संबंध में प्रदर्शपी-47 बी.एस.एन.एल कंपनी का प्रमाण पत्र साबित होने, एफएसएल टीम से जांच करवाने पर उक्त गाडी में मृतक संदीप द्वारा अंतिम समय में पहनी गयी शर्ट का एक बटन एफ-99 लिखा हुआ बरामद होने, मृतक की लाश का पंचनामा करने के दौरान उसकी शर्ट जब्त करने और उस शर्ट का कार से जब्त बटन से मिलान करवाने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्रेषित करने एवं उसकी रिपोर्ट सकारात्मक प्राप्त होकर जब्त बटन का मृतक संदीप की शर्ट से मेच होने के कारण, अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू द्वारा संदीप को स्वयं की गाडी में बैठाने वाले स्थान व दोनों अभियुक्तगण द्वारा उसका गला घोट कर मृत्यु कारित करने वाला स्थान एवं उसका शव साक्ष्य विलोपित करने के

लिए कुएं में डाले जाने वाले स्थान की तस्दीक किये जाने के कारण, अभियुक्त अजयराज द्वारा मृतक संदीप का मोबाईल उसकी सूचना पर जब्त करवाने और इसकी पुष्टि पत्रावली पर प्रस्तुत मूल बिल प्रदर्शपी-68 से होने के कारण, अभियुक्त अजयराज की सूचना पर संदीप का गला घोटने के लिए काम में लिये गये उसके मफलर की जब्ती करवाये जाने के कारण, संदीप का कोट व पर्स जली हुई अवस्था में उसके अवशेष बरामद करवाए जाने के कारण, बरामदशुदा लाश के साथ जब्त डीएल का अभियुक्त अजयराज का होने आदि सभी तथ्यों के कारण अभियोजन पक्ष ने इस संपूर्ण प्रकरण में घटनाक्रम के प्रथम दिन से लेकर मृतक को अंतिम बार अभियुक्तगण के साथ देखने के तथ्यों को लेकर हत्या के हेतुक और उसके बाद कडी से कडी जोडते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य को अखंडित रूप से न्यायालय में सफलतापूर्वक साबित करवाया गया है तथा उक्त दोनों अभियुक्तगण से हुई बरामदगियां भी उक्त अपराध के संबंध में पूर्ण रूप से साबित होना पायी गयी है।

178- इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज द्वारा एकराय होकर प्लॉट के विवाद को लेकर मृतक संदीप की हत्या करने के आशय से उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर उसकी लाश को कुएं में फैंक कर साक्ष्य का विलोप किया जाना साबित हो रहा है।

179- इस प्रकार उपरोक्त समग्र अभियोजन पक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तथा यह भी साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 23.02.18 को वक्त सायं 5.30 बजे या उसके लगभग सरहद मौजा सांखणताल में मृतक संदीप की हत्या करने का सामान्य आशय रखते हुए संदीप को एल्टो कार सं आरजे 10 सीए 7618 में बैठाकर उसका अपहरण कर तिलोकाना जोहड में ले जाकर संदीप की मफलर से इस आशय व ज्ञान से कि उसकी हत्या की जावे, गला घोटकर उसकी हत्या कारित की तथा बाद हत्या उक्त अपराध के साक्ष्यों को विलोपित करने के लिए संदीप के शव को ठिमाउ छोटी की रोही में ले जाकर वहां बने कुएं में डालकर हत्या के अपराध की साक्ष्य को विलोपित किया।

180- अतः अभियुक्तगण विरेंद्र उर्फ चिन्नू व अजयराज को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 364, 302/34, 201/34 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाना सर्वथा न्यायोचित है।

- आदेश -

181- अतः अभियुक्तगण **विरेंद्र उर्फ चिन्नू** पुत्र हरीसिंह उम्र 33 साल निवासी सुलखणिया छोटा तहसील राजगढ जिला चूरू व **अजयराज** पुत्र दिलीप सिंह उम्र 24 साल निवासी किरतान तहसील राजगढ जिला चूरू को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **364, 302/34, 201/34** भा०दं०सं० में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(लतिका दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-2 राजगढ जिला चूरू

सजा के प्रश्न पर

182- सजा के प्रश्न पर दोनो पक्षों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस के दौरान यह तर्क दिया कि अभियुक्तगण को दी जाने वाली सजा में नरमी का रूख अपनाया जावे क्योंकि अभियुक्तगण अपने परिवार में अकेले कमाने वाले कृषि पेशा गरीब व्यक्ति हैं। उनका पूर्व का आपराधिक चरित्र भी नहीं है, वे नौजवान व्यक्ति हैं। जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्तगण ने दुःसाहसिक रूप से मृतक संदीप की हत्या कारित की है, इसलिए दोषसिद्ध आरोपों में अभियुक्तगण को कठोर दण्ड दिया जावे।

183- उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अभियुक्तगण द्वारा जघन्य प्रकृति का अपराध कारित किया है। मृतक संदीप अभियुक्त विरेंद्र उर्फ चिन्नू का भाई था एवं अजय की जान पहचान का था। मृतक संदीप को प्लॉट के विवाद को लेकर फिरौती के रूप में 15 लाख रूपये मांगना एवं रूपये नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी देने के पश्चात उसकी हत्या कर दिये जाने का अपराध अभियुक्तगण के नैतिक मूल्यों का पूर्ण रूप से ह्रास दर्शित करता है। अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से यह प्रकट होता है कि वे गंभीर व जघन्य प्रकृति का अपराध करने से पहले किसी प्रकार की कोई गम्भीर सोच नहीं रखते हैं, इसलिए उनके द्वारा किये गये उक्त कृत्य हेतु उनके प्रति नरमी बरतना कतई उचित प्रकट नहीं आता है बल्कि उनके इस कृत्य के लिए उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना ही उचित प्रतीत होता है। अभियुक्तगण के उक्त प्रकृति के कृत्य **Rarest of rare** की श्रेणी में नहीं आने से एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों व

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें निम्न प्रकार दंडादिष्ट किया जाना न्यायोचित है।

- दण्डादेश -

184- अतः अभियुक्तगण **विरेंद्र उर्फ चिन्नू** पुत्र हरीसिंह उम्र 33 साल निवासी सुलखणिया छोटा तहसील राजगढ जिला चूरू व **अजयराज** पुत्र दिलीप सिंह उम्र 24 साल निवासी किरतान तहसील राजगढ जिला चूरू को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **364, 302/34, 201/34 भा०दं०सं०** के तहत दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डादिष्ट किया जाता है-

क्र. सं.	दोषिसद्ध आरोप	कारावास का दण्ड	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड अतिरिक्त कारावास
1	धारा **364 भा०दं०सं०**	**दस साल** का कठोर कारावास	**10,000** रूपये	**दो वर्ष** का कठोर कारावास
2	धारा **302/34 भा०दं०सं०**	**आजीवन** कारावास	**25,000** रूपये	**पांच वर्ष** का कठोर कारावास
3	धारा **201/34 भा०दं०सं०**	**तीन साल** का कठोर कारावास	**5,000** रूपये	**छः माह** का साधारण कारावास

185- अभियुक्तगण की सभी मूल सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में गुजारी गई अवधि धारा 428 द.प्र.सं. के तहत उनकी मूल सजा में समायोजित की जाएगी। प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत (यदि कोई हो) को बाद गुजरने मियाद अपील/अपील ना होने की सूरत में नियमानुसार निस्तारित किया जावे। अभियुक्तगण का सजा वारंट बनाया जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को तुरंत निःशुल्क प्रदान की जावे। निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू को पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत समुचित प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु प्रेषित की जावे।

(लतिका दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-2 राजगढ जिला चूरू

186- निर्णय आज दिनांक 04.05.2023 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(लतिका दीपक पाराशर)

अपर सेशन न्यायाधीश

क्रम-2 राजगढ जिला चूरू